

सत्रह बिन्दुओं वाली सूचना का अधिकार हस्तपुस्तिका

(RTI MANUAL)

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

(30 जून, 2020 तक का विवरण)



उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय: हल्द्वानी

जिला- नैनीताल (उत्तराखण्ड)

पिन कोड- 263139

विवरणिका

प्राकथन

- मैनुअल सं०- 01 (उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की विशिष्टियों, कृत्य और कर्तव्य)
- मैनुअल सं०- 02 (उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य)
- मैनुअल सं०- 03 (विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिससे पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम से सम्मिलित है)
- मैनुअल सं०- 04 (अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान)
- मैनुअल सं०- 05 (उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख)

विविध

- अध्याय- 01 (प्रारम्भिक)
- अध्याय- 02 (विश्वविद्यालय एवं उसके उद्देश्य)
- अध्याय- 03 (निरीक्षण तथा जाँच)
- अध्याय- 04 (विश्वविद्यालय के अधिकारी)
- अध्याय- 05 (विश्वविद्यालय के प्राधिकारी)
- अध्याय- 06 (विश्वविद्यालय निधि)
- अध्याय- 07 (परिनियम, अध्यादेश और विनियम)
- अध्याय- 08 (वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा)
- अध्याय- 09 (कर्मचारियों की सेवा शर्तें)
- अध्याय- 10 (प्रकीर्ण)
- अध्याय- 11 (विविध एवं संक्रमणकालीन उपबंध)
- अनुसूची (विश्वविद्यालय के उद्देश्य)

उत्तराखण्ड शासन प्रथम परिनियमावली 2009

- अध्याय— 01 (प्रारम्भिक)
- अध्याय— 02 (कुलाधिपति की शक्तियाँ)
- अध्याय— 03 (कुलपति)
- अध्याय— 04 (निदेशक, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक
वित्त अधिकारी और अन्य अधिकारी)
- अध्याय— 05 (विश्वविद्यालय के प्राधिकारी)
- अध्याय— 06 (विश्वविद्यालय के अध्यापक)
- अध्याय— 07 (कर्मचारी वर्ग, अध्यापक से भिन्नद्ध की
सेवा के निबन्धन और शर्तें)
- अध्याय— 08 (उपाधियाँ और डिप्लोमा प्रदान करना और
वापस लेना)
- अध्याय— 09 (किसी उच्च शिक्षा संस्था की मान्यता)
- अध्याय— 10 (दीक्षान्त समारोह)
- अध्याय— 11 (अधिभार)
- अध्याय— 12 (वार्षिक प्रतिवेदन)
- अध्याय— 13 (अध्यादेश और विनियम)
- मैनुअल सं०— 06 (ऐसे दस्तवेजों के, जो उत्तराखण्ड
मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा
धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों
का वितरण)
- मैनुअल सं०— 07 (किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी
नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के
संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के
लिए उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान
हैं)
- मैनुअल सं०— 08 (ऐसे बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों
का विवरण)
- मैनुअल सं०— 09 (उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रत्येक
अधिकारी व अन्य की निर्देशिका)
- मैनुअल सं०— 10 (उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रत्येक
अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक
पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति)

- मैनुअल सं०— 11 (उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों) पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने अभिकरण को आंबटित बजट.
- मैनुअल सं०— 12 (सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें रीति आंबटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के व्योरे सम्मिलित हैं.)
- मैनुअल सं०— 13 (अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां.)
- मैनुअल सं०— 14 (किसी इलैक्ट्रोनिक रूप में सूचना के संबंध में व्योरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो.)
- मैनुअल सं०— 15 (सूचना अभिप्रापत करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है.)
- मैनुअल सं०— 16 (लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां)
- मैनुअल सं०— 17 (उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय.)
- (क) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिये चयनित अध्ययन केन्द्रों की संख्या एवं अन्य विवरण
- (ख) विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों में प्रभावी नियन्त्रण समनवयक हेतु गठित क्षेत्रीय कार्यालयों का विवरण
- (ग) विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण
- (घ) विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम एवं उनमें पंजीकृत विद्यार्थियों का विवरण

प्राक्कथन

उत्तराखण्ड राज्य की समृद्ध परम्पराओं के आधार पर राज्य की जनता की संस्कृति और उसके मानवीय संस्थानों की उन्नति और अभिवृत्ति के लिये शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण और विस्तार के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना अधिनियम संख्या-23 वर्ष 2005 द्वारा की गयी है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न आधार अवधारित किये गये हैं:-

1. देश की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रमों का निर्माण।
2. श्रमजीवी जनता, घरेलू महिलायें तथा ऐसे वयस्कों, जो विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञानार्जन के इच्छुक हों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान कराना।
3. विकास एवं सामाजिक परिवर्तनों के अनुरूप अनुसंधान, शोध, प्रशिक्षण एवं कुशलता वृद्धि के अवसर उपलब्ध कराना।
4. विभिन्न विधाओं में विद्या की अभिवृद्धि और विशिष्टता के उद्देश्य से पाठ्यक्रमों का मिश्रण कर पाठ्यक्रमों को विरचित करना।
5. औपचारिक पद्धति के अनुपूरक के रूप में अनौपचारिक पद्धति के रूप में पाठ्यक्रमों का विकास तथा साफ्टवेयर के समुचित प्रयोग द्वारा गुणवत्ता का अन्तरण।
6. विभिन्न कलाओं, शिल्पों कुशलताओं की गुणवत्ता में सुधार कर जनसामान्य के लिये प्रशिक्षण आयोजित करना।
7. विभिन्न संस्थाओं के लिये अपेक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देना।
8. राष्ट्रीय एकता एवं मानव व्यक्तित्व का समन्वित विकास।
9. दूरस्थ एवं अनुवर्ती शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिये प्रयास करना तथा अन्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं के संयोग से नवीनतम ज्ञान और नई शिक्षण प्रौद्योगिकी के आधार पर उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय द्वारा राज्य में क्षेत्रीय कार्यालयों एवं अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की गयी है जिनके माध्यम से अधिसंख्य प्रदेश वासियों को उच्च शिक्षा के अवसर सुलभ कराने का सतत् प्रयास किया जा रहा है। आशा है कि विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में किये जा रहे कार्यों से राज्य के सभी वर्ग लाभान्वित होंगे।

मैनुअल संख्या: 1

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य

1. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम संख्या 23 वर्ष 2005 (अधिसूचना संख्या 608/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005 दिनांक 31 अक्टूबर, 2005) द्वारा स्थापित किया गया है। अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार विश्वविद्यालय दूर शिक्षा पद्धति के माध्यम से जिसमें संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग भी है अधिसंख्यक जनसमुदाय में शिक्षा व ज्ञान के प्रसार में अभिवृद्धि करेगा और अपने क्रियाकलापों को संचालित करने का सम्यक् ध्यान रखेगा।
2. प्रारम्भ में विश्वविद्यालय को भारत सरकार के पत्र दिनांक 13 अप्रैल, 2011 के माध्यम से 10 हे० वन भूमि हस्तान्तरित की गयी है। उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या जी०आई० 2557/7-1-2011-800(1756)/2006 दिनांक 28 अप्रैल, 2011 द्वारा भूमि अधिग्रहण का आदेश हुआ है। प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी से आवंटित भूमि का आदान-प्रदान दिनांक 05 मई, 2011 को विश्वविद्यालय द्वारा कर लिया गया है तथा कार्यालय-प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी के पत्र संख्या 3478/12-1(2) दिनांक 10/05/2011 के माध्यम से वन भूमि के आदान प्रदान प्रमाण-पत्र दिनांक 05.05.2011 को निर्गत किया जा चुका है।
3. उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या संख्या 02/XXIV(6)/2006 दिनांक 03 जुलाई, 2006, संख्या 13/XXIV(6)/2010 दिनांक 22 मार्च, 2010, संख्या 53/XXIV(6)/2011 दिनांक 11 अगस्त, 2011, संख्या 1041/XXIV(6)/2014/24(1)13, दिनांक 15 जुलाई, 2014, संख्या 1201/XXIV(6)/2016-1(43)/2016, दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 एवं संख्या 489/XXIV(6)/2019-01(06)/2018, दिनांक 11 सितम्बर, 2019 के माध्यम से विश्वविद्यालय में शैक्षिक पदों का सृजन किया गया। सृजित पदों का विवरण निम्नवत है-

क) प्राध्यापक (आचार्य) पदों का विवरण :-

| क्र० सं० | शासनादेश संख्या जिसके माध्यम से पदों का सृजन किया है। | सृजित पदों का विवरण (प्राध्यापक) | | पूरित पदों की संख्या | रिक्त पदों की संख्या |
|---------------|---|----------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| | | विषय का नाम | पदों की संख्या | | |
| 1 | संख्या 02/XXIV(6)/2006 | अंग्रेजी | 01 | 01 | — |
| 2 | दिनांक 03 जुलाई, 2006 | इतिहास | 01 | 01 | — |
| 3 | | कम्प्यूटर साइंस | 01 | 01 | — |
| 4 | | मैनेजमेन्ट | 01 | 01 | — |
| 5 | | शिक्षा शास्त्र | 01 | — | 01 |
| 6 | | वाणिज्य | 01 | — | 01 |
| 7 | | होटल मैनेजमेन्ट | 01 | — | 01 |
| 8 | संख्या 13/XXIV(6)/2010 | पत्रकारिता एवं | 01 | 01 | — |
| 9 | दिनांक 22 मार्च, 2010 | जनसंचार | | | |
| | | कृषि | 01 | — | 01 |
| 10 | संख्या 53/XXIV(6)/2011 | विधि | 01 | — | 01 |
| 11 | दिनांक 11 अगस्त, 2011 | समाज शास्त्र | 01 | — | 01 |
| 12 | | शिक्षा शास्त्र | 01 | — | 01 |
| 13 | | राजनीति शास्त्र | 01 | — | 01 |
| 14 | संख्या 489/XXIV(6)/2019-01(06)/2018 | भूगर्भ विज्ञान | 01 | — | 01 |
| | दिनांक 11 सितम्बर, 2019 | | | | |
| कुल पद | | | 14 | 05 | 09 |

ख) सह प्राध्यापक पदों का विवरण :-

| क्र० सं० | शासनादेश संख्या जिसके माध्यम से पदों का सृजन किया है। | सृजित पदों का विवरण (प्राध्यापक) | | पूरित पदों की संख्या | रिक्त पदों की संख्या |
|---------------|--|----------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| | | विषय का नाम | पदों की संख्या | | |
| 1 | संख्या 1041 / XXIV(6)/2014/24(1)13, दिनांक 15 जुलाई, 2014 | विकास अध्ययन | 01 | — | 01 |
| 2 | | शिक्षक शिक्षा | 01 | — | 01 |
| 3 | | कम्प्यूटर साइंस | 01 | — | 01 |
| 4 | | पत्रकारित एवं जनसंचार | 01 | — | 01 |
| 5 | | वाणिज्य | 01 | — | 01 |
| 6 | | गणित | 01 | — | 01 |
| 7 | | जन्तु विज्ञान | 01 | — | 01 |
| 8 | | हिन्दी | 01 | — | 01 |
| 9 | | इतिहास | 01 | — | 01 |
| 10 | | अर्थशास्त्र | 01 | — | 01 |
| कुल पद | | | 10 | | 10 |

ग) सहायक प्राध्यापक (प्रवक्ता) पदों का विवरण :-

| क्रम सं० | शासनादेश संख्या जिसके माध्यम से पदों का सृजन किया है। | सृजित पदों का विवरण (सहायक प्राध्यापक) | | पूरित पदों की संख्या | रिक्त पदों की संख्या |
|----------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------|
| | | विषय का नाम | पदों की संख्या | | |
| 1. | संख्या 02 / XXIV(6)/2006 दिनांक 03 जुलाई, 2006 | शिक्षा शास्त्र | 02 | 02 | — |
| 2. | | कम्प्यूटर साइंस | 01 | 01 | — |
| 3. | | पर्यटन | 01 | 01 | — |
| 4. | | मैनेजमेन्ट | 02 | 02 | — |
| 5. | | वाणिज्य | 01 | 01 | — |
| 6. | | होटल मैनेजमेन्ट | 01 | 01 | — |
| 7. | | अंग्रेजी | 01 | 01 | — |
| 8. | | हिन्दी | 01 | 01 | — |
| 9. | | अर्थशास्त्र | 01 | 01 | — |
| 10. | | राजनीति शास्त्र | 01 | 01 | — |
| 11. | | समाज शास्त्र | 01 | 01 | — |
| 12. | | इतिहास | 01 | 01 | — |
| 13. | | संख्या 13 / XXIV(6)/2010 दिनांक 22 मार्च, 2010 | पत्रकारिता एवं जनसंचार | 01 | 01 |
| 14. | कृषि | | 01 | 01 | — |
| 15. | वानिकी | | 01 | 01 | — |
| 16. | आयुर्वेद | | 01 | 01 | — |
| 17. | लाईब्रेरी साइंस | | 01 | — | 01 |
| 18. | भौतिकी | | 01 | 01 | — |
| 19. | संस्कृत | | 01 | 01 | — |
| 20. | रसायन विभाग | | 01 | 01 | — |
| 21. | संख्या 53 / XXIV(6)/2011 दिनांक 11 अगस्त, 2011 | योग | 01 | 01 | — |
| 22. | | शिक्षा शास्त्र | 02 | 01 | 01 |
| 23. | | ज्योतिष | 01 | 01 | — |
| 24. | | एम.एस.डब्लू | 01 | 01 | — |

| | | | | | |
|---------------|---|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 25. | संख्या 1041/XXIV(6)/2014/24(1)13, दिनांक 15 जुलाई, 2014 | विधि | 01 | — | |
| 26. | | वनस्पति विज्ञान | 01 | — | 01 |
| 27. | | भूगोल | 01 | 01 | — |
| 28. | | मनोविज्ञान | 01 | 01 | — |
| 29. | | लोक प्रशासन | 01 | — | 01 |
| 30. | | स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज | 01 | — | 01 |
| 31. | | लाइब्रेरी साइंस एवं सूचना साइंस | 01 | — | 01 |
| 32. | संख्या 1201/XXIV(6)/2016-1(43)/2016 दिनांक 01.12.2016 | रसायन विज्ञान | 02 | — | 02 |
| 33. | | भौतिक विज्ञान | 02 | — | 02 |
| 34. | | योग | 01 | — | 01 |
| 35. | | वाणिज्य | 01 | — | 01 |
| 36. | | हिन्दी | 01 | — | 01 |
| 37. | | संगीत | 01 | — | 01 |
| 38. | | गृह विज्ञान | 01 | — | 01 |
| 39. | | उर्दू | 01 | — | 01 |
| 40. | | गणित | 01 | — | 01 |
| 41. | | बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा) | 01 | — | 01 |
| कुल पद | | | 46 | 27 | 19 |

4. उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 890/XXIV(6)/2005 दिनांक 18 नवम्बर, 2005, संख्या: 02/XXIV(6)/2006 दिनांक 13 जनवरी, 2006, संख्या: 02/XXIV(6)/2006, दिनांक 03 जुलाई, 2006, संख्या 13/XXIV(6)/2010, दिनांक 22 जनवरी, 2010, संख्या: 13/XXIV(6)/2010 दिनांक 06 जुलाई, 2010, संख्या 53/XXIV(6)/2011 दिनांक 02 फरवरी, 2011, 101/23(1)13/XXIV(6), दिनांक 08/02/2014, संख्या 983/XXIV(6)/2016-133/2012, दिनांक 10/11/2016, संख्या 1497/XXIV(6)/2015-133/12, दिनांक 31/12/2015, संख्या 1202/XXIV(6)/2016-01(44)/16, दिनांक 01/12/2016, संख्या 540/XXIV(6)/2019-01(08)/2012, दिनांक 07.08.2019 के माध्यम से विश्वविद्यालय में शिक्षणेत्तर पदों का सृजन किया गया। सृजित पदों का विवरण निम्नवत है:

| क्र0सं0 | विभिन्न वर्गों के पदों का नाम | नियमित | | | आउटसोर्सिंग | | |
|---------|-------------------------------|----------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
| | | पदों की संख्या | पूरित | रिक्त | पदों की संख्या | पूरित | रिक्त |
| 1. | कुलपति | 01 | 01 | — | — | — | — |
| 2. | परीक्षा नियन्त्रक | 01 | 01 | — | — | — | — |
| 3. | कुलसचिव | 01 | 01 | — | — | — | — |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 4. | वित्त अधिकारी | 01 | 01 | — | — | — | — |
| 5. | सहायक क्षेत्रीय निदेशक | 08 | 08 | — | — | — | — |
| 6. | उपकुलसचिव | 01 | 01 | — | — | — | — |
| 7. | सहायक कुलसचिव | 06 | — | 06 | — | — | — |
| 8. | जनसम्पर्क अधिकारी | 01 | 01 | — | — | — | — |
| 9. | शोध अधिकारी | 03 | — | 03 | — | — | — |
| 10. | सहायक निदेशक (कम्प्यूटर आई0टी0) | 04 | — | 04 | — | — | — |
| 11. | आशुलिपिक ग्रेड-1 | 04 | 02 | 02 | — | — | — |
| 12. | वैयक्तिक सहायक (कुलपति कार्यालय) | 01 | — | 01 | — | — | — |
| 13. | लेखाकार | 01 | — | 01 | — | — | — |
| 14. | सहायक लेखाकार | 02 | — | 02 | — | — | — |
| 15. | कैशियर | 01 | — | 01 | — | — | — |
| 16. | सहायक स्टोर कीपर | 01 | — | 01 | — | — | — |
| 17. | क्रय सहायक | 01 | — | 01 | — | — | — |
| 18. | कनिष्ठ सहायक | 27 | 08 | 19 | — | — | — |
| 19. | सिस्टम मैनेजर | 01 | — | 01 | — | — | — |
| 20. | कम्प्यूटर प्रोग्रामर | 02 | 02 | — | — | — | — |
| 21. | हार्डवेयर इंजीनियर | 02 | 02 | — | — | — | — |
| 22. | प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2 | 01 | 01 | — | — | — | — |
| 23. | पुस्तकालयाध्यक्ष | 01 | — | 01 | — | — | — |
| 24. | प्रवर सहायक | 02 | — | 02 | — | — | — |
| 25. | कम्प्यूटर ऑपरेटर | 02 | — | 02 | — | — | — |
| 26. | नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर | 01 | 01 | — | — | — | — |
| 27. | ड्राइवर | 03 | 03 | — | — | — | — |
| 28. | नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर | — | — | — | 01 | — | 01 |
| 29. | असिस्टेंट प्रोग्रामर | — | — | — | 01 | — | 01 |
| 30. | वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर | — | — | — | 01 | 01 | — |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 31. | कम्प्यूटर लिट्रेट स्टेनों | — | — | — | 02 | 01 | 01 |
| 32. | कम्प्यूटर लिट्रेट एकाउन्टेंट | — | — | — | 02 | 01 | 01 |
| 33. | कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क | — | — | — | 09 | 09 | — |
| 34. | डाटा एंट्री ऑपरेटर/ क्लर्क टाइपिस्ट | — | — | — | 02 | 02 | — |
| 35. | कम्प्यूटर ऑपरेटर | — | — | — | 02 | 01 | 01 |
| 36. | कोऑर्डिनेटर | — | — | — | 08 | 07 | 01 |
| 37. | कम्प्यूटर लिट्रेट पी0ए0 | — | — | — | 02 | 01 | 01 |
| 38. | इलैक्ट्रीशियन | — | — | — | 01 | 01 | — |
| 39. | ड्राइवर | — | — | — | 01 | 01 | — |
| 40. | लैब असिस्टेंट | — | — | — | 01 | 01 | — |
| 41. | चतुर्थ श्रेणी कार्मिक | — | — | — | 03 | 03 | — |
| 42. | स्वच्छकार | — | — | — | 01 | 01 | — |
| 43. | क्लर्क कम टाइपिस्ट | — | — | — | 01 | 01 | — |
| 44. | कैटलागर्स | — | — | — | 02 | 02 | — |
| 45. | स्टोरमेट | — | — | — | 01 | 01 | — |
| 46. | बुक लिफ्टर | — | — | — | 01 | 01 | — |
| 47. | प्लम्बर | — | — | — | 01 | 01 | — |
| 48. | हेल्पर | — | — | — | 01 | 01 | — |
| 49. | माली | — | — | — | 01 | 01 | — |
| 50. | स्वच्छक | — | — | — | 01 | 01 | — |
| 51. | चौकीदार | — | — | — | 02 | 02 | — |
| 52. | गार्ड | — | — | — | 06 | 06 | — |
| 53. | चपरासी | — | — | — | 04 | 04 | — |
| | योग | 80 | 33 | 47 | 58 | 51 | 07 |

* विश्वविद्यालय स्थापना से कार्यरत कार्मिको हेतु चिन्हित।

नोट : पदों से सम्बन्धित शासनादेश अलग लिंक के माध्यम से पोर्टल पर उपलब्ध हैं—

<http://www.uou.ac.in/sites/default/files/2020-09/post-go.pdf>

मैनुअल संख्या : 2

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

| | |
|--|---|
| <p>कुलाधिपति — परिनियम की धारा 3</p> | <p>3. (1) कुलाधिपति किसी ऐसे विषय पर, जो उन्हें धारा 40 के अधीन निर्दिष्ट किया जाय, विचार करते समय विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध पक्षकारों से ऐसे दस्तावेज अथवा सूचना, जिसे वह आवश्यक समझे, मांग सकते हैं, और किसी अन्य मामले में विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना मांग सकते हैं और ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं, जिसे वह उचित समझें। (2) निम्नलिखित किन्हीं परिस्थितियों में कुलाधिपति, किसी उपर्युक्त व्यक्ति को छः मास से अनधिक पदावधि के लिए, जैसा वह विनिर्दिष्ट करें, कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकेंगे— (क) जहां कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण अथवा पद त्याग या पदावधि की समाप्ति या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाये अथवा उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, तो उसकी सूचना कुल सचिव द्वारा कुलाधिपति को तुरन्त दी जायेगी, (ख) जहां कुलपति का पद रिक्त हो जाये और उसे परिनियम 3 के खण्ड (1) से खण्ड (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा तथा शीघ्रता से भरा न जा सकता हो, (ग) किसी अन्य आपात स्थिति में; परन्तु यह कि कुलाधिपति इस परिनियम के अधीन कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की पदावधि को समय-समय पर बढ़ा सकेंगे, किन्तु इस प्रकार की ऐसी नियुक्ति की कुल पदावधि, जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में नियत अवधि भी है, एक वर्ष से अधिक न हो। (3) यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति जानबूझकर अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है, तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते हैं। (4) परिनियम 2 के खण्ड (3) में निर्दिष्ट किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अन्यथा आदेश न दिया जाये, (क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा, किन्तु उसे वह परिलब्धियां प्राप्त होती रहेगी, जिनके लिए वह अन्यथा, परिनियम 4 के खण्ड (8) के अधीन हकदार था। (ख) कुलपति के पद के कृत्यों का निर्वहन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।</p> |
|--|---|

कुलपति –
परिनियम
की धारा 4

4

(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति द्वारा परिनियम 3 के खण्ड (2) या परिनियम 4 के खण्ड (5) द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा, जिनके नाम परिनियम 4 के खण्ड (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे प्रस्तुत किये गये हों।

(2) समिति निम्नलिखित सदस्यों से संरचित होगी, अर्थात्:-

(क) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य;

(ख) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रख्यात शिक्षाविद;

(ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव, जो सदस्य संयोजक होगा।

(3) परिनियम 4 के अधीन, पदावधि की समाप्ति अथवा पदत्याग के कारण, कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से यथाशक्य कम से कम साठ दिन पूर्व और जब कभी भी कुलाधिपति द्वारा अपेक्षा की जाए, ऐसी तारीख के पूर्व, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, समिति कुलाधिपति को कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी, जो कुलपति का पद धारण करने के उपयुक्त हों। समिति कुलाधिपति को नाम प्रस्तुत करते समय ऐसे व्यक्तियों में से, जिनकी संस्तुति की गयी है, प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताओं तथा अन्य विशिष्टताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी, किन्तु वह उनमें कोई अधिमान क्रम उपदर्शित नहीं करेगी।

(4) जहां कुलाधिपति ऐसे व्यक्तियों में से, जिनकी संस्तुति की गयी है या जिनकी समिति द्वारा सिफारिश की गयी है, किसी एक या अधिक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किये जाने के उपयुक्त नहीं समझते हैं, अथवा जिन व्यक्तियों की सिफारिश की गयी है उनमें से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हो और कुलाधिपति का चयन तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो तो कुलाधिपति समिति से, परिनियमों के अनुसार, नये नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेंगे।

(5) यदि समिति परिनियम 4 के खण्ड (3) या परिनियम 4 के खण्ड (4) में निर्दिष्ट दशा में कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी नाम का सुझाव देने में असमर्थ है, या यदि कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये नये नामों में से किसी एक या अधिक को कुलपति नियुक्त किये जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं, तो कुलाधिपति शिक्षा-क्षेत्र में प्रतिष्ठित तीन व्यक्तियों की एक अन्य समिति नियुक्ति करेगा, जो परिनियम 4 के खण्ड (3) के अनुसार नाम प्रस्तुत करेगी।

(6) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं की जायेगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां थीं अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया, जिसके संबंध में बाद में यह पाया जाये कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था।

(7) कुलपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पर्यन्त पद धारण करेगा;

परन्तु यह कि कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा कुलपति किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्याग पत्र मंजूर कर लिये जाने पर वह अपने पद पर नहीं बना रहेगा।

(8) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलपति की

परिलिखितियां तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अवधारित करे।

(9) कुलपति अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन गठित किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि के फायदे का हकदार न होगा;

परन्तु यह कि जब किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय का कोई अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाये तो उसे उस भविष्य निधि में जिसका वह अभिदाता है, अंशदान करते रहने की अनुमति होगी और विश्वविद्यालय का अंशदान उस सीमा तक रहेगा, जिस सीमा तक वह उसके कुलपति नियुक्त होने के ठीक पूर्व अंशदान करता रहा है।

(10) जब तक कि कोई कुलपति परिनियमावली के अधीन अपने पद का कार्यभार न संभाल ले, तब तक विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य कुलपति के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा।

(11) कुलपति—

(क) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय की बैठकों और विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ;

(ख) विश्वविद्यालय परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए, कि ऐसी परीक्षाओं का परीक्षाफल शीघ्रता से प्रकाशित किया जाता है और विश्वविद्यालय का शिक्षा सत्र समुचित दिनांक को प्रारम्भ और समाप्त होता है, उत्तरदायी होगा।

(12) कुलपति धारा 16 के अधीन यथा उल्लिखित विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।

(13) कुलपति को विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय की बैठक में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु उसे इस परिनियम के अधीन मत देने का हकदार नहीं होगा।

(14) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठापूर्ण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे और धारा 10 तथा 40 के अधीन कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो उस निमित्त आवश्यक हों।

(15) कुलपति को कार्य परिषद् योजना बोर्ड, विद्यापरिषद् वित्त-समिति तथा सभी अन्य साविधिक समितियों की बैठकें बुलाने अथवा बुलवाने की शक्ति होगी।

(16) जहां विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला है, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके, तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना तत्काल कुलाधिपति तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को भी देगा जो साधारण प्रक्रिया में मामले के संबंध में कार्यवाही करते ;

परन्तु यह कि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी

| | |
|---|---|
| | <p>कार्यवाही नहीं करेगा;</p> <p>परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा अथवा उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति, प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित के रूप में प्रभावी होगी। किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तरण से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;</p> <p>परन्तु अग्रत्तर यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस परिनियमावली के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के उस तारीख से जब उसे ऐसी कार्यवाही के संबंध में विनिश्चय से संसूचित किया जाये, तीन मास के अन्दर कार्यपरिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्यपरिषद्, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्टि या उपांतरित कर सकेगी या उसे प्रत्यावर्तित कर सकेगी।</p> <p>(17) परिनियम 4 के खण्ड (6) में किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिए सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था आय-व्यय में न की गयी हो।</p> <p>(18) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो अध्यादेश द्वारा अधिकथित की जाये।</p> <p>(19) कुलपति—</p> <p>(एक) अनुदेशकों, पाठ्यक्रम लेखकों, पटकथा लेखकों, काउन्सलरों, परामर्शदाताओं, प्रोग्रामरों, कलाकारों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है, जिन्हें विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक समझा जायें,</p> <p>(दो) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के कार्य करने के लिए आवश्यक समझे जायें, और अध्यादेशों में अधिकथित प्रक्रिया अनुसार चयनित हो, एक समय में छः मास से अनधिक की अवधि के लिए अल्पकालिक नियुक्तियां कर सकता है;</p> <p>(तीन) समय-समय पर यथाअपेक्षित रूप से विभिन्न स्थानों पर अध्ययन केन्द्रों और प्रोग्राम केन्द्रों की स्थापना और अनुरक्षण करेगा और विश्वविद्यालय अपने किसी कर्मचारी को ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित करेगा जो उक्त केन्द्रों के दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक समझी जायें;</p> <p>(चार) विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और प्रशासकों की समिति या समितियां गठित करेगा, जो कि विश्वविद्यालय के हित में आवश्यक हों।</p> |
| <p>निदेशक— परिनियम की धारा 5</p> | <p>5</p> <p>(1) निदेशक, प्रत्येक विद्या शाखा से वरिष्ठता के आधार पर आचार्यों में से चक्रानुक्रम के अनुसार कुलपति द्वारा अधिकतम 3 वर्षों हेतु अथवा अधिवर्षता पूर्ण होने जो भी पहले हो तक नियुक्त किये जायेंगे। निदेशक विद्या शाखा के अन्तर्गत समस्त विभागों/विषयों में अकादमिक कार्यों में समन्वय स्थापित करेंगे।</p> <p>(2) निदेशकों की सेवा की अन्य शर्तें एवं वेतन परिलब्धियां इत्यादि ऐसी</p> |

| | |
|---|---|
| | होंगी_जैसी कि विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग के लिए विहित हैं। |
| कुलसचिव- परिनियम की धारा 6 | <p>6</p> <p>(1) कुल सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर की जायेगी। कुलसचिव के नियंत्रणाधीन उप कुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव भी अन्य राज्य विश्वविद्यालय की तरह ही राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे ;</p> <p>परन्तु यह कि यदि किन्ही कारणों से लोक सेवा आयोग कुलसचिव की नियुक्ति करने में असमर्थ रहता है अथवा यह पद रिक्त रहता है तो कुलपति राज्य सरकार से परामर्श कर विश्वविद्यालय के आचार्यों/उपाचार्यों में से किसी व्यक्ति को कुलसचिव नियुक्त कर सकेगा या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर किसी उपयुक्त व्यक्ति को कुलसचिव नियुक्त करने का निर्देश ले सकेगा।</p> <p>(2) कुलसचिव की परिलब्धियां ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।</p> <p>(3) कुलसचिव की सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) के अधीन बनाई गयी उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 2006, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी।</p> <p>(4) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। वह विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। कुलसचिव, कार्य-परिषद् योजना बोर्ड, विद्या परिषद् और विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए गठित प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा और वह इन प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें या कार्य परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों, किन्तु वह मत देने का हकदार न होगा।</p> <p>(5) कुलसचिव को अधिनियम और परिनियमावली में यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जाएगा और न ही वह स्वीकार करेगा।</p> <p>(6) अधिनियम तथा परिनियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए कुलसचिव का अनुशासनिक नियंत्रण निम्नलिखित के सिवाय विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों पर होगा:-</p> <p>(क) विश्वविद्यालय के अधिकारीगण ;</p> <p>(ख) विश्वविद्यालय के अध्यापकगण, चाहे वह अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हों या पारिश्रमिक वाले कोई पद धारण कर रहे हों या किसी अन्य हैसियत से, यथा परीक्षक या अंतरीक्षक (इनविजिलेटर) हों;</p> <p>(ग) पुस्तकालयाध्यक्ष ;</p> <p>(7) परिनियम 6 के खण्ड (6) में निर्दिष्ट अनुशासनिक नियंत्रण से सम्बन्धित किसी आदेश से व्यथित विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, उस पर ऐसे आदेश के तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, परिनियम 18 के अधीन गठित अनुशासनिक समिति को कुल सचिव के माध्यम से अपील कर सकता है। ऐसी अपील पर समिति का विनिश्चय</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>अन्तिम होगा।</p> <p>(8) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलसचिव का निम्नलिखित कर्तव्य होगा:-</p> <p>(क) विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्ति का अभिरक्षक होना जब तक कि कार्य-परिषद् द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो;</p> <p>(ख) विभिन्न प्राधिकारियों की बैठक से संबंधित प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बुलाने के लिए समस्त सूचनायें जारी करना और ऐसे समस्त बैठकों का कार्यवृत्त रखना;</p> <p>(ग) कार्य-परिषद्, विद्या-परिषद, योजना बोर्ड और मान्यता बोर्ड का सरकारी पत्राचार;</p> <p>(घ) ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग करना, जो कुलाधिपति, कुलपति अथवा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों अथवा निकायों के, जिनका कार्य वह सचिव के रूप में करता हो, आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो;</p> <p>(ङ.) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामें पर हस्ताक्षर करना अभिवचनों का सत्यापन करना।</p> |
| <p>वित्त अधिकारी- परिनियम की धारा 7</p> | <p>7</p> <p>(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा। वित्त अधिकारी की नियुक्ति वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों में से की जायेगी। उसकी परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें, राज्य सरकार के वित्त एवं लेखा सेवा के लेखाधिकारियों पर लागू नियमों और आदेशों द्वारा शासित होगी। वित्त अधिकारी को संदेय परिलब्धियों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।</p> <p>(2) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो अथवा वित्त अधिकारी अस्वस्थता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो उसके पद के कर्तव्यों का पालन कुलपति द्वारा, नाम-निर्दिष्ट किसी एक विद्या-शाखा निदेशक द्वारा किया जायेगा और यदि किसी कारण ऐसा करना साध्य न हो तो कुल सचिव द्वारा अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसे कुलपति द्वारा नामित किया जायें।</p> <p>(3) वित्त अधिकारी की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे:-</p> <p>(क) कार्य परिषद में बोलने तथा उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा;</p> <p>(ख) विश्वविद्यालयों के क्रिया-कलापों से संबंधित ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा करना, ऐसी सूचना को प्रस्तुत करना, जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के लिए आवश्यक हों;</p> <p>(ग) कार्य परिषद् के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमानों) और लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण एवं वितरण;</p> <p>(घ) यह सुनिश्चित करना, कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोजन से भिन्न) कोई व्यय, जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो, न किया जाए;</p> <p>(ङ.) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना जिससे अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन होता हो;</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>(च) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाए और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करना;</p> <p>(छ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है;</p> <p>(ज) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करना;</p> <p>(झ) किसी वित्तीय मामले में स्वतः या अपेक्षित होने पर उसका परामर्श देना ;</p> <p>(ञ) नकदी तथा बैंक में जमा राशि तथा विनिधान की स्थिति पर लगातार निगरानी रखना;</p> <p>(ट) विश्वविद्यालय की आय का संग्रह और संदायों का संवितरण करना और उसके लेखे रखना ;</p> <p>(ठ) यह सुनिश्चित करना कि भवन, भूमि, फर्नीचर तथा उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाते हैं, और विश्वविद्यालय में उपस्कर तथा उपभोज्य अन्य सामग्रियों के भण्डार (स्टॉक) की नियमित जांच की जाती है;</p> <p>(ड) किसी भी अप्राधिकृत व्यय तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं जांच करना और समक्ष प्राधिकारी को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विषयक सुझाव देना;</p> <p>(ढ) विश्वविद्यालय के किसी विभाग अथवा इकाई से ऐसी कोई सूचना अथवा विवरणी मांगना, जिसे यह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे;</p> <p>(ण) विश्वविद्यालय 7 लेखों की निरन्तर आन्तरिक लेखा परीक्षा के संचालन का प्रबन्ध करना, और उन बिलों की पूर्व लेखा परीक्षा करना, जो तत्संबंधी किसी भी स्थायी आदेश द्वारा अपेक्षित हों;</p> <p>(त) वित्तीय मामलों के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन, जो उसे कार्य-परिषद् अथवा कुलपति द्वारा सौंपे जायें;</p> <p>(थ) विश्वविद्यालय 7 लेखा और लेखा परीक्षा अनुभाग के सहायक कुलसचिव (लेखा), यदि कोई हो, से निम्न स्तर के समस्त कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण रखना और उप-कुलसचिव, सहायक कुलसचिव (लेखा) और लेखाधिकारी, यदि कोई हो के कार्य का पर्यवेक्षण करना।</p> <p>(4) यदि वित्त अधिकारी के कृत्यों का पालन करने के संबंध में किसी विषय पर कुलपति और वित्त अधिकारी के बीच कोई मतभेद उत्पन्न हो जाये, तो वह प्रश्न राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा।</p> |
| <p>परीक्षा नियंत्रक-परिनियम की धारा 8</p> | <p>(8) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय की कार्य-परिषद् की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संस्तुत व्यक्ति विश्वविद्यालय के उपाचार्य से निम्न पंक्ति का नहीं होगा ;</p> <p>परन्तु यह कि यदि किन्हीं कारणों से पूर्णकालिक परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति न हो पाने की दशा में कुलपति विश्वविद्यालय के आचार्यों/उपाचार्यों में से किसी को तात्कालिक व्यवस्था के रूप में परीक्षा नियंत्रक नियुक्त कर सकेगा।</p> <p>(1) परीक्षा नियंत्रक की परिलब्धियां ऐसी होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>समय-समय पर अवधारित की जायं।</p> <p>(2) परीक्षा नियंत्रक की सेवा की अन्य शर्तें, विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए इस परिनियमावली द्वारा विहित की गयी सेवा की शर्तों द्वारा शासित होंगी।</p> <p>(3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से संबंधित अभिलेखों की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा, जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा, जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किए जायें या कार्य-परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा। वह विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय, या विद्या-शाखा या अध्ययन केन्द्र से कोई सूचना, ऐसे विवरण प्रस्तुत करने या ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है, जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।</p> <p>(4) परीक्षा नियंत्रक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा।</p> <p>(5) कुलपति और परीक्षा समिति के अधीक्षणाधीन रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिए आवश्यक सभी अन्य प्रबन्ध करेगा और तत्संबंधी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।</p> <p>(6) परीक्षा नियंत्रक को राज्य सरकार के आदेश के अनुसार स्वीकार्य के शिवाय, विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।</p> |
| <p>विश्वविद्यालय के अध्यापक – परिनियम की धारा 20</p> | <p>20 विश्वविद्यालय में अध्यापकों के निम्नलिखित वर्ग होंगे:—</p> <p>(क) आचार्य;</p> <p>(ख) उपाचार्य;</p> <p>(ग) प्राध्यापक</p> <p>21 प्राध्यापक के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर विभिन्न विषयों में नियुक्ति हेतु प्राध्यापकों/असिसटैन्ट प्रोफेसर की पात्रता हेतु निर्धारित मानकों को लागू किया जायेगा।</p> <p>22 उपाचार्य के लिए समय-समय पर विभिन्न विषयों में नियुक्ति हेतु उपाचार्य/एसोसिएट प्रोफेसर की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा पात्रता हेतु निर्धारित मानकों को लागू किया जायेगा।</p> <p>23. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर विभिन्न विषयों में नियुक्ति हेतु आचार्यों/प्रोफेसर की पात्रता हेतु निर्धारित मानकों को लागू किया जायेगा।</p> <p>24 कुलसचिव वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा तथा प्रवृत्त नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसे अनुमोदन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित करेगा।</p> <p>रिक्तियों का विज्ञापन</p> <p>25 (1)कुलसचिव, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात्, कार्यालय के</p> |

सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा कराकर और दो व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्रों में और रोजगार समाचार में विज्ञापन देकर, रिक्तियां अधिसूचित करेगा।

(2) आचार्य, उपाचार्य और प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए एक चयन समिति होगी। चयन समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

- | | | |
|-----|--|---------|
| (क) | कुलपति | अध्यक्ष |
| (ख) | सम्बन्धित विषय का विभागाध्यक्ष | सदस्य |
| (ग) | कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ | |
| | आचार्यों और उपाचार्यों के लिए और एक | |
| | विशेषज्ञ प्राध्यापक के लिए | सदस्य |

(3) चयन समिति के कुल सदस्यों के बहुमत से गणपूर्ति होगी;

परन्तु, यह कि आचार्य या उपाचार्य के मामले में गणपूर्ति के लिए उपस्थिति व्यक्तियों में कम से कम दो विशेषज्ञ और प्राध्यापक के मामले में एक विशेषज्ञ होना आवश्यक है।

(4) चयन समिति द्वारा की गयी कोई संस्तुति, तब तक विधिमान्य नहीं होगी, जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन के लिए सहमत न हो।

(5) यदि कार्य-परिषद् चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति को स्वीकार में असमर्थ है तो ऐसी अस्वीकृति के लिए, कारणों को अभिलिखित करते हुए, अंतिम आदेशों के लिए मामले को कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

(6) अध्यापकों की नियुक्ति के लिए, चयन समिति की बैठक कुलपति के आदेशों के अधीन, बुलायी जायेगी।

(7) साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

(8)(क) चयन समिति, नियुक्ति के लिए एक से अधिक अभ्यर्थियों की संस्तुत कर सकती है और उपलब्ध सामग्री के आधार पर उनके नामों को श्रेष्ठताक्रम में व्यवस्थित करेगी।

(ख) चयन समिति यह संस्तुति कर सकती है कि कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में पद का विज्ञापन पुनः किया जायेगा।

(9) चयन समिति की बैठक साधारणतया विश्वविद्यालय के मुख्यालय में होगी। विशेष परिस्थितियों में, कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से, चयन समिति की बैठक अन्यत्र की जा सकती है।

(10) चयन समिति के सदस्यों को बैठक की सूचना कम से कम पन्द्रह दिन दी जायेगी और उसकी गणना, सूचना भेजे जाने के तारीख से की जायेगी। नोटिस की तामीली व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।

(11) अभ्यर्थियों को चयन समिति की बैठक सूचना कम से कम पन्द्रह दिन से पूर्व दी जायेगी और उसकी गणना, सूचना भेजे जाने के तारीख से की जायेगी। सूचना की तामीली या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।

(12) चयन समिति के सदस्यों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते का भुगतान, अध्यादेशों में विहित दरों पर किया जायेगा।

* (13) अ. चयन के लिए अंकों का निर्धारण

1) सहायक प्राध्यापक पद के लिये

1.1 सहायक प्राध्यापक अथवा समकक्ष पद के लिये न्यूनतम अर्हता हेतु दिनांक 31/05/2009 तक पीएच0डी0 उपाधि प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिये NET/SLET की अनिवार्यता नहीं होगी।

1.2 दिनांक 31/05/2009 के उपरान्त पीएच0डी0 प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता यथावत लागू होगी।

1.3 उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थियों के कार्य-क्षेत्र विषयक ज्ञान एवं बौद्धिक-स्तर के आंकलन के लिये निर्धारित मापदण्डों को निम्नवत निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है:-

क. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा दिये गये मानकों के अनुरूप शैक्षिक उपलब्धियों तथा शोध कार्य के लिये 50 प्रतिशत अंक निर्धारित किये गये हैं। इन 50 प्रतिशत अंकों का वर्गीकरण निम्नवत प्रस्तावित है:-

i) शैक्षिक उपलब्धियों के लिये 30 प्रतिशत अंक रहेंगे, जिनका विभाजन निम्नवत होगा :

- स्नातक स्तर – 5 प्रतिशत।
- परास्नातक स्तर – 5 प्रतिशत।
- नेट (NET/SLET) – 6 प्रतिशत।
- एम. फिल. (M.Phil) – 5 प्रतिशत।
- पीएच0डी0 (Ph.D) – 9 प्रतिशत।
- योग – 30 प्रतिशत**

ii) शोध कार्य के लिये उपर्युक्तानुसार स्वीकार किये गये विभाजन के अनुसार 20 प्रतिशत अंक निर्धारित होंगे, जिनका वर्गीकरण निम्नवत प्रस्तावित है:

- राज्य-स्तरीय/राष्ट्रीय संस्था से स्वीकृत एवं वित्त पोषित शोध-परियोजना में शोध-अध्येता (आर0 ए0) के रूप में कार्य करने पर 5 प्रतिशत अंक।
- शोध-पत्रों के लिये अधिकतम 15 प्रतिशत अंक, जिनका विभाजन निम्नवत होगा :
 - एक शोध-पत्र के लिये 4 प्रतिशत अंक।
 - दो से तीन शोध-पत्रों के लिये 12 प्रतिशत अंक।
 - चार तथा चार से अधिक शोध-पत्रों के लिये 15 प्रतिशत अंक।

विशेष टिप्पणी : केवल उन्ही शोध-पत्रों को इस गणना में सम्मिलित किया जायेगा जो संदर्भित (Refereed) जर्नल्स अथवा प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशित हों। जर्नल्स के स्तर का आंकलन संबंधित विभाग की Screening Committee के द्वारा किया जायेगा। Articles, Book-Reviews तथा Study Material को भी Screening Committee, जिसमें कुलपति द्वारा नामित दो वाह्य विशेषज्ञ भी होंगे, के द्वारा उपयुक्त weightage दिया जायेगा।

यदि शोध-पत्र संयुक्त लेखन में हैं, तो प्राप्य अंको को तदनु रूप विभाजित कर दिया जायेगा।

ख. विषय का ज्ञान तथा अध्यापन क्षमताओं के आंकलन के लिये

निर्धारित कुल 30 प्रतिशत अंकों का विभाजन निम्नवत होगा;

i) Seminar, Workshop, Symposium, FDP, MDP, Refresher, इत्यादि के लिये 10 प्रतिशत अंक। इन अंकों को सम्बन्धित अभ्यर्थी की उक्त कार्यक्रमों में सहभागिता के आधार पर सम्बन्धित विभाग की Screening Committee के द्वारा निर्धारित किया जायगा।

ii) इस वर्ग में शेष 20 प्रतिशत अंकों के निर्धारण के लिये Demo Lecture की विधि अपनाई जायेगी तथा इस कार्य के लिये अंक सम्बन्धित Screening Committee के द्वारा प्रदान किये जायेंगे।

ग. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा चयन प्रक्रिया में 20 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के लिये निश्चित किये गये हैं। इन अंकों के प्रदान किये जाने के लिये व्यवस्था इस प्रकार होगी कि चयन समिति के सभी सदस्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से 20-20 प्रतिशत अंकों में से अंक दिये जायेंगे तथा बाद में कुलसचिव के द्वारा इन अंकों का औसत निकालकर संबंधित अभ्यर्थी को औसत अंक प्रदान किये जायेंगे।

2) सह-प्राध्यापक अथवा उसके समकक्ष के पद के लिये

2.1 शैक्षिक उपलब्धियों की गणना हेतु उपाचार्य पद के लिये 20 प्रतिशत अंक निर्धारित किये हैं। इन 20 प्रतिशत अंकों का वर्गीकरण निम्नवत प्रस्तावित है:-

- स्नातक स्तर – 7 प्रतिशत।
- परास्नातक स्तर – 8 प्रतिशत।
- पीएचडी/कार्य अनुभव – 5 प्रतिशत।
- योग – 20 प्रतिशत**

2.2 शोध कार्य एवं प्रकाशन की गुणवत्ता के लिये बनाये गये API को इसी रूप में स्वीकार कर लिया जायेगा तथा इस हेतु 40 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं, अर्थात् API का अंश केवल 40 प्रतिशत तक सीमित रहेगा।

2.3 विषय का ज्ञान तथा अध्ययन-अध्यापन क्षमताओं के आंकलन के लिये जो 20 प्रतिशत अंक निर्धारित किये गये हैं उनका विभाजन निम्नवत होगा –

i) परिसर के विभिन्न कार्यों, दायित्वों एवं प्रशासनिक पदों पर की गयी सहभागिता के लिये 10 प्रतिशत अंक।

ii) Demo Lecture के लिये 10 प्रतिशत अंक

2.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा चयन प्रक्रिया में 20 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के लिये निश्चित किये गये हैं। इन अंकों के प्रदान किये जाने के लिये व्यवस्था इस प्रकार होगी कि चयन समिति के सभी सदस्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से 20-20 प्रतिशत अंकों में से अंक दिये जायेंगे तथा बाद में कुलसचिव के द्वारा इन अंकों का औसत निकालकर संबंधित अभ्यर्थी को औसत अंक प्रदान किये जायेंगे।

विशेष टिप्पणी: परिसर के जीवन में सहभागिता का उपयुक्त प्रमाण देना

होगा तथा इस सहभागिता एवं Demo Lecture के लिये संबंधित विभाग की Screening Committee , जिसमें कुलपति द्वारा नामित दो वाह्य विशेषज्ञ भी होंगे, द्वारा अंक प्रदान किये जायेंगे।

3) प्राध्यापक/आचार्य पद के लिये

3.1 प्राध्यापक पद के लिये 400 API अंक निर्धारित किये गये हैं जो यथावत रहेंगे किन्तु चयन समिति की प्रक्रिया में निर्धारित 100 अंकों का विभाजन निम्नवत होगा:-

i) शैक्षिक उपलब्धियों के आंकलन के लिये 20 प्रतिशत अंक निर्धारित किये हैं इनका वर्गीकरण निम्नवत प्रस्तावित है:-

- स्नातक स्तर – 7 प्रतिशत।
- परास्नातक स्तर – 8 प्रतिशत।
- पीएचडी/नेशनलफेलोशिप– 3 प्रतिशत।
- डी0 लिट0 – 2 प्रतिशत।
- योग – 20 प्रतिशत।**

ii) शोध कार्यो इत्यादि के लिये API लिया जायेगा जिसके लिये 40 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं।

iii) विषय का ज्ञान, अध्ययन-अध्यापन क्षमताओं के आंकलन के लिये 20 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं जिनका वर्गीकरण निम्नवत प्रस्तावित है:-

- परिसर के विभिन्न कार्यो दायित्वों एवं प्रशासनिक पदों पर की गयी सहभागिता के लिये 10 प्रतिशत अंक।
- Demo Lecture के लिये 10 प्रतिशत अंक

iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा चयन प्रक्रिया में 20 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के लिये निश्चित किये गये हैं। इन अंकों के प्रदान किये जाने के लिये व्यवस्था इस प्रकार होगी कि चयन समिति के सभी सदस्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से 20-20 प्रतिशत अंकों में से अंक दिये जायेंगे तथा बाद में कुलसचिव के द्वारा इन अंकों का औसत निकालकर संबंधित अभ्यर्थी को औसत अंक प्रदान किये जायेंगे।

विशेष टिप्पणी: परिसर के जीवन में सहभागिता का उपयुक्त प्रमाण देना होगा तथा इस सहभागिता एवं Demo Lecture के लिये संबंधित विभाग की Screening Committee , जिसमें कुलपति द्वारा नामित दो वाह्य विशेषज्ञ भी होंगे, द्वारा अंक प्रदान किये जायेंगे।

नोट- विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम संख्या 13(अ) में हुए संशोधनों के संबंध में श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून से प्राप्त स्वीकृति पत्र दिनांक 27.05.2020 के अनुपालन में निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18.06.2020 विश्वविद्यालय के नीचे दिये गए लिंक पर उपलब्ध है।

(14) स. विज्ञापन तथा अन्य प्रक्रिया

1. विज्ञापन परिनिियमावली के परिनिियम 25 के अनुरूप किये जायेगें।
2. प्रत्येक पद के लिए प्राप्त आवेदनों का सारणीयकरण कर स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा परीक्षण किया जायेगा जो साक्षात्कार के लिए आधारभूत अभिलेख होगा।
3. एक पद के लिये उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों में से अधिकाधिक 8 (1:8) अभ्यर्थी को स्क्रीनिंग के आधार पर शैक्षिक एवं अन्य वांछनीय अर्हताओं के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किये जाय। जहाँ आवेदकों की संख्या 8 से कम हों तथा आवेदक निर्धारित अर्हता रखते हों वहाँ सभी अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाना अभीष्ट होगा।
4. यदि किसी पद विशेष के लिये मात्र एक आवेदन प्राप्त होता है तो पद को पुनर्विज्ञापित किया जायेगा, परन्तु यदि पुनर्विज्ञापन के उपरान्त भी एक ही आवेदन प्राप्त होता है तथा संबंधित अभ्यर्थी वांछित अर्हता रखता हो तो साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा।

* सचिव कुलाधिपति के पत्रांक-417/जी0एस0/शिक्षा-बी 1-151/2010 दिनांक 04 मई, 2011 के माध्यम से प्राप्त संशोधन।

26 परिनिियम 4 के खण्ड (19) अधीन, कुलपति में निहित शक्तियों के सिवाय, प्रत्येक अध्यापक इस परिनिियमावली के उपबन्धों के अनुसार कार्य – परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

27

(1) प्रत्येक अध्यापक एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(2) कार्य-परिषद्, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परीक्षा की अवधि को बढ़ा सकती है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक की अवधि बढ़ायी जाय;

परन्तु यह कि किसी भी परिस्थिति में, परीक्षा अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी;

परन्तु यह और कि कार्य-परिषद्, कारणों को अभिलिखित करते हुए, परीक्षा अवधि की शर्तों को छोड़ सकती है;

परन्तु यह और भी कि यदि किसी मामले में कार्य-परिषद् कोई कार्यवाही करने में विफल रहती है, तो अध्यापक, परीक्षा की अवधि के पश्चात्, स्थायी समझा जायेगा।

(3) (क) परीक्षाधीन व्यक्ति को, यथास्थिति, परीक्षा अवधि या कार्य-परिषद् द्वारा बढ़ायी गयी परीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा।

(ख) कुलसचिव कार्य-परिषद् के समक्ष स्थायीकरण के लिए अध्यापकों की सूची, उनकी परीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व प्रस्तुत करेगा।

(ग) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुलाने और परीक्षण करने का,

| | |
|--|--|
| | <p>जिन्हें वह चाहे, पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय;</p> <p>(4) कोई अध्यापक, लिखित रूप में, उचित माध्यम से, कार्य-परिषद् को तीन मास की सूचना देते हुए किसी भी समय त्याग-पत्र दे सकता है; परन्तु, यह कि कार्य-परिषद् अपने विवेक से सूचना अवधि की बाध्यता को समाप्त कर सकती है।</p> <p>(5) विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों का वेतन और भत्ता वहीं होंगे, जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय।</p> <p>(6) विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापक से, परिशिष्ट 'क' में दिये गये प्रपत्र में, एक लिखित संविदा पर, हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जायेगी।</p> <p>(7) विश्वविद्यालय का अध्यापक सर्वदा पूर्ण सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ रहेगा और परिशिष्ट 'ख' में दी गयी आचरण संहिता का पालन करेगा।</p> <p>(8) परिशिष्ट 'ख' में दी गयी आचरण संहिता के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन, परिनियम 27 के खण्ड (9) उपखण्ड (ख) के अर्थान्तर्गत अवचार समझा जायेगा।</p> <p>(9) अध्यापक को निम्नलिखित कारणों से, पदच्युत या उसके पद से हटाया जा सकता है:—</p> <p>(क) कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा,</p> <p>(ख) अवचार,</p> <p>(ग) सेवा संविदा की किसी शर्तों का उल्लंघन,</p> <p>(घ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संबंध में बेईमानी,</p> <p>(ङ.) अपवादजनक आचरण या नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिए दोषसिद्ध;</p> <p>(च) शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्तता ;</p> <p>(छ) अक्षमता;</p> <p>(ज) पद की समाप्ति।</p> <p>(10) परिनियम 27 के खण्ड (4) में की गयी व्यवस्था के सिवाय, कम से कम तीन मास का नोटिस (या जब नोटिस अक्टूबर मास के पश्चात् दिया जाय, तब तीन मास की नोटिस या सत्र समाप्त होने तक की नोटिस, जो इनमें भी अवधि अधिक हो) दिया जायेगा या नोटिस के बदले में, तीन मास (या ऐसी उपर्युक्त अधिक अवधि) का वेतन दिया जायेगा;</p> <p>परन्तु, यह कि जहां विश्वविद्यालय खण्ड (9) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करें या हटाये या उसकी सेवायें समाप्त करें या कोई अध्यापक संविदा को विश्वविद्यालय द्वारा उसकी किसी शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण समाप्त करें, तो ऐसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी;</p> <p>परन्तु यह और कि दोनों पक्षकार परस्पर समझौते द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से नोटिस की शर्त का परित्याग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।</p> <p>(11) परिनियम 27 के खण्ड (7) में निर्दिष्ट नियुक्ति की मूल संविदा, नियुक्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए कुलसचिव के यहां सुरक्षित रखी जायेगी।</p> <p>(12) परिनियम 27 के खण्ड (9) में उल्लिखित किसी कारण से, विश्वविद्यालय के किसी प्राध्यापकों को पदच्युत करने या उसको सेवा</p> |
|--|--|

से हटाने का कोई आदेश (सिवाय ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अद्यमता अन्तर्वलित हो, सिद्ध दोष होने पर पद समाप्त किये जाने की स्थिति में) तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक उसके विरुद्ध आरोप न लगाया गया हो और जिस आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, उसके विवरण सहित उसकी सूचना उसे न दे दी जाय, और उसको—

(क) अपने प्रतिवाद के लिए लिखित बयान प्रस्तुत करने का;

(ख) व्यक्तिगत सुनवाई का यदि वह ऐसा चाहे;

(ग) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुलाने और परीक्षण करने का; जिन्हें वह चाहें, पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय:

परन्तु कार्य—परिषद् या जांच करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करते हुए किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है।

(13) कार्य—परिषद् किसी समय, जांच अधिकारी की रिपोर्ट के दिनांक से साधारणतया दो मास के भीतर, संबंधित अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने या पद से हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, जिसमें पदच्युत करने, पद से हटाने या सेवा समाप्त करने के कारण उल्लिखित किये जायेंगे।

(14) प्रस्ताव की सूचना सम्बंधित अध्यापक को तुरन्त दी जायेगी।

(15) कार्य—परिषद्, अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने या हटाने के बजाय, तीन वर्ष से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अध्यापक का वेतन कम करके या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उसकी वेतन वृद्धियां रोक कर या अध्यापक को उसके निलम्बन की अवधि के, यदि कोई हो, वेतन से वंचित कर अपेक्षाकृत हल्का दंड देने का प्रस्ताव पारित कर सकती है।

(16) यदि किसी अध्यापक के विरुद्ध कोई जांच चल रही है या जांच प्रारम्भ करने का विचार हो तो परिणियम 18 में निर्दिष्ट अनुशासनिक समिति उसको परिणियम 27 के खण्ड (9) के उपखण्ड (क) से (ड.) तक में उल्लिखित आधारों पर निलम्बित करने की सिफारिश कर सकती है यदि इस आधार पर निलम्बन का आदेश पारित किया जाय कि अध्यापक के विरुद्ध जांच करने का विचार है तो निलम्बन आदेश उसके प्रवर्तन के चार सप्ताह की समाप्ति पर समाप्त हो जायेगा, जब तक कि इस बीच अध्यापक को उस आरोप या उन आरोपों की संसूचना न दे दी जाय, जिनके बारे में जांच कराने का विचार था।

(17) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को—

(क) यदि किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध की स्थिति में, उसे 48 घंटे से अधिक अवधि का कारावास का दण्ड दिया जाये और उसे इस प्रकार दोषसिद्धि के परिणाम स्वरूप परन्तु पदच्युत या सेवा से हटाया न जाये तो उसकी दोषसिद्धि के दिनांक से,

(ख) किसी अन्य स्थिति में, यदि वह अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाये, चाहे निरोध किसी अपराधिक आरोप के कारण हो या अन्यथा, उसके निरोध की अवधि तक के लिए, निलम्बित समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण:— ऊपर निर्दिष्ट 48 घंटे की अवधि की गणना दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास के प्रारम्भ होने से की जायेगी और इस प्रयोजन के लिए कारावास की सविराम अवधि पर भी, यदि कोई हो, विचार किया जायेगा।

| | |
|--|---|
| | <p>(18) जहां विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करने का या सेवा से हटाने का आदेश अधिनियम या इस परिनियमावली के अधीन किसी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप या अन्यथा अपास्त कर दिया जाय या शून्य घोषित कर दिया जाय या हो जाय, और विश्वविद्यालय का समुचित अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय उसके विरुद्ध अग्रतर जांच करे का विनिश्चय करें, वहां यदि अध्यापक पदच्युत होने या हटाने के ठीक पूर्व निलम्बित था, तो यह समझा जायेगा कि निलम्बन का आदेश पदच्युत या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और दिनांक से प्रवृत्त है।</p> <p>(19) विश्वविद्यालय का अध्यापक अपने निलम्बन की अवधि में, समय-समय पर यथासंशोधित, वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड-2 के भाग-2 के अध्याय-8 के उपबन्धों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा।</p> <p>(20) परिनियम 27 के खण्ड (12) एवं (13) और खण्ड (16) के प्रयोजनार्थ अधिकतम अवधि की गणना करने में उस अवधि को, जिसमें किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रवर्तन में हो, सम्मिलित नहीं किया जायेगा।</p> <p>(21) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, किसी कलेण्डर वर्ष में, विश्वविद्यालय में किसी परीक्षा या परीक्षाओं के संबंध में सम्पादित किसी कर्तव्य के लिए, उस विशिष्ट कलेण्डर वर्ष में अपने औसत वेतन का 1/6 या तीस हजार रुपये, इसमें जो भी कम हो, से अधिक कोई पारिश्रमिक नहीं लेगा।</p> <p>(22) इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुए भी—</p> <p>(क) विश्वविद्यालय को कोई अध्यापक, जो संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो अपनी सदस्यता की अवधि पर्यन्त विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण नहीं करेगा।</p> <p>(ख) यदि विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, जो संसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन या नाम निर्देशन के तारीख के पहले ही विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण कर रहा, तो वह ऐसे निर्वाचन या नाम निर्देशन के तारीख, जो भी पश्चातवर्ती हो, उस पर नहीं रह जायेगा।</p> <p>(ग) कार्य-परिषद उन दिवसों की न्यूनतम संख्या नियत करेगी, जिनके दौरान ऐसे अध्यापक अपने शैक्षिक कर्तव्यों के लिए विश्वविद्यालय में उपलब्ध होंगे;</p> <p>परन्तु, यह कि जहां विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सत्र के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हो, वहां उसे ऐसी छुट्टी पर समझा जायेगा, जो उसे देय हो और यदि कोई छुट्टी देय न हो तो उसे बिना वेतन के छुट्टी पर समझा जायेगा।</p> <p>28(1) विश्वविद्यालय का कोई प्राध्यापक वरिष्ठ वेतन में नियोजन के लिए पात्र होगा। प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान) को प्राध्यापक (चयन वेतनमान) या उपाचार्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान) की श्रेणी में रखे जाने के लिए पात्रता, प्राध्यापक पद पर न्यूनतम सेवा की अवधि, पी-एच0डी0 की उपाधि के साथ चार वर्ष, एम0फिल0 की उपाधि के साथ पांच वर्ष अन्य के लिए छः</p> |
|--|---|

वर्ष होगी और प्राध्यापक चयन वेतनमान/उपाचार्य की श्रेणी में रखे जाने के लिए पात्रता, प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान के रूप में न्यूनतम सेवा की अवधि, समान रूप से पांच वर्ष होगी।

- (2) उपाचार्य और आचार्य पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता का मानदण्ड पी-एच0डी0 या उसके समकक्ष प्रकाशित कृतियां होगी।
- (3) केवल वही उपाचार्य आचार्य के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किये जाने के लिए पात्र होगा, जिसने उक्त श्रेणी में न्यूनतम आठ वर्ष की सेवा की हो,
- (4) प्राध्यापक (चयन वेतनमान) उपाचार्य और आचार्य के लिए चयन समिति का गठन परिनियम 25 के खण्ड (2) के अधीन किया जाएगा

परन्तु यह कि उक्त परिनियम 28 के अन्तर्गत कैरियर अभिवर्धन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित पात्रता एवं समयावधि को लागू किया जायेगा।

- 29(1) वरिष्ठ वेतनमान में नियोजन ऐसी संवीक्षा समिति के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे-

| | |
|--|---------|
| (क) कुलपति | अध्यक्ष |
| (ख) संबंधित विद्या-शाखा का निदेशक | सदस्य |
| (ग) दो विषय विशेषज्ञ, जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा | सदस्य |
| (घ) संबंधित विभागाध्यक्ष | सदस्य |

- (2) वरिष्ठ वेतनमान के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे ;
- (3) चयन वेतनमान के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे ;
- (4) उपाचार्य पद पर पदोन्नति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे ;
- (5) उपाचार्य के रूप में पदोन्नति एक ऐसी चयन समिति की चयन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी, जिसका गठन परिनियम 25 के खण्ड(2) के उपबन्ध के अनुसार किया जाएगा।
- (6) आचार्य पद पर पदोन्नति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे ;
- (7) परिनियम 25 के खण्ड (2) के अधीन कैरियर अभिवर्धन/ पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति परिनियमावली के अधीन उसके समक्ष रखे जाने वाली सभी सुसंगत सामग्री और अभिलेखकों पर विचार करेगी।
- (8) संवीक्षा/चयन समिति की संस्तुतियां कार्य-परिषद् को विनिश्चय के लिए प्रस्तुत की जाएगी। यदि कार्य-परिषद्, संवीक्षा/चयन समिति की संस्तुतियों से सहमत न हो तो कार्य-परिषद् ऐसी असहमति के कारणों के साथ, मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा। यदि कार्य-परिषद् संवीक्षा/चयन समिति की संस्तुतियों पर, ऐसी समिति के अधिवेशन के दिनांक से चार माह की अवधि के अन्दर कोई निर्णय नहीं लेती है तो भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट हुआ समझा जायेगा और

उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

- (9) यदि कोई पदधारी प्राध्यापक, वरिष्ठ वेतनमान/प्राध्यापक चयन वेतनमान/उपाचार्य (पदोन्नति) हेतु सम्यक् रूपेण गठित संवीक्षा/चयन समिति द्वारा प्रथमतः उपयुक्त पाया जाता है और तदनुसार अगले वरिष्ठ वेतनमान/चयन वेतनमान/उपाचार्य/ आचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए उसकी सिफारिश की जाती है, तो उसे उच्चतर वेतनमान अर्हता के तारीख से अनुमन्य होगा, परन्तु उसे पदनाम (यदि कोई हो) कार्यभार ग्रहण करने के तारीख से दिया जायेगा।
- (10) यदि पदधारी, प्रथमतः परिनियम 29 के खण्ड (9) के अधीन उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो वह प्रत्येक एक वर्ष के बाद ऐसी पदोन्नति हेतु अपने को पुनः प्रस्तुत कर सकता है और उस पर वह संवीक्षा/चयन समिति द्वारा ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जायेगा, जो उस समय तक पात्र हो चुके हैं। यदि उसकी द्वितीय या पश्चात्तवर्ती प्रयासों में पदोन्नति के लिए संस्तुत किया जाती है, तो उसे यथास्थिति प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान/प्राध्यापक चयन वेतनमान/ उपाचार्य (पदोन्नति)/आचार्य (पदोन्नत) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के तारीख से वेतनमान और पदनाम प्रदान किया जायेगा।
- (11) उपाचार्य या आचार्य के ऐसे पदों को, जिस पर पदोन्नति की गयी हो, पदधारी की सेवानिवृत्ति तक, यथास्थिति, उपाचार्य या आचार्य के संवर्ग में उतने पदों को वृद्धि समझी जाएगी और उसके पश्चात् पद अपने मौलिक रूप में प्रतिवर्तित हो जाएंगे।
- (12) वर्तमान परिनियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व, सीधी भर्ती द्वारा या व्यक्तिगत पदोन्नति द्वारा या कैरियर अभिवर्धन द्वारा शिक्षण पद पर नियुक्ति/पदोन्नति के लिए सम्यक् रूप से गठित चयन समिति के माध्यम से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक के, किसी भी चयन पर वर्तमान परिनियमावली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसके पास उस समय यथा विहित न्यूनतम अपेक्षित योग्यता रही हो।
- (13) संवीक्षा/चयन समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से समिति की गणपूर्ति होगी परन्तु अध्यक्ष और कम से कम एक विशेषज्ञ की उपस्थिति आवश्यक होगी।
- (14) संवीक्षा/चयन समिति द्वारा की गयी किसी संस्तुति को तब तक विधिमान्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ चयन से सहमत न हों।
- (15) चयन समिति के सदस्यों को बैठक से पहले कम से कम 15 दिन से नोटिस दिया जायेगा, जिसकी गणना ऐसी नोटिस के प्रेषण की तारीख से की जाएगी। नोटिस की तामील या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।
- (16) अभ्यर्थियों को, चयन समिति के बैठक से पहले, कम से कम 15 दिन की नोटिस दिया जायेगा, जिसकी गणना ऐसी नोटिस के प्रेषण होने के तारीख से की जाएगी। नोटिस की तामील या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।
- (17) ऐसे प्राध्यापकों का कार्यभार, जिन्हें कैरियर अभिवर्धन स्कीम के अधीन चयन वेतनमान या उपाचार्य पदोन्नत या आचार्य पदोन्नत पद पर

नियोजित किया गया है, अपरिवर्तित रहेगा।

नोट— विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम संख्या 28 तथा 29 में हुए संशोधनों के संबंध में श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून से प्राप्त स्वीकृति पत्र दिनांक 18.01.2018 के अनुपालन में निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25.01.2018 विश्वविद्यालय के नीचे दिये गए लिंक पर उपलब्ध है।

<http://www.uou.ac.in/sites/default/files/2020-10/pariniyamabli-30-06-2020.pdf>

- 30(1) इस अध्याय के परिनियमों से इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व से विश्वविद्यालय में नियोजित अध्यापकों की परस्पर ज्येष्ठता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (2) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह इसके पश्चात आये परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों के संबंध में एक पूर्ण और अद्यावधि ज्येष्ठता सूची तैयार करे और रखे।
- (3) विद्या-शाखा के निदेशकों में परस्पर ज्येष्ठता का अवधारण उनके द्वारा विद्या-शाखा के निदेशक के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायेगा;
परन्तु जब दो या इससे अधिक निदेशकों का उक्त पद पर सेवाकाल समान अवधि का हो, तो आयु में ज्येष्ठ निदेशक को इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायेगा।
- (4) विद्या-शाखा के विभागाध्यक्षों में परस्पर ज्येष्ठता का अवधारण, उनके द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायेगा:
परन्तु जब दो या इससे अधिक विभागाध्यक्ष उक्त पद पर समान समयावधि तक रहे हों, तो आयु में ज्येष्ठ विभागाध्यक्ष को इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायेगा।
- 31(1) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता अवधारित करने में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा:—
- (क) किसी आचार्य को प्रत्येक उपाचार्य के ज्येष्ठ समझा जायेगा, और किसी उपाचार्य को प्रत्येक प्राध्यापक से ज्येष्ठ समझा जायेगा;
- (ख) एक ही संवर्ग में पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता, ऐसे संवर्ग में निरन्तर सेवा की अवधि के अनुसार अवधारित की जायेगी;
परन्तु, यह कि जहां सीधी भर्ती द्वारा एक से अधिक नियुक्तियां एक ही समय में की गयी हों, और यथास्थिति, चयन समिति या कार्य-परिषद् द्वारा अधिमान्यता या योग्यता का क्रम इंगित किया गया हो, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता इस प्रकार इंगित क्रम द्वारा नियंत्रित होगी;
परन्तु यह और कि जहां एक से अधिक नियुक्तियां एक ही बार में पदोन्नति द्वारा की गयी हो, वहां इस प्रकार नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता वहीं होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा धारित पद पर थी।
- (ग) यदि (उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय से भिन्न) किसी विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय या ऐसे विश्वविद्यालय के किसी संस्थान

में चाहे वह उत्तराखण्ड या उत्तराखण्ड से बाहर स्थित हो, मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक, विश्वविद्यालय में तत्स्थानी पद या श्रेणी के पद पर नियुक्त किया जाये, तो अध्यापक द्वारा ऐसे विश्वविद्यालय में उक्त श्रेणी या पंक्ति में की गयी सेवा अवधि को उसके सेवाकाल में सम्मिलित किया जायेगा।

(घ) यदि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय से भिन्न किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक चाहे इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त किया जाये तो अध्यापक की ऐसे महाविद्यालय में मौलिक रूप में की गयी सेवा अवधि की आधी अवधि को उसकी सेवा-अवधि में सम्मिलित किया जायेगा।

(2) जहां एक ही संवर्ग के एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की अनवरत् सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों, वहां ऐसे अध्यापकों की सापेक्ष ज्येष्ठता निम्नलिखित प्रकार से अवधारित की जाएगी:-

(क) आचार्यों के मामले में, उपाचार्य के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा;

(ख) उपाचार्यों के मामले में, प्राध्यापक के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा;

(ग) उन आचार्यों की स्थिति में, जिनकी उपाचार्य के रूप में भी सेवा अवधि उतनी ही हो तो प्राध्यापक के रूप में उनकी सेवा अवधि पर विचार किया जायेगा।

(3) जहां एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों और उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता किन्हीं पूर्ववर्ती उपबन्धों के अनुसार अवधारित नहीं की जा सकती है तो ऐसे अध्यापकों की ज्येष्ठता, आयु के आधार पर अवधारित की जायेगी।

(4) किसी अन्य परिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि कार्य परिषद्-

(क) चयन समिति की सिफारिश से सहमत हों, और एक ही विभाग में अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए दो या अधिक व्यक्तियों के नाम को अनुमोदित करे तो वह ऐसा अनुमोदन अभिलिखित करते समय, ऐसे अध्यापकों का योग्यता कम अवधारित करेगी;

(ख) चयन समिति की सिफारिशों से सहमत न हों और परिनियम 25 के उपखण्ड (5) के अधीन मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट करे तो कुलाधिपति उन मामलों में, जहां एक ही विभाग में दो या अधिक अध्यापकों की नियुक्ति अन्तर्ग्रस्त हो, ऐसे निर्देश का अवधारण करते समय ऐसे अध्यापकों की योग्यता कम अवधारित करेगा।

(5) ऐसे योग्यताक्रम की जिसमें खण्ड (4) के अधीन दो या अधिक अध्यापक रखे जायं, सूचना संबंधित अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के पूर्व दी जायेगी।

(6) कुलपति समय-समय पर एक या अधिक ज्येष्ठता समिति गठित करेंगे। जिसमें/जिनमें अध्यक्ष के रूप में स्वयं कुलपति और कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले दो विद्या-शाखाओं के निदेशक होंगे;

परन्तु यह है कि ऐसे विद्या-शाखा का निदेशक, जिसके अध्यापक की वरिष्ठता विवादित हो, उपर्युक्त ज्येष्ठता समिति का सदस्य नहीं होगा; परन्तु यह और कि यदि निदेशक, नियुक्त न होने के कारण या पदों का सृजन न होने के कारण, उपलब्ध नहीं है तो कुलाधिपति, विश्वविद्यालय से या उससे बाहर से दो आचार्यों को नाम-निर्दिष्ट कर सकता है।

- (7) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की ज्येष्ठता के बारे में प्रत्येक विवाद, ज्येष्ठता समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो विनिश्चय के कारणों को उल्लिखित करते हुए, उसे विनिश्चित करेगी।
 - (8) ज्येष्ठता समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चय संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के अंदर कार्य परिषद को अपील कर सकता है। यदि कार्यपरिषद समिति से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण बतायेगी।
- 32(1) आकस्मिक छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायेगी जो एक मास में सात दिन अथवा एक सत्र से चौदह दिन से अधिक नहीं होगी और यह संचित नहीं होगी। यह साधारणतया अवकाश के दिन के साथ मिलायी नहीं जा सकेगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में कुलपति उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, इस शर्त को त्याग सकता है।
- (2) एक सत्र में दस कार्य-दिवस तक की विशेषाधिकार छुट्टी पूर्ण वेतन पर होगी, और यह 60 कार्य दिवस तक संचित की जा सकती है।
 - (3) विश्वविद्यालय के ऐसे निकायों, तदर्थ समितियों तथा सम्मेलनों के, जिसमें कोई अध्यापक पदेन सदस्य हो या जिसमें वह विश्वविद्यालय द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो, किसी अधिवेशन में सम्मिलित होने तथा विश्वविद्यालय की परीक्षा संचालित करने के लिए 15 कार्य दिवस तक की कर्तव्य (ड्यूटी) छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायेगी।
 - (4) किसी एक सत्र में एक मास के लिए दीर्घ कालीन छुट्टी, जो आधे वेतन पर होगी, और जो बारह मास तक संचित की जा सकती है, उन कारणों से यथा लम्बी बीमारी, आवश्यक कार्य, अनुमोदित अध्ययन या निवृत्तिक पूर्वता के लिए दी जा सकती है:

परन्तु, यह कि लम्बी बीमारी की स्थिति में छुट्टी, कार्य परिषद के विवेकानुसार छः मास से अनधिक अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है। ऐसी छुट्टी, लम्बी बीमारी को छोड़कर, केवल पांच वर्ष की लगातार सेवा के पश्चात् दी जा सकती है;

परन्तु यह और कि ऐसे अध्यापकों को, जिनका चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अध्यापक अध्येतावृत्ति के लिए या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या दूरस्थ शिक्षा परिषद् या केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन किसी अनुदान आयोग या दूरस्थ शिक्षा परिषद् विश्वविद्यालय या किसी केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन प्रायोजित किसी अन्य योजना के अधीन विदेश में प्रशिक्षण अथवा के लिए चयन किया जाता है तो उन्हें अध्येतावृत्ति, शिक्षण या अध्ययन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायं, छुट्टी दी जा सकती है।

- (5) असाधारण छुट्टी बिना वेतन के होगी। यह प्रारम्भ में ऐसे कारणों से जिन्हें कार्य परिषद् उचित समझे, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए

दी जा सकती है, किन्तु परिनियम 28 के खण्ड (22) में उल्लिखित परिस्थितियों के सिवाय, यह विशेष परिस्थितियों के अधीन दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है।

स्पष्टीकरण: (1) अध्यापक जो कोई स्थायी पद धारण करता हो या जो निम्न पद पर स्थायी होने पर तीन वर्ष से अधिक अवधि से किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, राज्य सरकार की सहमति से, उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के लिए स्वीकृत की गयी असाधारण छुट्टी की अवधि की गणना समय-मान में अपनी वेतनवृद्धि के लिए गणना किये जाने का हकदार होगा ;

परन्तु यह कि उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन के अन्तर्गत निम्नांकित कार्यों को सम्मिलित किया जा सकेगा—

- (क) संबंधित शिक्षक उच्चतर अध्ययन के लिए प्रदेश में या प्रदेश से बाहर जा रहा हो, जिसके लिए विश्वविद्यालय की कार्य परिषद एवं शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गयी हो। यदि पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है, तो ऐसा अवकाश देय नहीं होगा।
- (ख) उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन का आशय अन्यत्र सेवा करना नहीं है। (सामान्यतः शिक्षक उच्चतर वेतनमान में सेवारत होने के उपरान्त एक या दो शोध पत्र सेमिनार आदि में प्रस्तुत करते हैं, जिसे वे उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन मानते हैं।)
- (ग) उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन पूर्णतः वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन होना चाहिए। यह अवकाश स्वीकृत करने के लिए आशय नहीं होनी चाहिए।
- (घ) यदि कोई अभ्यर्थी विदेश में उच्च वेतनमान में सेवा आदि करता है, साथ ही एक या दो शोध पत्र अथवा पुस्तक भी लिखता है, तो यह उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन नहीं समझा जायेगा।
- (2) राज्य सरकार की सहमति कोई अध्यापक, जो अस्थायी पद धारण करता हो, और जिसे ऐसी छुट्टी स्वीकृत की गयी हो, ऐसी छुट्टी से वापस आने पर, फाइनेन्सियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग 2 से भाग 4 के मूल नियम 27 के अनुसार अपना वेतन समयमान में ऐसी अवस्था पर निर्धारित कराने का हकदार होगा जो उसे उस समय मिलता यदि वह छुट्टी पर न गया होता, परन्तु यह कि वह अध्ययन जिसके लिए छुट्टी स्वीकृत की गयी थी, लोकहित में रहा हो।
- (6) अध्यापिकाओं को पूर्ण वेतन सहित 135 दिनों की अवधि तक प्रसूति छुट्टी दी जा सकेगी:
परन्तु ऐसी छुट्टी अध्यापिका को अस्थायी सेवा सहित, यदि कोई हो, सम्पूर्ण सेवा अवधि में दो बार से अधिक नहीं दी जायेगी।

नोट— विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम संख्या 32(6) में हुए संशोधनों के संबंध में श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून से प्राप्त स्वीकृति पत्र दिनांक 22.06.2020 के अनुपालन में निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.06.2020 विश्वविद्यालय के नीचे दिये गए लिंक पर उपलब्ध है।

<http://www.uou.ac.in/sites/default/files/2020-10/pariniyamabli-30-06-2020.pdf>

- (7) छुट्टी अधिकार स्वरूप नहीं मांगी जा सकती है। तात्कालिक की आवश्यकता को देखते हुए, स्वीकर्ता अधिकारी किसी भी प्रकार की छुट्टी स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है और पहले से स्वीकृत

| | |
|-------------------------------|--|
| | <p>की गयी छुट्टी को भी रद्द कर सकता है।</p> <p>(8) किसी पंजीकृत चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर बीमारी की छुट्टी या लम्बी बीमारी के कारण दीर्घकालीन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। यदि ऐसी छुट्टी 14 दिनों से अधिक हो तो कुलपति ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक का, जो उसके द्वारा अनुमोदित हो, द्वितीय प्रमाण पत्र मांगने के लिए सक्षम होगा।</p> <p>(9) दीर्घकालीन छुट्टी तथा असाधारण छुट्टी को छोड़कर, जो कार्य परिषद् द्वारा स्वीकृत की जायेगी, के सिवाय, छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी कुलपति होगा।</p> <p>33(1) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष होगी;</p> <p>परन्तु, यह कि यदि किसी अध्यापक की अधिवर्षिता का दिनांक 30 जून को न हो तो वह अध्यापक शिक्षा सत्र के अन्त तक अर्थात् अनुवर्ती 30 जून तक सेवा में बना रहेगा और वह अपनी अधिवर्षिता के दिनांक के ठीक अनुवर्ती दिनांक से आगामी 30 जून तक पुनर्नियोजित समझा जायेगा।</p> <p>(2) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की सेवानिवृत्ति की तारीख ऐसे अध्यापक के साठवें जन्म तारीख के ठीक पूर्व की तारीख होगी।</p> <p>34(1) इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व, किसी अध्यापक और विश्वविद्यालय के बीच की गयी कोई नियुक्ति संविदा, अध्याय में दिये गये परिनियमों के उपबन्धों के अधीन होगी, और इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार और परिशिष्ट 'क' और परिशिष्ट 'ख' में दिये प्रपत्र की शर्तों के अनुसार उपांतरित समझी जायेगी।</p> <p>(2) परिनियम 27 के खण्ड (9) के प्रस्तर (ख), (ग), (घ), (ङ.) में उल्लिखित किसी कारण से सेवा से पदच्युत किया गया कोई अध्यापक विश्वविद्यालय में किसी भी रूप में फिर से नियोजित नहीं किया जायेगा।</p> <p>(3) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक अपनी वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट दो प्रतियों में तैयार करेगा। मूल रिपोर्ट कुलपति के पास रखी जायेगी और उसकी प्रति अध्यापक अपने पास रखेगा।</p> <p>(4) कुलपित को प्रस्तुत करने से पूर्व मूल रिपोर्ट, निदेशक से भिन्न अध्यापक की दशा में संबंधित निदेशक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित की जायेगी।</p> <p>(5) किसी शिक्षा सत्र के संबंध में रिपोर्ट उक्त सत्र के अनुवर्ती जुलाई के अन्त तक, या सत्र समाप्त होने के एक मास के अन्दर, इनमें जो भी बाद में हो, दी जायेगी।</p> <p>(6) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के संबंध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों और प्राधिकारियों के निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।</p> <p>(7) जहां अधिनियम या इस परिनियमावली या अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन किसी अध्यापक पर कोई नोटिस तामील करना अपेक्षित हो, और ऐसा अध्यापक मुख्यालय पर न हो, वहां ऐसी नोटिस उसे उसके अन्तिम ज्ञात पते पर पंजीकृत डाक से भेजी जा सकता है।</p> |
| कर्मचारी वर्ग (अध्यापक से) | 35(1) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, एक पूर्णकालिक |

भिन्न) की सेवा
के निबन्धन
और शर्तों—
परिनियम की
धारा 35

- पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है।
- (2) पुस्तकालयाध्यक्ष, का चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा। चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् —
- (क) कुलपति अध्यक्ष
- (ख) पुस्तकालय विज्ञान के दो विशेषज्ञ जो
कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे सदस्य
- (3) जब तक खण्ड (2) के अधीन नियुक्त पुस्तकालयाध्यक्ष अपने पद का कार्यभार न सम्भाले तब तक कार्य परिषद् ऐसी अवधि, के लिए, जिसे वह उचित समझे, विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी को अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त कर सकती है।
- (4) पुस्तकालयाध्यक्ष की अर्हतायें ऐसी होंगी जैसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किया जायें।
- (5) पुस्तकालयाध्यक्ष की परिलब्धियां ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायें।
- (6) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का अनुरक्षण तथा उसकी सेवाओं को ऐसी रीति से जो अध्यापन कार्य तथा अनुसंधान कार्य के हित में सर्वाधिक सहायक को, संगठित करना पुस्तकालयाध्यक्ष का कर्तव्य होगा।
- (7) पुस्तकालयाध्यक्ष कुलपति के अनुशासनिक नियंत्रण में रहेगा; परन्तु यह कि उसे अनुशासनिक कार्यवाहियों में अपने विरुद्ध कुलपति द्वारा दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा।
- (8) पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी अध्यादेश में अधिकथित की जायें।
- (9) अन्य अधिकारियों और शिक्षणोत्तर कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति और सेवा के निबन्धन और शर्तें और आचार संहिता, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया, सेवा के निबन्धनों और शर्तों और आचार संहिता, जैसा कि अध्यादेश में अधिकथित है, द्वारा शासित होगी।
- (10) खण्ड (9) में निर्दिष्ट अधिकारियों और कर्मचारी वर्गों की परिलब्धियां ऐसी होंगी, जैसी समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

मैनुअल संख्या : 3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिससे पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम से सम्मिलित है

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे:-

- (क) कार्य परिषद्
- (ख) विद्या परिषद्
- (ग) योजना बोर्ड
- (घ) अध्ययन केन्द्र
- (ङ.) वित्त समिति; और
- (च) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होने के लिये घोषित किये जायें।

कार्य परिषद् :-

कार्य परिषद् का गठन उसकी पदावधि तथा कृत्य एवं शक्तियां (धारा 17)

(1) कार्य-परिषद् में निम्नलिखित होंगे:-

- (क) कुलपति अध्यक्ष
- (ख) परिनियम 13 में उल्लिखित विद्या शाखा से ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित दो निदेशक; सदस्य
- (ग) ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक आचार्य; सदस्य
- (घ) ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक उपाचार्य; सदस्य
- (ङ.) ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक प्राध्यापक; सदस्य
- (च) कुलपति द्वारा प्रस्तुत किये गये विशेषज्ञता के निम्नलिखित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले पन्द्रह नामों के पैनल (सूची) में से कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले चार व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हैं-
 - (एक) दो प्रख्यात शिक्षाविद सदस्य
 - (दो) अग्रणी उद्योग से दो व्यक्ति सदस्य
- (छ) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति या उसका नाम -निर्देशिती जो प्रति उप कुलपति से निम्न पद का न हो; सदस्य
- (ज) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि पदेन सदस्य

विद्या परिषद् :-

(1) विद्या-परिषद् में निम्नलिखित होंगे-

- (एक) कुलपति अध्यक्ष
- (दो) विद्या-शाखाओं में सभी निदेशकगण सदस्य
- (तीन) ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम में चयनित किये

| | |
|--|-------------|
| जाने वाले दो आचार्य, दो उपाचार्य और दो प्राध्यापक | सदस्य |
| (चार) पुस्तकालयाध्यक्ष | सदस्य |
| (पांच) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित | |
| एक व्यक्ति जो संयुक्त सचिव से निम्न पंक्ति का न हो | सदस्य |
| (छः) ऐसी रीति में, जैसा विद्या-परिषद् उचित समझे, सहयोजित | |
| किये जाने वाले शिक्षा के क्षेत्र में पांच व्यक्ति | सदस्य |
| (सात) कुलसचिव | सदस्य/ सचिव |

योजना बोर्ड :-

- (1) योजना बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे-
 - (एक) कुलपति अध्यक्ष;
 - (दो) अध्यापकवर्ग में से; ज्येष्ठता क्रम में, कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट चार व्यक्ति;
 - (तीन) विशेषज्ञता के निम्नलिखित क्षेत्रों में से प्रत्येक से एक व्यक्ति को विशेषज्ञता के लिए कार्य-परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले पांच व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी न हों-
 - (क) वाणिज्यिक प्रबंधन;
 - (ख) विद्वतापूर्ण वृत्तियां ;
 - (ग) विज्ञान/मानविकी/समाज विज्ञान/पर्यावरण;
 - (घ) दूरस्थ शिक्षा; और
 - (ङ.) वाणिज्य तथा उद्योग।
- (2) योजना बोर्ड के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।
- (3) (क) कुलपति और प्रतिकुलपति के सिवाय कोई भी व्यक्ति दो से अधिक कमवर्ती अवधि के लिए योजना बोर्ड का सदस्य नहीं होगा।

(ख) योजना बोर्ड की बैठक ऐसे अंतराल पर होगी, जैसा वह समीचीन समझे, किन्तु इसकी वर्ष में कम से कम दो बार बैठकें होगी।

(ग) बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति योजना बोर्ड के छः सदस्यों द्वारा होगी।
- (4) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय हेतु समुचित कार्यक्रम और क्रियाकलापों को अभिकल्पित और तैयार करेगा और विषय पर जिसे वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझे, उसे कार्य-परिषद् को परामर्श देने का अधिकार होगा;

परन्तु यह कि किसी विषय पर शिक्षा-परिषद् और योजना बोर्ड के मध्य मतभेद होने की दशा में उसे कार्य-परिषद् को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

अध्ययन केन्द्र :-

- (1) विश्वविद्यालय के निम्नलिखित विद्या शाखाएँ होंगें; अर्थात्-
 - (क) मानविकी
 - (ख) समाज विज्ञान
 - (ग) प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य
 - (घ) विज्ञान

- (ड) कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान
- (च) भाषा विज्ञान
- (छ) पर्यटन, होटल प्रबन्धन एवं खाद्य प्रौद्योगिकी (फूड टेक्नोलाजी)
- (ज) ऐसे अन्य पाठ्यक्रम/विद्या शाखा, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय, परन्तु यह कि कार्य-परिषद् द्वारा अनुमोदित तिथि से विद्या शाखा कार्य करना आरम्भ करेंगे।
- (2) कार्य-परिषद्, कुलपति की संस्तुति से विद्या शाखा को एक या अधिक विषय सौंप सकती है, जैसा कि कृत्यों के उचित निर्वहन के हित में हो।
- (3) प्रत्येक विद्या शाखा का एक बोर्ड होगा जिसमें निम्नलिखित होंगे—
- | | |
|---|---------|
| (क) विद्या शाखा का निदेशक | अध्यक्ष |
| (ख) विद्या शाखा के सभी आचार्य | सदस्य |
| (ग) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित दो उपाचार्य | सदस्य |
| (घ) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित दो प्राध्यापक | सदस्य |
- (4) कुलपति के सिवाय विद्या शाखा बोर्ड के सदस्यों की अवधि दो वर्ष होगी।
- (5) 3 (क) तथा 3 (ख) के सिवाय, कोई भी व्यक्ति लगातार दो से अधिक अवधि के लिए विद्या शाखा बोर्ड का सदस्य नहीं रह सकेगा।
- (6) विद्या शाखा बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:—
- (एक) विद्या शाखा में अनुसंधान कार्यों का संवर्धन;
- (दो) शैक्षिक परिषद् के निर्देशों के अनुसार विद्या शाखा के शैक्षिक कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम के ढांचे को अनुमोदित करना;
- (तीन) कुलपति द्वारा गठित विशेषज्ञ-समिति (समितियों) के परामर्श पाठ्यक्रम ढांचे के अनुसार पाठ्यक्रम का अनुमोदन;
- (चार) विद्या शाखा को समनुदेशित विद्याओं के आचार्यों के परामर्श से तैयार किये गये विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, अध्ययन केन्द्र में निदेशक के प्रस्ताव पर, पाठ्यक्रम लेखकों, परीशकों और अनुसंगकों (मॉडरेटर) के नामों को कुलपति को संस्तुत करना और;
- (पांच) अन्य विद्या शाखा के सहयोग से पाठ्यक्रम लेखकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव तैयार करना;
- (छ:) उप शिक्षकों (ट्यूटर्स) और परामर्शियों के लिए कार्यक्रमों/पुनश्चर्या/ग्रीष्म कालीन पाठ्यक्रमों अथवा संगोष्ठियों के लिए प्रस्ताव तैयार करना;
- (सात) विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए सामान्य अनुदेश तैयार करना;
- (आठ) विद्या शाखा के समनुदेशित विद्याओं के पाठ्यक्रम के लिए शैक्षिक सामग्री की तैयारी के लिए अपनायी गयी कार्य-प्रणालियों की समीक्षा करना, शैक्षिक सामग्री का मूल्यांकन करना, और विद्या परिषद् को उपयुक्त संस्तुतियां करना;
- (नौ) पहले से प्रयोग में चल रहे पाठ्यक्रमों का समय-समय पर, यदि आवश्यक हो तो, बाहरी विशेषज्ञों की सहायता से समीक्षा करना और पाठ्यक्रमों में ऐसे परिवर्तन करना, जो अपेक्षित हों;

(दस) अध्ययन/सम्पर्क/कार्यक्रम केन्द्रों की सुविधाओं और प्रयोगशाला/क्षेत्र कार्य के लिए सुविधाओं की नियत कालिक रूप से, जैसा कि विद्या शाखाओं द्वारा अवधारित किया जाय, समीक्षा करना;

(ग्यारह) ऐसे समस्त अन्य कृत्यों का निष्पादन, जो अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें, और सभी ऐसे विषयों पर विचार करना जो उसे कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, योजना बोर्ड या कुलपति द्वारा निर्दिष्ट किये जायें, और

(बारह) ऐसी सामान्य या विशिष्ट शक्तियों को, जो समय-समय पर विद्या शाखा द्वारा विनिश्चित की जायें, निदेशक बोर्ड के या किसी अन्य सदस्य या किसी समिति को प्रत्यायोजित करना।

वित्त समिति :-

(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे—

| | |
|--|------------|
| (क) कुलपति | अध्यक्ष |
| (ख) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव या उसका नामित अधिकारी | सदस्य |
| (ग) राज्य सरकार के वित्त विभाग का सचिव या उसका नामित अधिकारी | सदस्य |
| (घ) कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी न हो | सदस्य |
| (ङ) वित्त अधिकारी | सदस्य सचिव |

** सचिव कुलाधिपति के पत्र संख्या 3942/ जी0एस0/ शिक्षा -सी7-1/2010 दिनांक 3 फरवरी, 2011 द्वारा प्राप्त संशोधन के अनुसार।*

(2) वित्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

(3) वित्त समिति, कार्यपरिषद् को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बंधित विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय तथा संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारण से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद् पर बाध्यकर होगी।

(4) जब तक वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा सिफारिश न की जाय, कार्य परिषद् उस पर कोई निर्णय नहीं लेगी और यदि कार्यपरिषद् वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो वो निर्दिष्ट प्रस्ताव को अपने असहमति के कारणों के साथ वित्त समिति को वापिस करेगी और यदि कार्यपरिषद् पुनः वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(5) यदि कार्यपरिषद् वार्षिक वित्तीय अनुमान (अर्थात् बजट) पर विचार करने के पश्चात् किसी समय उसमें किसी ऐसे पुनरीक्षण का प्रस्ताव करें, जिसमें आवर्ती या अनावर्ती व्यय अन्तर्गस्त हो, तो कार्य परिषद् वित्त समिति को प्रस्ताव निर्दिष्ट करेगी।

(6) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किया गया विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा वित्तीय अनुमान वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ और तत्पश्चात् कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(7) वित्त समिति के सदस्य उसके किसी विनिश्चय से सहमत न हो तो असहमति टिप्पणी अभिलिखित करने का अधिकार होगा।

- (8) लेखाओं की जांच करने तथा व्यय के प्रस्तावों की समीक्षा करने के लिए वित्त समिति का प्रति वर्ष कम से कम दो बार बैठक होगी।

अन्य प्राधिकारी :- अन्य प्राधिकारियों का जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायें, गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

मैनुअल संख्या : 4

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

विश्वविद्यालय के कृत्यों का निष्पादन विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। कृत्यों के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के रूप में कार्य परिषद्, वित्त समिति, शैक्षिक परिषद् आदि हैं, विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुरूप कृत्यों का निर्वहन किया जाता है।

मैनुअल संख्या : 5

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख.

1. उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम—

“भारत का सविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक 2005 पर दिनांक 27 अक्टूबर, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 23, सन् 2005 के रूप में उत्तरांचल शासन, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 608/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005, देहरादून, 31 अक्टूबर, 2005 द्वारा अधिसूचित किया गया। जो कि लिंक <http://www.uou.ac.in/sites/default/files/2020-09/UOU-ACT-2005.pdf> पर उपलब्ध है।

2. विश्वविद्यालय परिनियमावली—

विश्वविद्यालय के कार्यों के सुचारु संचालन हेतु उत्तराखण्ड शासन शिक्षा अनुभाग-6 अधिसूचना 09 जून 2009 ई0 की संख्या 69/उच्च शिक्षा विभाग-राज्यपाल, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 23 वर्ष, 2005) उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा- 31 के उपबंधों (1) के अधीन विश्वविद्यालय की परिनियमावली तैयार कर प्रख्यापित की गयी है, जिसमें समय-समय पर संशोधन किये गये हैं।

3. प्रथम अध्यादेश —

विश्वविद्यालय के कार्यों के सुचारु संचालन हेतु उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय प्रथम अध्यादेश तैयार किया गया है, जो कि लिंक <http://www.uou.ac.in/sites/default/files/2019-12/First-Ordinance-2009.pdf> पर उपलब्ध है।

विश्वविद्यालय कार्यालय का पता:—

तीनपानी, बाई-पास रोड,
ट्रान्सपोर्टनगर के समीप,
हल्द्वानी (नैनीताल) – 263 139

दूरभाष नं0—

1. कुलसचिव कार्यालय— 05946-286005 ई-मेल— registraroffice@uou.ac.in
2. कुलपति कार्यालय—05946-286009, ई-मेल— vco@uou.ac.in
3. टोल फ्री नं0— 18001804025 फोन नं0— 05946-286000
ई-मेल— info@uou.ac.in

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 पर दिनांक 27 अक्टूबर, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 23, सन् 2005 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005

(अधिनियम संख्या 23, वर्ष 2005)

उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय नाम से ज्ञात विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में उत्तरांचल विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो:-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 है।
- (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं :-

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (क) “विद्या परिषद्” और “कार्य परिषद्” से विश्वविद्यालय की क्रमशः विद्या परिषद् और कार्य परिषद् अभिप्रेत हैं;
- (ख) “मान्यता बोर्ड” से विश्वविद्यालय का मान्यता बोर्ड अभिप्रेत है;
- (ग) “महाविद्यालय” से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या ऐसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था अभिप्रेत है;
- (घ) “दूर शिक्षा पद्धति” से संचार के किसी माध्यम से यथा प्रसारण, दूर दृश्य प्रसारण, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमीनार, सम्पर्क कार्यक्रम अथवा ऐसे किसी दो या अधिक साधनों के संयोजन द्वारा शिक्षा देने की प्रणाली अभिप्रेत है;
- (ङ.) “वित्त समिति” से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;
- (च) “अन्य पिछड़े वर्गों” से समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं;
- (छ) “योजना बोर्ड” से विश्वविद्यालय का योजना बोर्ड अभिप्रेत है;

- (ज) "विहित" से परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (झ) "विद्यालय" से विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र अभिप्रेत हैं;
- (ञ) "परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों" से विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश और विनियम अभिप्रेत हैं;
- (ट) "विद्यार्थी" से विश्वविद्यालय का विद्यार्थी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जिसने विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु अपना नामांकन कराया है;
- (ठ) "अध्ययन केन्द्र" से विद्यार्थियों को सलाह देने या परामर्श देने या उनके द्वारा अपेक्षित अन्य सहायता देने के प्रयोजन से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त केन्द्र अभिप्रेत है;
- (ड) "क्षेत्रीय केन्द्र" से प्रदेश में स्थापित अध्ययन क्षेत्रों के कार्यों में समन्वय/निरीक्षण तथा अन्य कार्यों में सम्पादन के लिये विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित क्षेत्रीय केन्द्र अभिप्रेत हैं;
- (ढ) "शिक्षक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिये विद्यार्थी का मार्गदर्शन करने या उसकी सहायता करने के लिये विश्वविद्यालय में शिक्षण देने के लिये नियोजित हो और इसके अन्तर्गत महाविद्यालय के प्राचार्य या निदेशक भी हैं;
- (त) "विश्वविद्यालय" से धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;
- (थ) "कर्मचारी" से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई कर्मचारी अभिप्रेत है जिसमें शिक्षक तथा विश्वविद्यालय का अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द भी सम्मिलित है;
- (द) "कुलाधिपति तथा कुलपति" से विश्वविद्यालय के क्रमशः कुलाधिपति तथा कुलपति अभिप्रेत हैं।

अध्याय—2

विश्वविद्यालय एवं उसके उद्देश्य

3. विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन :-

- (1) "उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय" के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।
- (2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय हल्द्वानी में होगा तथा वह राज्य में ऐसे अन्य स्थानों पर, जिन्हें वह उचित समझे, महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र स्थापित या अनुरक्षित कर सकेगा।
- (3) कुलपति, कार्य परिषद एवं विद्या परिषद् के सदस्यों की हैसियत से विश्वविद्यालय में तत्समय में पदधारक, उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे।
- (4) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा एक सामान्य मुद्रा (सील) होगी तथा वह उक्त नाम से वाद लायेगा एवं उस पर वाद लाया जायेगा।

4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य :-

विश्वविद्यालय, दूर शिक्षा पद्धति के माध्यम से जिसमें किसी संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग भी है, अधिसंख्यक जनसमुदाय में शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में अभिवृद्धि करेगा और अपने क्रियाकलापों को संचालित करने में अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों का सम्यक् ध्यान रखेगा।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियां :-

विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्—

- (I) ज्ञान प्रौद्योगिकी वृत्तियों एवं व्यवसायों की ऐसी शाखाओं में जैसी विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय, शिक्षण हेतु व्यवस्था करना तथा अनुसंधान और प्रायोजित अनुसंधान की व्यवस्था करना;
- (II) उपाधियों, उपाधि-पत्रों, प्रमाण-पत्रों अथवा किसी अन्य प्रयोजन हेतु शिक्षण पाठ्यक्रमों को योजित एवं विहित करना;
- (III) परिनियमों एवं अध्यादेशों द्वारा अधिकथित रीति के अनुसार, परीक्षाओं का आयोजन तथा ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है या अनुसंधान किया है, उपाधियों, उपाधि-पत्रों अथवा अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें या मान्यतायें प्रदान करना;
- (IV) विहित रीति के अनुसार, मानद उपाधियाँ अथवा अन्य विशिष्टतायें प्रदान करना;
- (V) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रम के सम्बन्ध में दूर शिक्षा का प्रायोजन करने की रीति का निर्धारण करना;
- (VI) शिक्षण देने के लिये या शैक्षणिक सामग्री तैयार करने के लिये या ऐसे अन्य शैक्षणिक क्रियाकलापों का संचालन करने के लिये जिनके अन्तर्गत पाठ्यक्रमों के लिये मार्गदर्शन, उनकी रूपरेखा तैयार करना और उनका प्रस्तुतिकरण भी है, और छात्रों द्वारा किये गये कार्य के मूल्यांकन के लिये, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक से सम्बन्धित पद और अन्य शैक्षणिक पद संस्थित करना और ऐसे आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और अन्य शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;
- (VII) अन्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थाओं, वृत्तिक निकायों और संगठनों के साथ ऐसे प्रयोजनों के लिये, जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, सहयोग करना और उनका सहयोग प्राप्त करना;
- (VIII) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, पुरस्कार और योग्यता की मान्यता के लिये ऐसे अन्य पारितोषिक संस्थित करना और देना, जो विश्वविद्यालय ठीक समझे;
- (IX) ऐसे क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करना और बनाये रखना जो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अवधारित किये जायें;
- (X) विहित रीति से अध्ययन केन्द्र स्थापित करना और बनाये रखना या मान्यता देना;
- (XI) शैक्षणिक सामग्री जिसके अन्तर्गत फिल्में, कैसेट, टेप, विडियोकैसेट और अन्य सॉफ्टवेयर हैं, तैयार करने के लिये व्यवस्था करना;
- (XII) शिक्षकों, पाठ्यलेखकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द के लिये पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कार्यशालायें, विचार गोष्ठियाँ और अन्य कार्यक्रम आयोजित करना और उनका संचालन करना;

- (XIII) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं या उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थानों में परीक्षाओं या अध्ययन की अवधियों को, चाहे पूर्णतः या भागतः, विश्वविद्यालय में परीक्षाओं या अध्ययन की अवधियों के समतुल्य रूप में मान्यता देना और किसी भी समय ऐसी मान्यता को वापस लेना;
- (XIV) शैक्षिक प्रौद्योगिकी और सम्बन्धित विषयों में, अनुसंधान, प्रायोजित अनुसंधान तथा विकास के लिए व्यवस्था करना;
- (XV) प्रशासकीय, लिपिक वर्गीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना;
- (XVI) विश्वविद्यालय के प्रयोजन हेतु संदान, दान और उपहार ग्रहण करना तथा न्यासीय और राजकीय सम्पत्ति सहित किसी भी चल या अचल सम्पत्ति का उपार्जन, धारण, अनुरक्षण तथा निस्तारण करना;
- (XVII) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों हेतु राज्य सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर या अन्यथा, ऋण पर धन प्राप्त करना;
- (XVIII) संविदायें करना, उनको कार्यान्वित, परिवर्तित अथवा निरस्त करना;
- (XIX) अध्यादेशों द्वारा अधिकथित फीस और अन्य प्रभारों की मांग एवं प्राप्ति करना;
- (XX) छात्रों और सभी प्रवर्गों के कर्मचारियों के बीच अनुशासन की व्यवस्था करना, नियंत्रण करना और उसे बनाये रखना और ऐसे कर्मचारियों की सेवा शर्तों को जिनके अन्तर्गत उनकी आचरण संहिता भी हैं, अधिकथित करना;
- (XXI) संविदा पर या अन्यथा अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों के जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अभिवृद्धि में योगदान कर सकें, नियुक्त करना;
- (XXII) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं या संगठनों में कार्यरत व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो अध्यादेश द्वारा अधिकथित की जाय, मान्यता लेना;
- (XXIII) विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिये शर्तें विनिर्दिष्ट करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन और परीक्षण की कोई अन्य रीति है;
- (XXIV) कर्मचारियों के साधारण स्वास्थ्य और कल्याण की अभिवृद्धि के लिये प्रबन्ध करना;
- (XXV) परिनियमों में विहित रीति से किसी महाविद्यालय या किसी क्षेत्रीय केन्द्र को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना;
- (XXVI) ऐसे सभी कार्य करना जो विश्वविद्यालय को ऐसी सभी या किन्हीं शक्तियों के, जो आवश्यक हैं, प्रयोग से आनुषंगिक हों और विश्वविद्यालयों के सभी या किन्हीं उद्देश्यों के संप्रवर्तन में सहायक हों।

6. शक्तियों को प्रादेशिक प्रयोग :-

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय को अपनी शक्तियों के प्रयोग में, अधिकारिता सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगी।

7. विश्वविद्यालय का सभी वर्गों और पन्थों के लिये खुला होना :-

- (1) विश्वविद्यालय, वर्गों और पन्थों का विचार किये बिना, सभी व्यक्तियों के लिये, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिये ऐसे किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में प्रवेश प्राप्त करने या उसमें उपाधि प्राप्त करने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपयोग करने या प्रयोग का हकदार बनाने के लिये कोई भी धार्मिक विश्वास या मान्यता का मानदण्ड अपनाना, उस पर अधिरोपित करना विधिपूर्ण नहीं होगा।
- (2) उपधारा 1 की कोई बात विश्वविद्यालय को स्त्रियों का समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों, विशिष्टतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को नियुक्ति या प्रवेश के लिये विशेष उपबन्ध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जायेगी।

अध्याय –3

निरीक्षण तथा जांच

8. निरीक्षण तथा जांच :-

- (1) उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन रहते हुए कुलाधिपति को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दें, विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र जिसके अन्तर्गत उनके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला और उपस्कर भी हैं, और विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या अध्ययन केन्द्र द्वारा संचालित या ली गयी परीक्षाओं, शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण करने या विश्वविद्यालय या ऐसे महाविद्यालय या ऐसे केन्द्रों के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी विषय के संबंध में उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा।
- (2) कुलाधिपति प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जांच कराने के अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को देगा तथा विश्वविद्यालय को ऐसी सूचना की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अथवा कुलाधिपति द्वारा निर्धारित समय में, ऐसी जांच में, यदि आवश्यक समझे तो सम्मिलित होने का अधिकार होगा।
- (3) विश्वविद्यालय द्वारा किये गये अभ्यावेदन पर, यदि कोई है, विचार करने के पश्चात् कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जांच करायेंगे जैसी कि उपधारा (2) में निर्दिष्ट है।
- (4) कुलाधिपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा यदि कोई निरीक्षण या जांच की जानी है तो विश्वविद्यालय को एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा, जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने तथा सुने जाने का अधिकार होगा।
- (5) कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम में अपने विचार और उस पर कार्यवाही किये जाने के संदर्भ में, जो वह कहना चाहें और कुलपति को सम्बोधित कर सकेंगे। कुलाधिपति द्वारा सम्बोधित पत्र को कुलपति इस निरीक्षण अथवा जांच के परिणाम को तुरन्त कार्य परिषद् को संसूचित करेंगे और कुलाधिपति के विचार तथा परामर्श पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में बतायेंगे।
- (6) कार्य परिषद्, कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में सूचित करेंगे।

- (7) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय में कुलाधिपति के समाधानप्रद रूप में कार्यवाही नहीं करते हैं तो कुलाधिपति विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी भी प्रत्यावेदन व स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जो वह उचित समझते हैं, जारी कर सकते हैं और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी उन निदेशों को मागने के लिये बाध्य होंगे।
- (8) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की ऐसी कार्यवाहियों को निष्प्रभावी कर सकता है, जो कि अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के संगत न हों :
- परन्तु ऐसा आदेश करने से पूर्व वह विश्वविद्यालय से यह कारण दर्शित करने के लिए कहेगा कि इस प्रकार का आदेश क्यों न किया जाय और यदि समुचित समय के अन्तर्गत कोई युक्तियुक्त कारण बताया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा।
- (9) कुलाधिपति की ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।

अध्याय –4

विश्वविद्यालय के अधिकारी

09. विश्वविद्यालय के अधिकारी :-

विश्वविद्यालय के निम्न अधिकारी होंगे :-

- (क) कुलाधिपति;
- (ख) कुलपति;
- (ग) निदेशक;
- (घ) कुलसचिव;
- (ङ.) वित्त अधिकारी
- (च) परीक्षा नियंत्रक; और
- (छ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

10. कुलाधिपति :-

- (1) राज्यपाल, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और जब वह उपस्थित हो तो विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का सभापतित्व करेगा।
- (2) सम्मानिक उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति की पुष्टि के अधीन होगी।
- (3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से सम्बन्धित ऐसी जानकारी या अभिलेख, जिन्हें कुलाधिपति मांगे, प्रस्तुत करे।
- (4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदान की जाये।

11. कुलपति :-

- (1) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति द्वारा उस रीति से, उस अवधि के लिये और उन उपलब्धियों और अन्य सेवा शर्तों पर, जैसी कि विहित की जायें, नियुक्त किया जायेगा:

परन्तु विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा और वह तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

- (2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक व कार्यपालक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

- (3) यदि कुलपति के मतानुसार किसी विषय पर तत्काल कार्यवाही आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है तथा ऐसे विषय पर स्वयं द्वारा कृत कार्यवाही को ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को संसूचित करेगा :

परन्तु यह कि यदि संबंधित प्राधिकारी के मतानुसार ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी तो वह विषय को कुलाधिपति को निर्देशित कर सकता है जिसका उस विषय पर विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के संबंध में विनिश्चय से संसूचित किये जाने के नब्बे दिनों के भीतर कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरि कार्य परिषद्, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगी या उसे उलट सकती है।

- (4) यदि कुलपति यह समझते हैं कि किसी प्राधिकारी का विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त प्राधिकारी की शक्तियों के परे है या यह है कि किया गया कोई विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो वह संबंधित प्राधिकारी को ऐसे विनिश्चय के साठ दिन के भीतर अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के लिये कह सकेगा और यदि प्राधिकारी अपने विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनर्विलोकन करने से इन्कार करता है या साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर उसके द्वारा कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा:

परन्तु संबंधित प्राधिकारी का विनिश्चय, यथास्थिति, प्राधिकारी या कुलाधिपति द्वारा इस उपधारा के अधीन ऐसे विनिश्चय के पुनर्विलोकन की अवधि के दौरान निलम्बित रहेगा।

- (5) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेश द्वारा विहित किये जायें।

12. निदेशक :-

प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति, ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों पर, जैसी कि परिनियमों द्वारा विहित की जायें, की जायेगी।

13. कुलसचिव :-

- (1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों पर की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।
- (2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने का अधिकार होगा।

14. वित्त अधिकारी :-

वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से और ऐसी उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों पर की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

15. अन्य प्राधिकारी :-

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, उनकी उपलब्धियां, शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

अध्याय—5

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

16. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी :-

विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे:-

- (क) कार्य परिषद्
- (ख) विद्या परिषद्
- (ग) योजना बोर्ड
- (घ) अध्ययन केन्द्र
- (ङ.) वित्त समिति; और
- (च) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होने के लिये घोषित किये जायें।

17. कार्य परिषद् :-

- (1) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा।
- (2) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होंगे, जो विहित किये जायें।

18. विद्या परिषद् :-

- (1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय के भीतर विद्या, शिक्षा, शिक्षण, मूल्यांकन और परीक्षा के स्तरमानों का नियन्त्रण और साधारण विनियमन

करेगी और उनको बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसको प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किये जायें।

- (2) विद्या परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

19. योजना बोर्ड :-

- (1) विश्वविद्यालय का एक योजना बोर्ड गठित किया जायेगा जो विश्वविद्यालय का प्रधान योजना निकाय होगा और वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों में उपदर्शित आधारों पर विश्वविद्यालय के विकास को निर्देशित करने के लिये भी उत्तरदायी होगा।
- (2) योजना बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उनकी शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

20. अध्ययन केन्द्र :-

- (1) अध्ययन केन्द्र इतनी संख्या में होंगे जितनी विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे।
- (2) अध्ययन केन्द्रों का गठन, शक्तियां और कार्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

21. वित्त समिति :-

वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

22. अन्य प्राधिकारी :-

अन्य प्राधिकारियों का जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायें, गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

अध्याय -6

विश्वविद्यालय निधि

23. विश्वविद्यालय निधि की स्थापना :-

विश्वविद्यालय द्वारा निधि के नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित की जायेगी।

24. निधि का गठन :-

विश्वविद्यालय निधि निम्नांकित तरीकों से प्राप्त धन से निर्मित होगी:-

- (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी निगमित निकाय द्वारा प्रदत्त ऋण, अंशदान अथवा अनुदान;
- (ख) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास तथा अन्य अनुदान, यदि कोई हो;
- (ग) विश्वविद्यालय की सभी स्रोतों से आय जिसमें फीस तथा प्रभार से आय भी सम्मिलित हैं;
- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य सभी राशि।

- (ड) विश्वविद्यालय निधि को, कार्य परिषद् के विवेक पर, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में रखा जायेगा अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) द्वारा प्राधिकृत प्रतिभूतियों में विनिहित किया जायेगा।
- (च) इस धारा की कोई बात, किसी न्यास के प्रशासन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित न्यास की घोषणा द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार की गयी या उस पर अधिरोपित किसी बाध्यता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालेगी।

25. उद्देश्य जिनके लिए विश्वविद्यालय निधि का उपयोग किया जायेगा :-

विश्वविद्यालय निधि निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयुक्त की जायेगी:-

- (क) इस अधिनियम व परिनियमों तथा अध्यादेश तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये ऋणों का भुगतान करने के लिए;
- (ख) विश्वविद्यालयों की उसके विभागों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों तथा छात्रावासों की सम्पत्ति बनाये रखने के लिए;
- (ग) विश्वविद्यालय निधि की सम्परीक्षा की लागत का भुगतान करने के लिए;
- (घ) किसी वाद या कार्यवाही जिसका विश्वविद्यालय एक पक्षकार है, के व्यय के लिए;
- (ङ.) विश्वविद्यालय उसके विभागों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारीवृन्द के वेतन व भत्तों का भुगतान तथा इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों व उसके अधीन बनाये गये विनियमों के प्रयोजनों को अग्रसर करने व अन्य लाभाशों का भुगतान करने के लिए;
- (च) इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों व विनियमों के किसी उपबन्ध के अनुसरण में प्राधिकारियों के सदस्यों के यात्रा भत्तों व अन्य भत्तों का भुगतान करने के लिए;
- (छ) विद्यार्थियों को अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों तथा अन्य पुरस्कारों का भुगतान करने के लिए;
- (ज) इस अधिनियम और परिनियमों, अध्यादेशों व उसके अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा आगत अन्य खर्चों का भुगतान करने के लिए;
- (झ) ऐसे अन्य खर्चों का भुगतान जिनका उल्लेख पूर्ववर्ती खण्डों में नहीं किया गया परन्तु जिन्हें विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए खर्च किया जाना कार्य परिषद् आवश्यक समझती हो।

व्यय सीमा से अधिक न होना :-

कार्य परिषद् द्वारा निर्धारित किसी वर्ष में आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय की सीमा से अधिक व्यय विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।

26. व्यय अनुमोदन पर किया जाना:-

कार्य परिषद् की पूर्वानुमति के बिना बजट में उपबन्धित के सिवाय कोई व्यय विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।

अध्याय –7

परिनियम, अध्यादेश और विनियम

27. परिनियम :-

इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियमों में विश्वविद्यालय से संबंधित किसी विषय के लिये उपबन्ध किया जा सकेगा, जो विशिष्टतः उसमें निम्नलिखित उपबन्ध किये जायेंगे:-

- (क) कुलपति की नियुक्ति की रीति, उसकी नियुक्ति की अवधि, उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें तथा शक्तियां और कृत्य जिनका उसके द्वारा प्रयोग और पालन किया जायेगा;
- (ख) निदेशकों, कुलसचिव, वित्त अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, उपलब्धियां और उनकी सेवा की शर्तें, शक्तियां तथा कृत्य, जिनका उक्त ऐसे अधिकारियों में से प्रत्येक के द्वारा प्रयोग और पालन किया जा सकेगा;
- (ग) कार्य परिषद् और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, ऐसे प्राधिकारियों के सदस्यों की पदावधियां व शक्तियां तथा कृत्य, जिनका प्रयोग और पालन ऐसे अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा;
- (घ) अध्यापकों तथा विश्वविद्यालयों के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी उपलब्धियां तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें;
- (ङ.) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;
- (च) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की कार्यवाही के विरुद्ध विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक, कर्मचारी या छात्र द्वारा किसी अपील या पुनर्विलोकन के लिये किसी आवेदन के संबंध में प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत वह समय है, जिसके भीतर ऐसी अपील या पुनर्विलोकन के लिये आवेदन किया जायेगा;
- (छ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे के लिये प्रक्रिया;
- (ज) अन्य सभी विषय जो अधिनियम के अधीन परिनियमों द्वारा उपबंधित किये जाने हैं या किये जायें;
- (झ) प्रतिपादन व्यवस्था में दूरस्थ शिक्षा परिषद् के सिद्धान्तों का अनुपालन किया जायेगा।

28. परिनियम कैसे बनाये जायेंगे :-

- (1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर बनाये जायेंगे।
- (2) कार्य परिषद् नये और अतिरिक्त परिनियम समय-समय पर बना सकेगी, या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी:

परन्तु कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाला कोई परिनियम तब तक नहीं बनायेगी, उसका संशोधन नहीं करेगी या उसका निरसन नहीं करेगी जब तक ऐसे प्राधिकारी को प्रस्थापित परिवर्तनों पर

अपनी राय विहित रूप में अभिव्यक्त करने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार न किया गया हो।

- (3) प्रत्येक नया परिनियम या किसी परिनियम में परिवर्धन या किसी परिनियम में संशोधन या निरसन कुलाधिपति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा या अपनी अनुमति विधारित कर सकेगा या उस पर अग्रेतर विचार करने के लिये कार्य परिषद् को भेज सकेगा।
- (4) कोई नया परिनियम या किसी विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाला कोई परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कुलाधिपति द्वारा उसकी अनुमति न दे दी गयी हो।
- (5) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि के दौरान नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।
- (6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात कि होते हुए भी कुलाधिपति अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में कार्य परिषद् को निर्देश दे सकेगा कि परिनियम में उपबन्ध किया जाय और यदि कार्य परिषद् ऐसे निर्देश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर ऐसे निर्देश को कार्यान्वित करने में असमर्थ है तो कुलाधिपति, कार्य परिषद् द्वारा ऐसे निर्देश का पालन करने में अपनी असमर्थता के लिये संसूचित किये गये कारणों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् परिनियम बना सकेगा या उनका यथोचित रूप में संशोधन कर सकेगा।

29. अध्यादेश :-

- (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा, अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या किये जायें;
- (2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों के लिए उपबन्ध किये जायेंगे, अर्थात्:-
 - (क) छात्रों का प्रवेश, पाठ्यक्रम और उनके लिए फीस, उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों और अन्य पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित अर्हताओं, अध्येतावृत्तियों, पारितोषकों और वैसी ही अन्य बातों की मंजूरी के लिए शर्तें;
 - (ख) परीक्षाओं का संचालन जिनके अन्तर्गत परीक्षकों के निबन्धन और उनकी नियुक्ति भी है, और
- (3) प्रथम अध्यादेश राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कुलपति द्वारा बनाये जायेंगे, और इस प्रकार बनाये गये अध्यादेश ऐसी रीति से जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कार्य परिषद् द्वारा किसी भी समय संशोधित, निरसित या परिवर्तित किये जा सकेंगे।

30. विनियम :-

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी स्वयं अपने और अपने द्वारा नियुक्त की गयी समितियों, यदि कोई हों, के कार्य संचालन के लिए और जिसका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबन्ध नहीं किया गया है, ऐसी रीति से जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जायें, ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हैं।

अध्याय – 8

वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा

31. वार्षिक प्रतिवेदन :-

- (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किया जायेगा जिसके अन्तर्गत अन्य विषयों के साथ, विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में किये गये उपाय होंगे।
- (2) इस प्रकार तैयार किया गया वार्षिक प्रतिवेदन कुलपति को ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाय।
- (3) उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेगी, जो उसे यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखवायेगी।

32. लेखा और लेखा परीक्षा :-

- (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन-पत्र, कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तरांचल या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें कुलाधिपति इस निमित्त प्राधिकृत करें, प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अन्तरालों पर, उनकी लेखा परीक्षा की जायेगी।
- (2) वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र की एक प्रति उस पर लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन के सम्प्रेक्षणों के साथ कुलाधिपति को, कार्य परिषद्, यदि कोई हो, के साथ प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर से पूर्व प्रस्तुत की जायेगी। वार्षिक लेखा की एक प्रति लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार को भी प्रस्तुत की जायेगी जो उसे यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।
- (3) वार्षिक लेखा पर कुलाधिपति द्वारा किए गए सम्प्रेक्षण कार्य परिषद् के ध्यान में लाए जायेंगे।

33. अधिभार :-

- (1) धारा 9 के खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ) तथा (च) में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिये अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हो।
- (2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

अध्याय—9

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

34. कर्मचारियों की सेवा शर्तें :-

- (1) इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय का कर्मचारी जिसके अन्तर्गत अध्यापक भी हैं, लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा तथा ऐसी संविदा, इस अधिनियम, परिनियमों एवं अध्यादेशों से असंगत नहीं होगी।
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट संविदा विश्वविद्यालय में प्रस्तुत की जानी होगी तथा उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी।

35. माध्यस्थम अधिकरण :-

- (1) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी या अध्यापक के बीच धारा-36 में निर्दिष्ट नियोजन की किसी संविदा से पैदा होने वाला कोई विवाद, किसी भी पक्ष के अनुरोध पर माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी या अध्यापक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला अधिनिर्णायक होगा।
- (2) ऐसा प्रत्येक निर्देश माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के अर्थान्तर्गत इस धारा के निबंधनों पर माध्यस्थम के लिए निवेदन समझा जायेगा।

36. भविष्य एवं पेंशन निधियां :-

- (1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों एवं अध्यापकों के फायदे कि लिये ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जाय, ऐसी भविष्य एवं पेंशन निधियों का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा, जैसी वह उचित समझे।
- (2) जहाँ ऐसी किसी भविष्य या पेंशन निधि का इस प्रकार गठन किया गया हो, वहाँ राज्य सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबन्ध ऐसी निधि पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो।

अध्याय—10

प्रकीर्ण

37. विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद :-

यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया हो या उसका सदस्य होने का हकदार है, तो यह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

38. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना :-

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में सभी आकस्मिक रिक्तियां यथाशीघ्र सुविधानुसार ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जायेंगी, जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य

उस अवशिष्ट अवधि के लिये होगा, जिसके दौरान वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता।

39. रिक्तियों के कारण विश्वविद्यालय प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाही का अविधिमान्य न होना :-

विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

40. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिये संरक्षण :-

कोई विवाद या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेश के उपबन्धों में से किसी अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी है या की जाने के लिये तात्पर्यरित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

41. विश्वविद्यालय के कर्मचारीवृन्द :-

- (1) विश्वविद्यालय उतनी संख्या में कर्मचारियों, जिसके अन्तर्गत शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द भी हैं, जितनी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत की जाये, को नियुक्त करेगा। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी परिनियमों द्वारा विहित की जायें।
- (2) विश्वविद्यालय के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जैसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किये जायें।

अध्याय-11

विविध एवं संक्रमणकालीन उपबन्ध

42. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति :-

- (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती हो तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।
- (2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

43. संक्रमणकालीन उपबन्ध :-

- (1) इस अधिनियम एवं परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी—
 - (क) प्रथम कुलपति, प्रथम कुलसचिव तथा प्रथम वित्त अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और उनकी सेवा शर्तें परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से शासित होंगी:
परन्तु प्रथम कुलपति परिनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से दूसरी अवधि के लिये नियुक्ति का पात्र होगा।
 - (ख) प्रथम कार्य परिषद् में पन्द्रह से अनाधिक सदस्य होंगे जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे और तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे।
 - (ग) प्रथम योजना बोर्ड में दस से अनाधिक सदस्य होंगे जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे और वे तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे।

- (2) योजना बोर्ड, इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों और कृत्यों के अतिरिक्त विद्या परिषद् की शक्तियों का प्रयोग तब तक करेगा जब तक कि इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन विद्या परिषद् का गठन नहीं किया जाता और उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, योजना बोर्ड ऐसे सदस्य को सहयोजित कर सकेगा, जो वह विनिश्चित करें।

44. परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना :-

- (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।
- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 23 क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी उत्तरांचल अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं, यदि राज्य विधान सभा, यथास्थिति, परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत होती है या उन्हें अनुमोदित करने के लिए सहमत नहीं होती है तो ऐसा कोई उपान्तरण या निष्प्रभाव परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

अनुसूची
(धारा-4 देखिये)
विश्वविद्यालय के उद्देश्य

- 1 विश्वविद्यालय राज्य के विकास में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए जो राज्य की समृद्ध परम्पराओं पर आधारित हो राज्य की जनता की संस्कृति और उसके मानवीय संसाधनों की उन्नति और अभिवृद्धि के लिए शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण और विस्तारण के माध्यम से, प्रयास करेगा। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह—
 - (क) नियोजन की आवश्यकताओं से सम्बन्धित तथा देश की अर्थव्यवस्था के, उसके प्राकृतिक और मानवीय साधनों के आधार पर, निर्माण के लिए आवश्यक उपाधि, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करेगा और उन्हें विविध प्रकार का बनायेगा;
 - (ख) जनता के बड़े भागों और विशिष्टतया सुविधारहित समूह को, जैसे कि वे समूह जो दूरस्थ व ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, जिनके अन्तर्गत श्रमजीवी जनता, घरेलू महिलायें और ऐसे वयस्क हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के माध्यम से ज्ञान बढ़ाने व अर्जित करने की इच्छा रखते हैं, उच्चतर शिक्षा तक उनकी पहुँच के लिये उपबन्ध करेगा;
 - (ग) शीघ्रता से विकसित और परिवर्तित होने वाले समाज में ज्ञान के अर्जन का संवर्धन करेगा और मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों में नव-परिवर्तन, अनुसंधान, शोध के संदर्भ में ज्ञान, प्रशिक्षण और कुशलता बढ़ाने के लिये लगातार अवसर प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करेगा;
 - (घ) ज्ञान के नये क्षेत्रों में विद्या की अभिवृद्धि करने और उसे विशिष्टतया प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विद्या के तरीकों और गति, पाठ्यक्रमों के मिश्रण, नामांकन की पात्रता, प्रवेश की आयु, परीक्षाओं के संचालन और कार्यक्रमों के प्रवर्तन के सम्बन्ध में सुनिश्चय और निर्बाध विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की नई प्रणाली के लिए उपबन्ध करेगा;
 - (ङ) औपचारिक पद्धति की अनुपूरक अनौपचारिक पद्धति का उपबन्ध करके और विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित पाठों और अन्य सॉफ्टवेयर का व्यापक रूप से उपयोग करके गुणवत्ता के अन्तरण को और शिक्षण कर्मचारीवृन्द के विनिमय को प्रोत्साहित करके शैक्षणिक पद्धति के सुधार में सहयोग देगा;
 - (च) देश की विभिन्न कलाओं, शिल्पों और कुशलताओं में, उनकी गुणवत्ता में सुधार करके जनता के लिये उनकी उपलब्धता में वृद्धि करके शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये उपबन्ध करेगा;
 - (छ) ऐसे कार्यकलापों या संस्थाओं के लिये अपेक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये उपबन्ध या प्रबन्ध करेगा;
 - (ज) अध्ययन के यथोचित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिये उपबन्ध करेगा और अनुसंधान को बढ़ावा देगा;
 - (झ) अपने छात्रों के लिये परामर्श एवं मार्गदर्शन के लिए उपबन्ध करेगा; और
 - (ञ) अपनी नीति एवं कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता व मानव व्यक्तित्व के समन्वित विकास में वृद्धि करेगा।
- 2 विश्वविद्यालय दूर और अनुवर्ती शिक्षा के विविध माध्यमों से उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रयास करेगा और उच्चतर शिक्षा के विद्यमान विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के सहयोग से कृत्य करेगा और नवीनतम ज्ञान का और नई शिक्षण प्रौद्योगिकी का ऐसी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिये जो समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप हो, पूर्ण उपयोग करेगा।

आज्ञा से,

यू०सी० ध्यानी,
सचिव।

नोट— उत्तरांचल मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 में हुए संशोधन 'उत्तराखण्ड विविध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018' सम्बन्धी अभिलेख दिये गये लिंक पर उपलब्ध है।

<http://www.uou.ac.in/sites/default/files/2020-09/The-Act-2018.pdf>

उत्तराखण्ड शासन

शिक्षा अनुभाग-6 अधिसूचना

09 जून, 2009 ई0

संख्या-69/उच्च शिक्षा विभाग-राज्यपाल, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 23 वर्ष, 2005) की धारा 31 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के लिए निम्नवत् प्रथम परिनियमावली बनाते हैं-

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली, 2009

अध्याय-एक प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-

- (1) इस परिनियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली, 2009 है।
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं :-

जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस परिनियमावली में:-

- (क) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;
- (ख) "अध्यापक की आयु" से, संबंधित अध्यापक की जन्मतिथि जो कि अध्यापक की हाई स्कूल या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य परीक्षा के प्रमाण-पत्र में उल्लिखित है, संगणना की तारीख तक, संगणित अभिप्रेत है;
- (ग) "खण्ड" से परिनियम का वह खण्ड अभिप्रेत है, जिसमें उक्त पद आया है;
- (घ) "सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;
- (ङ) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;
- (च) "विश्वविद्यालय" से उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;
- (छ) ऐसे शब्दों तथा पदों के जो अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु इस परिनियमावली में परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिए दिये गये हैं।

अध्याय—दो

कुलाधिपति की शक्तियां

3. कुलाधिपति की शक्तियां – (धारा 10 (4)) :-

- (1) कुलाधिपति किसी ऐसे विषय पर, जो उन्हें धारा 40 के अधीन निर्दिष्ट किया जाय, विचार करते समय विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध पक्षकारों से ऐसे दस्तावेज अथवा सूचना, जिसे वह आवश्यक समझे, मांग सकते हैं, और किसी अन्य मामले में विश्वविद्यालय से कोई दस्तावेज या सूचना मांग सकते हैं और ऐसे आदेश पारित कर सकते हैं, जिसे वह उचित समझें।
- (2) निम्नलिखित किन्हीं परिस्थितियों में कुलाधिपति, किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः मास से अनधिक पदावधि के लिए, जैसा वह विनिर्दिष्ट करें, कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकेंगे—
 - (क) जहां कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण अथवा पद त्याग या पदावधि की समाप्ति या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाये अथवा उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, तो उसकी सूचना कुल सचिव द्वारा कुलाधिपति को तुरन्त दी जायेगी,
 - (ख) जहां कुलपति का पद रिक्त हो जाये और उसे परिनियम 3 के खण्ड (1) से खण्ड (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा तथा शीघ्रता से भरा न जा सकता हो,
 - (ग) किसी अन्य आपात स्थिति में;
परन्तु यह कि कुलाधिपति इस परिनियम के अधीन कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की पदावधि को समय-समय पर बढ़ा सकेंगे, किन्तु इस प्रकार की ऐसी नियुक्ति की कुल पदावधि, जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में नियत अवधि भी है, एक वर्ष से अधिक न हो।
- (3) यदि कुलाधिपति की राय में, कुलपति जानबूझकर अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है, तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते हैं।
- (4) परिनियम 2 के खण्ड (3) में निर्दिष्ट किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अन्यथा आदेश न दिया जाये,
 - (क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा, किन्तु उसे वह परिलब्धियां प्राप्त होती रहेगी, जिनके लिए वह अन्यथा, परिनियम 4 के खण्ड (8) के अधीन हकदार था।
 - (ख) कुलपति के पद के कृत्यों का निर्वहन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

अध्याय—तीन

कुलपति

4. कुलपति की नियुक्ति, पदावधि, परिलब्धियां और शक्तियां तथा कृत्य – (धारा – 11 (1))

- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति द्वारा परिनियम 3 के खण्ड (2) या परिनियम 4 के खण्ड (5) द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा, जिनके नाम परिनियम 4 के खण्ड (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे प्रस्तुत किये गये हों।
- (2) समिति निम्नलिखित सदस्यों से संरचित होगी, अर्थात्:—
 - (क) कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य;
 - (ख) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रख्यात शिक्षाविद;
 - (ग) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव, जो सदस्य संयोजक होगा।
- (3) परिनियम 4 के अधीन, पदावधि की समाप्ति अथवा पदत्याग के कारण, कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से यथाशक्य कम से कम साठ दिन पूर्व और जब कभी भी कुलाधिपति द्वारा अपेक्षा की जाए, ऐसी तारीख के पूर्व, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, समिति कुलाधिपति को कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी, जो कुलपति का पद धारण करने के उपयुक्त हों। समिति कुलाधिपति को नाम प्रस्तुत करते समय ऐसे व्यक्तियों में से, जिनकी संस्तुति की गयी है, प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताओं तथा अन्य विशिष्टताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी, किन्तु वह उनमें कोई अधिमान कम उपदर्शित नहीं करेगी।
- (4) जहां कुलाधिपति ऐसे व्यक्तियों में से, जिनकी संस्तुति की गयी है या जिनकी समिति द्वारा सिफारिश की गयी है, किसी एक या अधिक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किये जाने के उपयुक्त नहीं समझते हैं, अथवा जिन व्यक्तियों की सिफारिश की गयी है उनमें से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हो और कुलाधिपति का चयन तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो तो कुलाधिपति समिति से, परिनियमों के अनुसार, नये नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेंगे।
- (5) यदि समिति परिनियम 4 के खण्ड (3) या परिनियम 4 के खण्ड (4) में निर्दिष्ट दशा में कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी नाम का सुझाव देने में असमर्थ है, या यदि कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये नये नामों में से किसी एक या अधिक को कुलपति नियुक्त किये जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं, तो कुलाधिपति शिक्षा-क्षेत्र में प्रतिष्ठित तीन व्यक्तियों की एक अन्य समिति नियुक्त करेगा, जो परिनियम 4 के खण्ड (3) के अनुसार नाम प्रस्तुत करेगी।
- (6) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं की जायेगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां थीं अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया, जिसके संबंध में बाद में यह पाया जाये कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था।
- (7) कुलपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पर्यन्त पद धारण करेगा;

परन्तु यह कि कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित पत्र द्वारा कुलपति किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्याग पत्र मंजूर कर लिये जाने पर वह अपने पद पर नहीं बना रहेगा।

(8) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलपति की परिलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अवधारित करे।

(9) कुलपति अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन गठित किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि के फायदे का हकदार न होगा;

परन्तु यह कि जब किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय का कोई अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाये तो उसे उस भविष्य निधि में जिसका वह अभिदाता है, अंशदान करते रहने की अनुमति होगी और विश्वविद्यालय का अंशदान उस सीमा तक रहेगा, जिस सीमा तक वह उसके कुलपति नियुक्त होने के ठीक पूर्व अंशदान करता रहा है।

(10) जब तक कि कोई कुलपति परिनियमावली के अधीन अपने पद का कार्यभार न संभाल ले, तब तक विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य कुलपति के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा।

(11) कुलपति—

(क) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय की बैठकों और विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा ;

(ख) विश्वविद्यालय परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए, कि ऐसी परीक्षाओं का परीक्षाफल शीघ्रता से प्रकाशित किया जाता है और विश्वविद्यालय का शिक्षा सत्र समुचित दिनांक को प्रारम्भ और समाप्त होता है, उत्तरदायी होगा।

(12) कुलपति धारा 16 के अधीन यथा उल्लिखित विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।

(13) कुलपति को विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय की बैठक में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह इस परिनियम के अधीन मत देने का हकदार नहीं होगा।

(14) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठापूर्ण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे और धारा 10 तथा 40 के अधीन कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो उस निमित्त आवश्यक हों।

(15) कुलपति को कार्य परिषद्, योजना बोर्ड, विद्या परिषद् वित्त-समिति तथा सभी अन्य साविधिक समितियों की बैठकें बुलाने अथवा बुलवाने की शक्ति होगी।

(16) जहां विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला है, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके, तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना तत्काल कुलाधिपति तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को भी देगा जो साधारण प्रक्रिया में मामले के संबंध में कार्यवाही करते ;

परन्तु यह कि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा;

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा अथवा उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति, प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित के रूप में प्रभावी होगी। किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तरण से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;

परन्तु अग्रत्तर यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस परिनियमावली के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के उस तारीख से जब उसे ऐसी कार्यवाही के संबंध में विनिश्चय से संसूचित किया जाये, तीन मास के अन्दर कार्यपरिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्यपरिषद्, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्टि या उपांतरित कर सकेगी या उसे प्रत्यावर्तित कर सकेगी।

(17) परिनियम 4 के खण्ड (6) में किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिए सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था आय-व्ययक में न की गयी हो।

(18) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो अध्यादेश द्वारा अधिकथित की जाये।

(19) कुलपति,—

(एक) अनुदेशकों, पाठ्यक्रम लेखकों, पटकथा लेखकों, काउन्सलरों, परामर्शदाताओं, प्रोग्रामरों, कलाकारों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है, जिन्हें विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक समझा जायें,

(दो) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के कार्य करने के लिए आवश्यक समझे जायें, और अध्यादेशों में अधिकथित प्रक्रिया अनुसार चयनित हो, एक समय में छः मास से अनधिक की अवधि के लिए अल्पकालिक नियुक्तियां कर सकता है;

(तीन) समय-समय पर यथाअपेक्षित रूप से विभिन्न स्थानों पर अध्ययन केन्द्रों और प्रोग्राम केन्द्रों की स्थापना और अनुरक्षण करेगा और विश्वविद्यालय अपने किसी कर्मचारी को ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित करेगा जो उक्त केन्द्रों के दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक समझी जायें;

(चार) विषय विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और प्रशासकों की समिति या समितियां गठित करेगा, जो कि विश्वविद्यालय के हित में आवश्यक हों।

अध्याय—चार

निदेशक, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी और अन्य अधिकारी

5. निदेशक – (धारा 12)

(1) निदेशक, प्रत्येक विद्या शाखा से वरिष्ठता के आधार पर आचार्यों में से चक्रानुक्रम के अनुसार कुलपति द्वारा अधिकतम 3 वर्षों हेतु अथवा अधिवर्षता पूर्ण होने जो भी पहले हो तक नियुक्त किये जायेंगे। निदेशक विद्या शाखा के अन्तर्गत समस्त विभागों/विषयों में अकादमिक कार्यों में समन्वय स्थापित करेंगे।

(2) निदेशकों की सेवा की अन्य शर्तें एवं वेतन परिलब्धियाँ इत्यादि ऐसी होंगी जैसी कि विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग के लिए विहित हैं।

6. कुल सचिव की सेवा शर्तें, शक्तियाँ और कर्तव्य (धारा 13)

(1) कुल सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर की जायेगी। कुलसचिव के नियंत्रणाधीन उप कुलसचिव तथा सहायक कुलसचिव भी अन्य राज्य विश्वविद्यालय की तरह ही राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे; परन्तु यह कि यदि किन्ही कारणों से लोक सेवा आयोग कुलसचिव की नियुक्ति करने में असमर्थ रहता है अथवा यह पद रिक्त रहता है तो कुलपति राज्य सरकार से परामर्श कर विश्वविद्यालय के आचार्यों/उपाचार्यों में से किसी व्यक्ति को कुलसचिव नियुक्त कर सकेगा या राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर किसी उपयुक्त व्यक्ति को कुलसचिव नियुक्त करने का निर्देश ले सकेगा।

नोट— विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम संख्या 13(1) में उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 189/XXXVI(3)/2018/31(1)/2018, दिनांक 19.04.2018 के क्रम में हुये संशोधन का विवरण नीचे दिये गए लिंक पर उपलब्ध है।

<http://www.uou.ac.in/sites/default/files/2020-09/The-Act-2018.pdf>

(2) कुलसचिव की परिलब्धियाँ ऐसी होंगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(3) कुलसचिव की सेवा की अन्य शर्तों के संबंध में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) के अधीन बनाई गयी उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 2006, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी।

(4) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। वह विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। कुलसचिव, कार्य-परिषद् योजना बोर्ड, विद्या परिषद् और विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए गठित प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा और वह इन प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें या कार्य परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों, किन्तु वह मत देने का हकदार न होगा।

(5) कुलसचिव को अधिनियम और परिनियमावली में यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जाएगा और न ही वह स्वीकार करेगा।

(6) अधिनियम तथा परिनियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए कुलसचिव का अनुशासनिक नियंत्रण निम्नलिखित के सिवाय विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों पर होगा:—

(क) विश्वविद्यालय के अधिकारीगण;

(ख) विश्वविद्यालय के अध्यापकगण, चाहे वह अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हों या पारिश्रमिक वाले कोई पद धारण कर रहे हों या किसी अन्य हैसियत से, यथा परीक्षक या अंतरीक्षक (इनविजिलेटर) हों;

(ग) पुस्तकालयाध्यक्ष ;

(7) परिनियम 6 के खण्ड (6) में निर्दिष्ट अनुशासनिक नियंत्रण से सम्बन्धित किसी आदेश से व्यथित विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, उस पर ऐसे आदेश के तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर, परिनियम 18 के अधीन गठित अनुशासनिक समिति को कुल सचिव के माध्यम से अपील कर सकता है। ऐसी अपील पर समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(8) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलसचिव का निम्नलिखित कर्तव्य होगा:—

(क) विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्ति का अभिरक्षक होना जब तक कि कार्य—परिषद् द्वारा अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो;

(ख) विभिन्न प्राधिकारियों की बैठक से संबंधित प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बुलाने के लिए समस्त सूचनायें जारी करना और ऐसे समस्त बैठकों का कार्यवृत्त रखना;

(ग) कार्य—परिषद्, विद्या—परिषद्, योजना बोर्ड और मान्यता बोर्ड का सरकारी पत्राचार;

(घ) ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग करना, जो कुलाधिपति, कुलपति अथवा विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों अथवा निकायों के, जिनका कार्य वह सचिव के रूप में करता हो, आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो;

(ङ.) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, मुस्तारनामें पर हस्ताक्षर करना, अभिवचनों का सत्यापन करना।

7. वित्त अधिकारी की सेवा शर्तें, शक्तियां और कर्तव्य (धारा (14))

(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा। वित्त अधिकारी की नियुक्ति वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों में से की जायेगी। उसकी परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें, राज्य सरकार के वित्त एवं लेखा सेवा के लेखाधिकारियों पर लागू नियमों और आदेशों द्वारा शासित होगी। वित्त अधिकारी को संदेय परिलब्धियों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(2) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो अथवा वित्त अधिकारी अस्वस्थता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो उसके पद के कर्तव्यों का पालन कुलपति द्वारा, नाम—निर्दिष्ट किसी एक विद्या—शाखा निदेशक द्वारा किया जायेगा और यदि किसी कारण ऐसा करना साध्य न हो तो कुल सचिव द्वारा अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसे कुलपति द्वारा नामित किया जायें।

(3) वित्त अधिकारी की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे:—

(क) कार्य परिषद् में बोलने तथा उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा;

- (ख) विश्वविद्यालयों के क्रिया-कलापों से संबंधित ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों को प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा करना, ऐसी सूचना को प्रस्तुत करना, जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के लिए आवश्यक हों;
- (ग) कार्य परिषद् के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमानों) और लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण एवं वितरण;
- (घ) यह सुनिश्चित करना, कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोजन से भिन्न) कोई व्यय, जो बजट द्वारा प्राधिकृत न हो, न किया जाय; (ङ.) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना जिससे अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन होता हो;
- (च) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाए और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करना;
- (छ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है;
- (ज) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करना;
- (झ) किसी वित्तीय मामले में स्वतः या अपेक्षित होने पर उसका परामर्श देना ;
- (ञ) नकदी तथा बैंक में जमा राशि तथा विनिधान की स्थिति पर लगातार निगरानी रखना;
- (ट) विश्वविद्यालय की आय का संग्रह और संदायों का संवितरण करना और उसके लेखे रखना ;
- (ठ) यह सुनिश्चित करना कि भवन, भूमि, फर्नीचर तथा उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाते हैं, और विश्वविद्यालय में उपस्कर तथा उपभोज्य अन्य सामग्रियों के भण्डार (स्टॉक) की नियमित जांच की जाती है;
- (ड) किसी भी अप्राधिकृत व्यय तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं जांच करना और समक्ष प्राधिकारी को दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विषयक सुझाव देना;
- (ढ) विश्वविद्यालय के किसी विभाग अथवा इकाई से ऐसी कोई सूचना अथवा विवरणी मांगना, जिसे यह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे;
- (ण) विश्वविद्यालय के लेखों की निरन्तर आन्तरिक लेखा परीक्षा के संचालन का प्रबन्ध करना, और उन बिलों की पूर्व लेखा परीक्षा करना, जो तत्संबंधी किसी भी स्थायी आदेश द्वारा अपेक्षित हों;
- (त) वित्तीय मामलों के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन, जो उसे कार्य-परिषद् अथवा कुलपति द्वारा सौंपे जायें;
- (थ) विश्वविद्यालय के लेखा और लेखा परीक्षा अनुभाग के सहायक कुलसचिव (लेखा), यदि कोई हो, से निम्न स्तर के समस्त कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण रखना और उप-कुलसचिव, सहायक कुलसचिव (लेखा) और लेखाधिकारी, यदि कोई हो के कार्य का पर्यवेक्षण करना।
- (4) यदि वित्त अधिकारी के कृत्यों का पालन करने के संबंध में किसी विषय पर कुलपति और वित्त अधिकारी के बीच कोई मतभेद उत्पन्न हो जाये, तो वह प्रश्न राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

8. परीक्षा नियंत्रक की सेवा शर्तें, शक्तियां और कर्तव्य

परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय की कार्य-परिषद् की संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संस्तुत व्यक्ति विश्वविद्यालय के उपाचार्य से निम्न पंक्ति का नहीं होगा ;

परन्तु यह कि यदि किन्हीं कारणों से पूर्णकालिक परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति न हो पाने की दशा में कुलपति विश्वविद्यालय के आचार्यों/उपाचार्यों में से किसी को तात्कालिक व्यवस्था के रूप में परीक्षा नियंत्रक नियुक्त कर सकेगा।

(1) परीक्षा नियंत्रक की परिलब्धियां ऐसी होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायं।

(2) परीक्षा नियंत्रक की सेवा की अन्य शर्तें, विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए इस परिनियमावली द्वारा विहित की गयी सेवा की शर्तों द्वारा शासित होंगी।

(3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से संबंधित अभिलेखों की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा, जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा, जो परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किए जायें या कार्य-परिषद् अथवा कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा। वह विश्वविद्यालय के किसी कार्यालय, या विद्या-शाखा या अध्ययन केन्द्र से कोई सूचना, ऐसे विवरण प्रस्तुत करने या ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है, जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

(4) परीक्षा नियंत्रक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा।

(5) कुलपति और परीक्षा समिति के अधीक्षणाधीन रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिए आवश्यक सभी अन्य प्रबन्ध करेगा और तत्संबंधी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) परीक्षा नियंत्रक को राज्य सरकार के आदेश के अनुसार स्वीकार्य के सिवाय, विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

* परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की उपाचार्य जिसकी सेवा उपाचार्य पद पर पाँच वर्ष से कम न हो अथवा आचार्य में से की जायेगी।

● परीक्षा नियंत्रक की रिक्ति को दो व्यापक परिचालन वाले समाचार पत्रों के साथ-साथ रोजगार में प्रकाशित किया जायेगा।

● परीक्षा नियंत्रक के पद हेतु चयन समिति निम्नवत् होगी:-

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1. कुलपति | अध्यक्ष |
| 2. कुलाधिपति द्वारा नामित एक सदस्य | सदस्य |
| 3. कार्य परिषद् द्वारा नामित एक सदस्य | सदस्य |
| 4. विश्वविद्यालय का वरिष्ठतम निदेशक | सदस्य |

5. कुलपति द्वारा नामित अनूसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक/महिला/शारीरिक रूप से अशक्त श्रेणी का एक प्रतिनिधि, बशर्ते इन श्रेणियों के अभ्यर्थी हों तथा चयन समिति में इस श्रेणी का व्यक्ति सम्मिलित न हो।

सदस्य

- परीक्षा नियंत्रक का कार्यालय 3 वर्ष का होगा जिसे कार्य परिषद के अनुमोदन से अग्रेत्तर 3 वर्षों के लिए विस्तार किया जा सकता है।

* सचिव कुलाधिपति के पत्रांक-1110/जी0एस0/शिक्षा-सी 7-6/2011 दिनांक 01 जुलाई, 2011 द्वारा प्राप्त संशोधन।

अध्याय-पांच विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

9. कार्य परिषद् का गठन उसकी पदावधि तथा कृत्य एवं शक्तियां (धारा 17)

(1) कार्य-परिषद् में निम्नलिखित होंगे:-

- | | | |
|------|--|---------|
| (क) | कुलपति | अध्यक्ष |
| (ख) | परिनियम 13 में उल्लिखित विद्या शाखा से ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित दो निदेशक; | सदस्य |
| (ग) | ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक आचार्य; | सदस्य |
| (घ) | ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक उपाचार्य; | सदस्य |
| (ङ.) | ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित एक प्राध्यापक; | सदस्य |
| (च) | कुलपति द्वारा प्रस्तुत किये गये विशेषज्ञता के निम्नलिखित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले पन्द्रह नामों के पैनल (सूची) में से कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले चार व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हैं- | |
| | (एक) दो प्रख्यात शिक्षाविद | सदस्य |
| | (दो) अग्रणी उद्योग से दो व्यक्ति | सदस्य |
| (छ) | इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति या उसका नाम -निर्देशिती जो प्रति उप कुलपति से निम्न पद का न हो; | सदस्य |
| (ज) | राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि पदेन सदस्य | |

(2) कुलपति के सिवाय कोई भी व्यक्ति लगातार दो से अधिक अवधि के लिए कार्य-परिषद् का सदस्य नहीं रहेगा ;

परन्तु यह कि यदि इस परिनियम में (ख) से (ङ) तक के पदेन सदस्यों में चक्रानुक्रम में चयन के लिए अन्य व्यक्ति उपलब्ध न हो तो ज्येष्ठता क्रम में ही पुनः किसी सदस्य को नियुक्त किया जा सकेगा।

(3) कार्य-परिषद् के सदस्यों की पदावधि का आरम्भ, चयन या नाम-निर्देशन के तिथि से प्रारम्भ होगा।

- (4) कार्य-परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति, कार्य-परिषद् के कुल सदस्यों के एक तिहाई द्वारा की जाएगी।
- (5) परिनियम 9 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नाम-निर्देशित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह स्नातक न हो।
- (6) कोई व्यक्ति परिषद् का सदस्य चुने जाने और बने रहने के लिए अनर्ह होगा यदि वह या उसका संबंधी विश्वविद्यालय में अथवा उसके निमित्त किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक अथवा विश्वविद्यालय को माल की आपूर्ति करने की या उसके निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने की कोई संविदा स्वीकार करता है;

परन्तु यह कि इस परिनियम की कोई बात किसी अध्यापक द्वारा इस रूप में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई या किसी हॉल या छात्रावास के अधीक्षक या अभिरक्षक (वार्डन) अथवा कुलानुशासक (प्रॉक्टर) या उप शिक्षक (ट्यूटर) के रूप में किन्हीं कर्तव्यों के लिए अथवा विश्वविद्यालय के संबंध में तत्सदृश किन्हीं कर्तव्यों के लिए कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी।

पदावधि

- (7) पदेन सदस्यों से भिन्न, कार्य परिषद् के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।
- (8) कार्य-परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी और अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्—
 - (एक) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारण करना और उन पर नियंत्रण रखना;
 - (दो) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से अध्यापकों और शिक्षणेत्तर पदों का सृजन करना;
 - (तीन) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को परिभाषित करना ;
 - (चार) यथास्थिति, शैक्षणिक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्ग की नियुक्तियों को अनुमोदित करना;
 - (पांच) शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग की अस्थायी रिक्तियों की नियुक्तियों को अनुमोदित करना;
 - (छः) अतिथि आचार्यों प्रतिष्ठित (इमेरिटस) आचार्य, कलाकारों और पाठ्यक्रम लेखकों की नियुक्तियों को अनुमोदित करना और अध्यादेशों में विहित मानदेय के आधार पर ऐसी नियुक्तियों के निबन्धनों और शर्तों को अवधारित करना ;
 - (सात) विश्वविद्यालय के ऐसे अतिरिक्त धन को ऐसी प्रतिभूतियों में जैसा वह ठीक समझे या विश्वविद्यालय के विकास के लिए किसी स्थावर सम्पत्ति की खरीद में निवेश करना:

परन्तु यह कि इस खण्ड के अधीन कोई कार्यवाही वित्त-समिति के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं की जायेगी।

 - (आठ) अधिनियम, परिनियम और अध्यादेशों के अनुसार अध्यापक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी वर्ग में अनुशासन को विनियमित और प्रवर्तित करना;
 - (नौ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों की, जो किसी कारण से व्यथित अनुभव करें, शिकायतों का विचार करना, न्यायनिर्णीत करना, और शिकायतों को दूर करना;
 - (दस) वित्त समिति के अनुमोदन से पाठ्यक्रम लेखकों, संविदा व्यक्तियों, परीक्षकों और अन्वेषकों को देय पारिश्रमिक, यात्रा एवं अन्य भत्तों को नियत करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा के प्रयोग की व्यवस्था करना;

(बारह) अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति संस्थित करना;

(तेरह) परिनियमों और अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना और निरसित करना;

(चौदह) विश्वविद्यालय के लिए बजट तैयार करना;

(पन्द्रह) विभिन्न कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों और अन्य विषयों के लिए कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम फीस, परीक्षा फीस और अन्य फीस/प्रभार विहित करना—

10. विद्या परिषद् का गठन और उसकी शक्तियां तथा कृत्य (धारा-18)

(1) विद्या-परिषद् में निम्नलिखित होंगे—

(एक) कुलपति अध्यक्ष

(दो) विद्या-शाखाओं में सभी निदेशकगण सदस्य

(तीन) ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम में चयनित किये जाने वाले दो आचार्य, दो उपाचार्य और दो प्राध्यापक सदस्य

(चार) पुस्तकालयाध्यक्ष सदस्य

(पांच) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित एक व्यक्ति जो संयुक्त सचिव से निम्न पंक्ति का न हो सदस्य

(छः) ऐसी रीति में, जैसा विद्या-परिषद् उचित समझे, सहयोजित किये जाने वाले शिक्षा के क्षेत्र में पांच व्यक्ति सदस्य

(सात) कुलसचिव सदस्य/ सचिव

(2) किसी बैठक की गणपूर्ति विद्या-परिषद् के आठ सदस्यों द्वारा होगी।

(3) कुलपति के सिवाय, कोई भी व्यक्ति लगातार दो से अधिक अवधि के लिए विद्या-परिषद् का सदस्य नहीं रहेगा।

(4) कोई भी सदस्य दो से अधिक क्रमवर्ती पदावधि के लिये नामित नहीं किया जायेगा।

(5) विद्या-परिषद् की अन्य शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे—

(क) विश्वविद्यालय की शैक्षिक नीतियों का सामान्य पर्यवेक्षण करना और अनुदेश की पद्धतियों या शैक्षणिक मानकों में सुधार के संबंध में निर्देश देना;

(ख) योजना बोर्ड या विद्या शाखा या कार्य-परिषद् से किसी निर्देश पर या स्वप्रेरणा से सामान्य हित के मामलों पर विचार करना ; और

(ग) शिक्षा संबंधी सभी विद्या-संबंधी मामलों पर कार्य-परिषद् को परामर्श देना।

11. योजना बोर्ड का गठन और उसकी शक्तियां तथा कृत्य (धारा 19)

(1) योजना बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे—

- (एक) कुलपति अध्यक्ष;
- (दो) अध्यापकवर्ग में से; ज्येष्ठता क्रम में, कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट चार व्यक्ति;
- (तीन) विशेषज्ञता के निम्नलिखित क्षेत्रों में से प्रत्येक से एक व्यक्ति को विशेषज्ञता के लिए कार्य-परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले पांच व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी न हों-

- (क) वाणिज्यिक प्रबंधन;
- (ख) विद्वतापूर्ण वृत्तियां ;
- (ग) विज्ञान/मानविकी/समाज विज्ञान/पर्यावरण;
- (घ) दूरस्थ शिक्षा; और
- (ङ.) वाणिज्य तथा उद्योग।

(2) योजना बोर्ड के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

- (3) (क) कुलपति और प्रतिकुलपति के सिवाय कोई भी व्यक्ति दो से अधिक कमवर्ती अवधि के लिए योजना बोर्ड का सदस्य नहीं होगा।
- (ख) योजना बोर्ड की बैठक ऐसे अंतराल पर होगी, जैसा वह समीचीन समझे, किन्तु इसकी वर्ष में कम से कम दो बार बैठकें होगी।
- (ग) बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति योजना बोर्ड के छः सदस्यों द्वारा होगी।

(4) योजना बोर्ड विश्वविद्यालय हेतु समुचित कार्यक्रम और क्रियाकलापों को अभिकल्पित और तैयार करेगा और विषय पर जिसे वह विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझे, उसे कार्य-परिषद् को परामर्श देने का अधिकार होगा;

परन्तु यह कि किसी विषय पर शिक्षा-परिषद् और योजना बोर्ड के मध्य मतभेद होने की दशा में उसे कार्य-परिषद् को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

12. मान्यता बोर्ड का गठन और उसकी शक्तियां तथा कृत्य (धारा 2 (ख))

(1) -मान्यता बोर्ड निम्नवत संरचित होगा-

- (एक) कुलपति अध्यक्ष
- (दो) प्रत्येक विद्या-शाखा का निदेशक सदस्य
- (तीन) कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये गये विद्या परिषद के दो सदस्य
सदस्य
- (चार) कुलपति द्वारा नाम- निर्दिष्ट योजना बोर्ड का एक सदस्य
सदस्य
- (पांच) कार्य-परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया गया कार्य-परिषद् का एक सदस्य
सदस्य
- (छः) कुलसचिव सदस्य सचिव

(2) मान्यता बोर्ड की शक्तियां और कृत्य निम्नलिखित होंगे-

- (क) विद्या-परिषद् और कार्य-परिषद् के अनुमोदन से संस्थाओं की मान्यता के लिए मानक निर्धारित करना;
- (ख) कुलपति द्वारा उसको निर्दिष्ट किये गये संस्थाओं की मान्यता हेतु आवेदनों का परीक्षण करना और अपनी संस्तुतियों को विद्या-परिषद् को प्रस्तुत करना;
- (ग) ऐसी संख्या में, जैसी आवश्यक हो, समितियां नियुक्त करना;
- (घ) ऐसे कृत्यों का निष्पादन करना, जो उसे विद्या-परिषद् द्वारा सौंपे जायं।

13. अध्ययन केन्द्र (विद्या शाखा), बोर्ड का गठन और उसकी शक्तियां तथा कृत्य (धारा 20)

(1) विश्वविद्यालय के निम्नलिखित विद्या शाखाएँ होंगे; अर्थात्—

- (क) मानविकी
- (ख) समाज विज्ञान
- (ग) प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य
- (घ) विज्ञान
- (ङ) कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान
- (च) भाषा विज्ञान
- (छ) पर्यटन, होटल प्रबन्धन एवं खाद्य प्रौद्योगिकी (फूड टेक्नोलॉजी)
- (ज) ऐसे अन्य पाठ्यक्रम/विद्या शाखा, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जायेय परन्तु यह कि कार्य-परिषद् द्वारा अनुमोदित तिथि से विद्या शाखा कार्य करना आरम्भ करेंगे।

(2) कार्य-परिषद्, कुलपति की संस्तुति से विद्या शाखा को एक या अधिक विषय सौंप सकती है, जैसा कि कृत्यों के उचित निर्वहन के हित में हो।

(3) प्रत्येक विद्या शाखा का एक बोर्ड होगा जिसमें निम्नलिखित होंगे—

- (क) विद्या शाखा का निदेशक अध्यक्ष
- (ख) विद्या शाखा के सभी आचार्य सदस्य
- (ग) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित दो उपाचार्य सदस्य
- (घ) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम से चयनित दो प्राध्यापक सदस्य

(4) कुलपति के सिवाय विद्या शाखा बोर्ड के सदस्यों की अवधि दो वर्ष होगी।

(5) 3 (क) तथा 3 (ख) के सिवाय, कोई भी व्यक्ति लगातार दो से अधिक अवधि के लिए विद्या शाखा बोर्ड का सदस्य नहीं रह सकेगा।

(6) विद्या शाखा बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:—

- (एक) विद्या शाखा में अनुसंधान कार्यों का संवर्धन;

- (दो) शैक्षिक परिषद् के निर्देशों के अनुसार विद्या शाखा के शैक्षिक कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम के ढांचे को अनुमोदित करना;
- (तीन) कुलपति द्वारा गठित विशेषज्ञ-समिति (समितियों) के परामर्श पाठ्यक्रम ढांचे के अनुसार पाठ्यक्रम का अनुमोदन;
- (चार) विद्या शाखा को समनुदेशित विधाओं के आचार्यों के परामर्श से तैयार किये गये विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए, अध्ययन केन्द्र में निदेशक के प्रस्ताव पर, पाठ्यक्रम लेखकों, परीशकों और अनुसंगकों (मॉडरेटर) के नामों को कुलपति को संस्तुत करना और;
- (पांच) अन्य विद्या शाखा के सहयोग से पाठ्यक्रम लेखकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव तैयार करना;
- (छः) उप शिक्षकों (ट्यूटर्स) और परामर्शियों के लिए कार्यक्रमों/पुनश्चर्या/ग्रीष्म कालीन पाठ्यक्रमों अथवा संगोष्ठियों के लिए प्रस्ताव तैयार करना;
- (सात) विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए सामान्य अनुदेश तैयार करना;
- (आठ) विद्या शाखा के समनुदेशित विधाओं के पाठ्यक्रम के लिए शैक्षिक सामग्री की तैयारी के लिए अपनायी गयी कार्य-प्रणालियों की समीक्षा करना, शैक्षिक सामग्री का मूल्यांकन करना, और विद्या परिषद् को उपयुक्त संस्तुतियां करना;
- (नौ) पहले से प्रयोग में चल रहे पाठ्यक्रमों का समय-समय पर, यदि आवश्यक हो तो, बाहरी विशेषज्ञों की सहायता से समीक्षा करना और पाठ्यक्रमों में ऐसे परिवर्तन करना, जो अपेक्षित हों;
- (दस) अध्ययन/सम्पर्क/कार्यक्रम केन्द्रों की सुविधाओं और प्रयोगशाला/क्षेत्र कार्य के लिए सुविधाओं की नियत कालिक रूप से, जैसा कि विद्या शाखाओं द्वारा अवधारित किया जाय, समीक्षा करना;
- (ग्यारह) ऐसे समस्त अन्य कृत्यों का निष्पादन, जो अध्यादेशों द्वारा विहित किये जायें, और सभी ऐसे विषयों पर विचार करना जो उसे कार्य परिषद्, विद्या परिषद, योजना बोर्ड या कुलपति द्वारा निर्दिष्ट किये जायें, और
- (बारह) ऐसी सामान्य या विशिष्ट शक्तियों को, जो समय-समय पर विद्या शाखा द्वारा विनिश्चित की जायें, निदेशक बोर्ड के या किसी अन्य सदस्य या किसी समिति को प्रत्यायोजित करना।

(7) से (13)

* (कुलाधिपति के पत्र सं० 4208/जी०एस०/शिक्षा-सी 7-13/2014, दिनांक 28 मार्च, 2014 द्वारा अनुमोदित विद्याशाखायें)

| क्र०सं० | विद्याशाखा का नाम | क्र० सं० | अनुमोदित विद्याशाखायें |
|---------|--|----------|--|
| 01. | मानविकी | 01. | मानविकी |
| 01. | समाज विज्ञान | 02. | समाज विज्ञान |
| 02. | प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य | 03. | प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य |
| 03. | विज्ञान | 04. | विज्ञान |
| 04. | कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान | 05. | कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान |
| 05. | भाषा विज्ञान | 06. | व्यवसायिक अध्ययन |
| 07. | पर्यटन, आतिथ्य सेवा, होटल प्रबन्ध एवं खाद्य प्रौद्योगिकी | 07. | पर्यटन, आतिथ्य सेवा, होटल प्रबन्ध एवं खाद्य प्रौद्योगिकी |
| 08. | कृषि | 08. | कृषि |
| 09. | ग्रामीण स्वास्थ्य विज्ञान | 09. | ग्रामीण स्वास्थ्य विज्ञान |
| 10. | शिक्षाशास्त्र | 10. | शिक्षाशास्त्र |

| | | | |
|--|--|-----|------------------------------|
| | | 11. | पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान |
| | | 12. | पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन |
| | | 13. | विधि |

* विद्या शाखाओं के अधीन इकाईयों के गठन निम्नवत् प्रस्थापित किया जाता है।

विद्याशाखा का नाम वर्तमान में सम्मिलित इकाईयाँ अनुमोदित पुनर्गठन

| विद्याशाखा का नाम | सम्मिलित इकाईयाँ | प्रथम संशोधन के फलस्वरूप प्रतिस्थापित इकाईयाँ * (सचिव कुलाधिपति के पत्र सं० 4483/जी०एस०/शिक्षा-सी 7-3/2010, दिनांक 08 मार्च, 2011 द्वारा) | द्वितीय संशोधन के फलस्वरूप प्रतिस्थापित इकाईयाँ * (सचिव कुलाधिपति के पत्र सं० 4208/जी०एस०/शिक्षा-सी 7-13/2014, दिनांक 28 मार्च, 2014 द्वारा) |
|---------------------------|---|--|--|
| मानविकी | संस्कृत और प्राकृत भाषा, दर्शनशास्त्र, हिन्दी और आधुनिक भारतीय मनोविज्ञान, भाषाएं, अंग्रेजी और आधुनिक पत्रकारिता यूरोपीय भाषाएं, दर्शनशास्त्र, एवं जनसंचार मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, प्राच्य संगीत, नाटक, विद्या, पत्रकारिता एवं लोकगीत, नृत्य, जनसंचार, उर्दू, पुस्तकालय एवं कला और सूचना विज्ञान | दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, पत्रकारिता एवं जनसंचार, संगीत, नाटक, लोकगीत, नृत्य एवं कला | <ul style="list-style-type: none"> ● अंग्रेजी एवं विदेशी भाषायें विभाग ● हिन्दी एवं आधुनिक भारतीय भाषायें विभाग ● वैदिक ज्योतिष विभाग ● भारतीय कर्मकाण्ड विभाग ● संगीत, नृत्य एवं कला प्रदर्शन विभाग ● दर्शन विभाग ● संस्कृत एवं प्राकृत भाषायें विभाग ● उर्दू विभाग |
| समाज विज्ञान | राजनीति शास्त्र, प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्वविज्ञान, मध्ययुगीन और आधुनिक इतिहास, समाज कार्य एवं लोक प्रशासन, | राजनीति शास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, समाज कार्य, लोक प्रशासन, भूगोल, विधि, भारतीय ज्योतिष, कर्मकाण्ड, अर्थशास्त्र | <ul style="list-style-type: none"> ● अर्थशास्त्र विभाग ● इतिहास विभाग ● राजनीति विभाग ● मनोविज्ञान विभाग ● लोक प्रशासन विभाग ● समाज कार्य विभाग ● समाज शास्त्र विभाग ● हिमालयी अध्ययन केन्द्र ● गांधी अध्ययन एवं शांति केन्द्र |
| प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य | वाणिज्य, प्योर एंड एप्लाइड इकोनोमिक्स (विशुद्ध एवं व्यावहारिक अर्थशास्त्र), व्यवसाय प्रशासन और व्यवसाय प्रबंधन, वित्तीय विश्लेषण एवं लेखाशास्त्र | वाणिज्य, प्रबंध अध्ययन एवं रोजगारपरक अध्ययन* *रोजगारपरक अध्ययन विभाग की गतिविधियों के लिए अन्य विभागों से भी सामन्जस्य रखा जायेगा। | <ul style="list-style-type: none"> ● प्रबंध अध्ययन विभाग ● वाणिज्य विभाग ● मानवीय मूल्य एवं नैतिकता विभाग |
| विज्ञान | रसायन, भौतिकी, गणित, वनस्पति, वानिकी, प्राणि | रसायन, भौतिकी, गणित, वनस्पति, प्राणि विज्ञान, | <ul style="list-style-type: none"> ● वनस्पति विज्ञान विभाग ● रसायन विज्ञान विभाग |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | विज्ञान, भूगोल | पर्यावरण विज्ञान एवं भूगोल | <ul style="list-style-type: none"> ● वानिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग ● भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन विभाग गणित विभाग भौतिकी विज्ञान विभाग प्राणी विज्ञान विभाग ● भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं दूर संवेदी अनुप्रयोग विभाग |
| कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान | कम्प्यूटर अनुप्रयोग एवं कम्प्यूटर अभियांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी | कम्प्यूटर अनुप्रयोग एवं कम्प्यूटर अभियांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान | <ul style="list-style-type: none"> ● कम्प्यूटर उपयोग विभाग सूचना प्रौद्योगिकी विभाग |
| भाषा विज्ञान | — | संस्कृत और प्राकृत भाषा, हिन्दी और आधुनिक भारतीय भाषाएं, अंग्रेजी और आधुनिक यूरोपीय भाषाएं, प्राच्य विद्या, उर्दू | भाषा विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत सम्मिलित इकाईयों को मानविकी विद्याशाखा में निहित कर भाषा विज्ञान विद्याशाखा समाप्त की गयी। |
| व्यवसायिक अध्ययन | — | — | व्यवसायिक पाठ्यक्रम विभाग |
| पर्यटन, आतिथ्य सेवा, होटल प्रबन्ध एवं खाद्य प्रौद्योगिकी | पर्यटन, आतिथ्य सेवा, होटल मैनेजमेंट एवं खाद्य प्रौद्योगिकी | पर्यटन, आतिथ्य सेवा एवं होटल मैनेजमेंट | <ul style="list-style-type: none"> ● पर्यटन एवं आतिथ्य विभाग ● होटल प्रबन्धन विभाग |
| कृषि | — | उद्यान विज्ञान, पुष्प विज्ञान, वानिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी | <ul style="list-style-type: none"> ● कृषि विभाग(पादप रक्षण, कृषि व्यवसाय प्रबन्धन) ● उद्यान विभाग(सब्जी विज्ञान, पुष्प उत्पादन विज्ञान व फल उत्पादन विज्ञान) ● विकास अध्ययन विभाग (कृषि अर्थशास्त्र एवं प्रसार) |
| ग्रामीण स्वास्थ्य विज्ञान | — | आयुर्वेद, मेडिकल साइंस, खाद्य एवं पोषण, योग, आयुष, पर्यावरण विज्ञान | <ul style="list-style-type: none"> ● आयुर्वेद विभाग ● चिकित्सा विज्ञान एवं स्वास्थ्य देखभाल विभाग ● योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विभाग ● गृह विज्ञान विभाग |
| शिक्षाशास्त्र | — | शिक्षाशास्त्र | <ul style="list-style-type: none"> ● शिक्षाशास्त्र विभाग ● शिक्षक शिक्षा विभाग ● विशिष्ट शिक्षा विभाग |

| | | | |
|------------------------------|---|---|--|
| पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान | — | — | <ul style="list-style-type: none"> ● पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग |
| पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन | — | — | <ul style="list-style-type: none"> ● पत्रकारिता विभाग ● मीडिया अध्ययन विभाग |
| विधि | — | — | <ul style="list-style-type: none"> ● नागरिक कानून विभाग ● आपराधिक कानून विभाग ● मानव अधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय कानून विभाग |

* (सचिव कुलाधिपति के पत्र सं० 2762/जी०एस०/शिक्षा-सी 7-13/2014, दिनांक 04 दिसम्बर, 2014 द्वारा शिक्षाशास्त्र विद्याशाखा के अधीन द्वितीय संशोधन द्वारा किये गये प्रतिस्थापन में सम्मिलित इकाईयों में से शिक्षक प्रशिक्षण विभाग के स्थान पर शिक्षक शिक्षा विभाग प्रतिस्थापित किया गया है।)

नोट— विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम संख्या 13(7) में हुए संशोधनों के संबंध में श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून से प्राप्त स्वीकृति पत्र दिनांक 04.04.2018 के अनुपालन में निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.04.2018 विश्वविद्यालय के नीचे दिये गए लिंक पर उपलब्ध है।

<http://www.uou.ac.in/sites/default/files/2020-10/pariniyamabli-30-06-2020.pdf>

वित्त समिति और उसकी शक्तियां तथा कृत्य (धारा 21)

14 (1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे—

- | | |
|---|------------|
| (क) कुलपति | अध्यक्ष |
| (ख) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव या उसका नामित अधिकारी | सदस्य |
| (ग) राज्य सरकार के वित्त विभाग का सचिव या उसका नामित अधिकारी | सदस्य |
| (घ) कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी न हो | सदस्य |
| (च) वित्त अधिकारी | सदस्य सचिव |

* सचिव कुलाधिपति के पत्र संख्या 3942/ जी०एस०/ शिक्षा -सी०-१/२०१० दिनांक ३ फरवरी, २०११ द्वारा प्राप्त संशोधन के अनुसार।

(2) वित्त समिति के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

(3) वित्त समिति, कार्यपरिषद् को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बंधित विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय तथा संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष

के लिए कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारण से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद पर बाध्यकर होगी।

- (4) जब तक वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा सिफारिश न की जाय, कार्य परिषद उस पर कोई निर्णय नहीं लेगी और यदि कार्यपरिषद् वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो वो निर्दिष्ट प्रस्ताव को अपने असहमति के कारणों के साथ वित्त समिति को वापिस करेगी और यदि कार्यपरिषद् पुनः वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।
- (5) यदि कार्यपरिषद् वार्षिक वित्तीय अनुमान (अर्थात् बजट) पर विचार करने के पश्चात् किसी समय उसमें किसी ऐसे पुनरीक्षण का प्रस्ताव करें, जिसमें आवर्ती या अनावर्ती व्यय अन्तर्गस्त हो, तो कार्य परिषद् वित्त समिति को प्रस्ताव निर्दिष्ट करेंगी।
- (6) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किया गया विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा वित्तीय अनुमान वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ और तत्पश्चात् कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
- (7) वित्त समिति के सदस्य उसके किसी विनिश्चय से सहमत न हो तो असहमति टिप्पणी अभिलिखित करने का अधिकार होगा।
- (8) लेखाओं की जांच करने तथा व्यय के प्रस्तावों की संवीक्षा करने के लिए वित्त समिति का प्रति वर्ष कम से कम दो बार बैठक होगी।

परीक्षा समिति

15 (1) परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे,

| | |
|--|------------|
| (एक) कुलपति | अध्यक्ष |
| (दो) शैक्षिक शाखाओं के सभी निदेशक | सदस्य |
| (तीन) शैक्षिक परिषद् का एक सदस्य | सदस्य |
| (चार) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कार्य परिषद का एक सदस्य | सदस्य |
| (पांच) परीक्षा नियंत्रक | सदस्य सचिव |

- (2) परिनियम 15(1) के (तीन) एवं (चार) में उल्लिखित सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होगा।
- (3) परीक्षा समिति की बैठकें कुलपति द्वारा, जैसे और जब आवश्यक हो, बुलायी जायेगी।
- (4) परीक्षा समिति विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का, जिसके अन्तर्गत अनुसीमन तथा सारणीकरण भी है, पर्यवेक्षण करेगी, और निम्नलिखित अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात्:—
- (क) अध्ययन बोर्ड की सिफारिश पर परीक्षकों तथा अनुसीमकों को नियुक्त करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना;
- (ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और अनुमोदन के लिए उसे विद्या परिषद् को प्रस्तुत करना;
- (ग) शैक्षिक परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम की घोषणा करना;
- (घ) परीक्षा पद्धति में सुधार के लिए विद्या परिषद् से सिफारिश करना।

- (5) परीक्षा समिति परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से संबंधित मामलों के संबंध में कार्यवाही करने तथा उन पर विनिश्चय करने के लिए उतनी उपसमितियां नियुक्त कर सकेगी, जितनी वह ठीक समझे।
- (6) इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुए भी, परीक्षा समिति या उपसमिति को, जिसे परीक्षा समिति के परिनियम 15 के खण्ड (5) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्ति प्राधिकृत की हो, विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवर्जित करने की शक्ति होगी।

अन्य प्राधिकारी

- 16 (1) एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अन्य प्राधिकारी होंगे—
 - (2) प्रत्येक विषय में एक अध्ययन बोर्ड होगा, जिसका गठन, शक्तियां और कृत्य नीचे दिये गये हैं:—
 - (एक) अध्ययन बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे—
 - (क) अध्ययन बोर्ड के सभी आचार्य;
 - (ख) चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता के आधार पर, एक वर्ष के लिए दो उपाचार्य;
 - (ग) चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता के आधार पर, एक वर्ष के लिए दो प्राध्यापक;
 - (घ) बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किये गये छः नामों की नामिका (पैनल) में से विद्या परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ।

परन्तु यह कि यदि अध्ययन बोर्ड या विद्या परिषद् विशेषज्ञों के नामों को प्रस्तुत करने में विफल रही है, तो कुलपति तीन विशेषज्ञों को नामनिर्दिष्ट करेगा।
 - (दो) अध्ययन बोर्ड को निम्नलिखित कृत्यों के निष्पादन की शक्ति होगी:—
 - (क) विषय में प्रदान किये जाने वाले पाठ्यक्रम तैयार कर निर्माण करना और उसे विद्या शाखा के बोर्ड को उसके विचार के लिये सौंपना, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा;
 - (ख) अध्ययन केन्द्र के बोर्ड द्वारा यथावांछित पाठ्यक्रम लेखकों, समीक्षकों और विशेषज्ञों की पहचान करना;
 - (ग) शिक्षा सत्र के कार्यों के लिये परीक्षकों व अनुसूचकों की नामिका (पैनल) तैयार करना;
 - (घ) कुलपति द्वारा अनुमोदित किसी अभिकरण की माध्यम से नामावली या परीक्षा परिणामों की कम्प्यूटरीकृत निर्मिति को प्राधिकृत करना;
 - (ङ) ऐसे विषय से संबंधित कोई अन्य मामला, जो कुलपति द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो;
 - (3) अध्ययन बोर्ड की कार्यवाही अध्ययन-शाखा के बोर्ड के माध्यम से विद्या-परिषद् को प्रस्तुत की जाएगी।

विशेषज्ञ समितियां

- 17 (1) कुलपति उतनी संख्या में विशेषज्ञ समितियों का गठन कर सकता है, जितनी वह उचित समझे और विषय विशेषज्ञ नियुक्त कर सकता है, जो अध्ययन बोर्ड के सदस्य न हों।
- (2) इस परिनियमावली के अधीन नियुक्त कोई समिति अध्ययन बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित किसी विषय के संबंध में कार्यवाही कर सकती है।
- (3) विशेषज्ञ समिति की कार्यवाही अध्ययन केन्द्रों के बोर्ड के माध्यम से विद्या-परिषद् को प्रस्तुत की जाएगी।

अनुशासनिक समिति

- 18 (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय में ऐसी अवधि के लिए, जिसे वह उचित समझे, एक अनुशासनिक समिति का गठन करेगी, जिसमें कुलपति और उसके समिति द्वारा या कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अन्य व्यक्ति होंगे;
- परन्तु यह कि यदि कार्य परिषद् समीचीन समझे तो वह विभिन्न मामलों या विभिन्न श्रेणियों के मामलों पर विचार करने के लिए ऐसी एक से अधिक समिति गठित कर सकती है।
- (2) ऐसा कोई भी अध्यापक, जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का कोई मामला निलम्बित हो, किसी अनुशासनिक समिति के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेगा।
- (3) कार्य परिषद् कोई मामला किसी भी अवस्था में एक अनुशासनिक समिति से किसी दूसरी अनुशासनिक समिति आन्तरिक कर सकती है।
- (4) अनुशासनिक समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे:—
- (क) विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी अपील पर विनिश्चय करना;
- (ख) ऐसे मामलों में जांच करना, जिसमें विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक या पुस्तकालयाध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अन्तर्ग्रस्त हो;
- (ग) उपर्युक्त खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी ऐसे कर्मचारी को निलम्बित करने की संस्तुति करना, जिसके विरुद्ध जांच विचाराधीन हो ;
- (घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो उसे समय-समय पर कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जायं।
- (5) समिति के सदस्यों में मतभेद होने की दशा में बहुमत का विनिश्चय अभिभावी होगा।
- (6) अनुशासनिक समिति का विनिश्चय या उसकी रिपोर्ट यथाशीघ्र कार्य परिषद् के समक्ष रखी जायेगी, जिससे कार्य परिषद् मामले में निर्णय ले सकें।

विषय समिति

- 19 (1) विश्वविद्यालय में विद्या शाखा की प्रत्येक इकाई में एक विषय समिति होगी, जो इस परिनियम के अधीन नियुक्त विद्याशाखा के निदेशक की सहायता करेगी।
- (2) विषय समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—
- | | |
|--------------------------|---------|
| (क) विद्याशाखा का निदेशक | अध्यक्ष |
| (ख) इकाई के समस्य आचार्य | सदस्य |
- परन्तु जहां किसी इकाई में, कोई आचार्य न हो, इकाईयों के समस्त उपाचार्य
सदस्य
- परन्तु यह और कि किसी ऐसी इकाई में, जहां आचार्य और उपाचार्य दोनों न हों, वहां दो वर्ष की अवधि के लिए ज्येष्ठता के चक्रानुक्रम में दो प्राध्यापक
सदस्य
- परन्तु यह भी कि किसी ऐसी इकाई में जिसमें उपाचार्य और प्राध्यापक दोनों हों, वहां एक प्राध्यापक और दो उपाचार्य और किसी इकाई में जिसमें कोई उपाचार्य न हो, तो वहां ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से दो वर्ष की अवधि के लिए दो प्राध्यापक;

- परन्तु अग्रत्तर यह कि किसी मामले में विनिर्दिष्ट तथा किसी विषय या विशेषज्ञता के संबंध में, उस विषय या विशेषज्ञता के ज्येष्ठतम अध्यापक को, यदि पहले से पूर्वकथित पूर्ववर्ती शीर्षों में सम्मिलित न हो, मामले के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा।
- (3) विद्याशाखा बोर्ड के अनुज्ञा के अधीन रहते हुए, विषय समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे:—

- (क) इकाई के अध्यापकों के मध्य अध्यापक कार्य के वितरण के संबंध में संस्तुतियां करना;
- (ख) इकाई के अनुसंधान और अन्य क्रिया-कलापों के समन्वय के संबंध में सुझाव देना;
- (ग) इकाई के सामान्य और शैक्षणिक हित के मामलो पर विचार करना।
- (4) समिति की क्रम से क्रम तीन माह में एक बार बैठक होगी। समिति की बैठकों का कार्यवृत्त कुलपति को प्रस्तुत किया जायेगा।

अध्याय—छ:

विश्वविद्यालय के अध्यापक

अध्यापकों का वर्गीकरण

20 विश्वविद्यालय में अध्यापकों के निम्नलिखित वर्ग होंगे:—

- (क) आचार्य;
- (ख) उपाचार्य;
- (ग) प्राध्यापक

विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की अर्हता

21 प्राध्यापक के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर विभिन्न विषयों में नियुक्ति हेतु प्राध्यापकों/असिसटैन्ट प्रोफेसर की पात्रता हेतु निर्धारित मानकों को लागू किया जायेगा।

उपाचार्य की अर्हता और नियुक्ति

22 उपाचार्य के लिए समय-समय पर विभिन्न विषयों में नियुक्ति हेतु उपाचार्य/एसोसिएट प्रोफेसर की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा पात्रता हेतु निर्धारित मानकों को लागू किया जायेगा।

आचार्य के लिए अर्हताएं

23. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर विभिन्न विषयों में नियुक्ति हेतु आचार्यों/प्रोफेसर की पात्रता हेतु निर्धारित मानकों को लागू किया जायेगा।

रिक्तियों का अवधारण

24 कुलसचिव वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा तथा प्रवृत्त नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसे अनुमोदन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित करेगा।

रिक्तियों का विज्ञापन

25 (1) कुलसचिव, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात्, कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा कराकर और दो व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्रों में और रोजगार समाचार में विज्ञापन देकर, रिक्तियां अधिसूचित करेगा।

(2) आचार्य, उपाचार्य और प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए एक चयन समिति होगी। चयन समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

1. कुलपति अध्यक्ष
2. विश्वविद्यालय के समबन्धित वैधानिक निकाय अर्थात् कार्य परिषद् एवं कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित विशेषज्ञों की सूची में से कुलपति द्वारा नामित संबंधित विषय के 3 विशेषज्ञ— सदस्य
3. विद्या शाखा का निदेशक— सदस्य
4. संबंधित विभाग का विभागाध्यक्ष— सदस्य
5. कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद— सदस्य

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/ महिला/शारीरिक रूप से अशक्त के प्रतिनिधि के रूप में एक शिक्षाविद वशर्ते कि इन श्रेणियों के अभ्यर्थी हों तथा चयन समिति में इस श्रेणी का व्यक्ति सम्मिलित न हो।

नोट— चयन समिति की गणपूर्ति 4 सदस्यों से होगी बशर्ते कि उसमें 2 वाह्य विशेषज्ञ प्रतिभाग कर रहे हों।

* सचिव कुलाधिपति के पत्र संख्या—366/जी0एस0/शिक्षा/सी 7-4/2011 दिनांक 22 अप्रैल, 2011 द्वारा प्राप्त अनुमोदनानुसार।

- (4) चयन समिति द्वारा की गयी कोई संस्तुति, तब तक विधिमान्य नहीं होगी, जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन के लिए सहमत न हो।
- (5) यदि कार्य-परिषद् चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति को स्वीकार में असमर्थ है तो ऐसी अस्वीकृति के लिए, कारणों को अभिलिखित करते हुए, अंतिम आदेशों के लिए मामले को कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।
- (6) अध्यापकों की नियुक्ति के लिए, चयन समिति की बैठक कुलपति के आदेशों के अधीन, बुलायी जायेगी।
- (7) साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।
- (8) (क) चयन समिति, नियुक्ति के लिए एक से अधिक अभ्यर्थियों की संस्तुत कर सकती है और उपलब्ध सामग्री के आधार पर उनके नामों को श्रेष्ठताक्रम में व्यवस्थित करेगी।
(ख) चयन समिति यह संस्तुति कर सकती है कि कोई उपयुक्त अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में पद का विज्ञापन पुनः किया जायेगा।
- (9) चयन समिति की बैठक साधारणतया विश्वविद्यालय के मुख्यालय में होगी। विशेष परिस्थितियों में, कुलाधिपति के पुर्वानुमोदन से, चयन समिति की बैठक अन्यत्र की जा सकती है।

- (10) चयन समिति के सदस्यों को बैठक की सूचना कम से कम पन्द्रह दिन दी जायेगी और उसकी गणना, सूचना भेजे जाने के तारीख से की जायेगी। नोटिस की तामीली व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।
- (11) अभ्यर्थियों को चयन समिति की बैठक सूचना कम से कम पन्द्रह दिन से पूर्व दी जायेगी और उसकी गणना, सूचना भेजे जाने के तारीख से की जायेगी। सूचना कमी तामीली या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।
- (12) चयन समिति के सदस्यों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते का भुगतान, अध्यादेशों में विहित दरों पर किया जायेगा।

*** (13) अ. चयन के लिए अंको का निर्धारण।**

1) सहायक प्राध्यापक पद के लिये

- 1.1 सहायक प्राध्यापक अथवा समकक्ष पद के लिये न्यूनतम अर्हता हेतु दिनांक 31/05/2009 तक पीएच0डी0 उपाधि प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिये NET/SLET की अनिवार्यता नहीं होगी।
- 1.2 दिनांक 31/05/2009 के उपरान्त पीएच0डी0 प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता यथावत लागू होगी।
- 1.3 उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थियों के कार्य-क्षेत्र विषयक ज्ञान एवं बौद्धिक-स्तर के आंकलन के लिये निर्धारित मापदण्डों को निम्नवत निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है:-

क. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा दिये गये मानकों के अनुरूप शैक्षिक उपलब्धियों तथा शोध कार्य के लिये 50 प्रतिशत अंक निर्धारित किये गये हैं। इन 50 प्रतिशत अंकों का वर्गीकरण निम्नवत प्रस्तावित है:-

i) शैक्षिक उपलब्धियों के लिये 30 प्रतिशत अंक रहेंगे, जिनका विभाजन निम्नवत होगा :

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| 1 | स्नातक स्तर | - 5 प्रतिशत। |
| 2 | परास्नातक स्तर | - 5 प्रतिशत। |
| 3 | नेट (NET/SLET) | - 6 प्रतिशत। |
| 4 | एम. फिल. (M.Phil) | - 5 प्रतिशत। |
| 5 | पीएच0डी0 (Ph.D) | - 9 प्रतिशत। |
| | योग | - 30 प्रतिशत |

ii) शोध कार्यों के लिये उपर्युक्तानुसार स्वीकार किये गये विभाजन के अनुसार 20 प्रतिशत अंक निर्धारित होंगे, जिनका वर्गीकरण निम्नवत प्रस्तावित है:-

- राज्य-स्तरीय/राष्ट्रीय संस्था से स्वीकृत एवं वित्त पोषित शोध-परियोजना में शोध-अध्येता (आर0 ए0) के रूप में कार्य करने पर 5 प्रतिशत अंक।
- शोध-पत्रों के लिये अधिकतम 15 प्रतिशत अंक, जिनका विभाजन निम्नवत होगा :
 - 1 एक शोध-पत्र के लिये 4 प्रतिशत अंक।

2 दो से तीन शोध-पत्रों के लिये 12 प्रतिशत अंक।

3 चार तथा चार से अधिक शोध-पत्रों के लिये 15 प्रतिशत अंक।

विशेष टिप्पणी : केवल उन्ही शोध-पत्रों को इस गणना में सम्मिलित किया जायेगा जो संदर्भित (Refereed) जर्नल्स अथवा प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशित हों। जर्नल्स के स्तर का आंकलन संबंधित विभाग की Screening Committee के द्वारा किया जायेगा। Articles, Book Reviews तथा Study Material को भी Screening Committee. जिसमें कुलपति द्वारा नामित दो वाह्य विशेषज्ञ भी होंगे, के द्वारा उपयुक्त weightage दिया जायेगा।

यदि शोध-पत्र संयुक्त लेखन में हैं, तो प्राप्य अंको को तदनु रूप विभाजित कर दिया जायेगा।

ख. विषय का ज्ञान तथा अध्यापन क्षमताओं के आंकलन के लिये निर्धारित कुल 30 प्रतिशत अंकों का विभाजन निम्नवत होगा;

i) Seminar, Workshop, Symposium, FDP, MDP, Refresher, इत्यादि के लिये 10 प्रतिशत अंक। इन अंकों को सम्बन्धित अभ्यर्थी की उक्त कार्यक्रमों में सहभागिता के आधार पर सम्बन्धित विभाग की Screening Committee के द्वारा निर्धारित किया जायगा।

ii) इस वर्ग में शेष 20 प्रतिशत अंकों के निर्धारण के लिये Demo Lecture की विधि अपनाई जायेगी तथा इस कार्य के लिये अंक सम्बन्धित Screening Committee के द्वारा प्रदान किये जायेंगे।

ग. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा चयन प्रक्रिया में 20 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के लिये निश्चित किये गये हैं। इन अंकों के प्रदान किये जाने के लिये व्यवस्था इस प्रकार होगी कि चयन समिति के सभी सदस्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से 20-20 प्रतिशत अंकों में से अंक दिये जायेंगे तथा बाद में कुलसचिव के द्वारा इन अंकों का औसत निकालकर संबंधित अभ्यर्थी को औसत अंक प्रदान किये जायेंगे।

2)सह-प्राध्यापक अथवा उसके समकक्ष के पद के लिये

2.1 शैक्षिक उपलब्धियों की गणना हेतु उपाचार्य पद के लिये 20 प्रतिशत अंक निर्धारित किये हैं। इन 20 प्रतिशत अंकों का वर्गीकरण निम्नवत प्रस्तावित है:-

क. स्नातक स्तर - 7 प्रतिशत।

ख. परास्नातक स्तर - 8 प्रतिशत।

ग. पीएचडी/कार्य अनुभव - 5 प्रतिशत।

योग - 20 प्रतिशत

2.2 शोध कार्य एवं प्रकाशन की गुणवत्ता के लिये बनाये गये।। च को इसी रूप में स्वीकार कर लिया जायेगा तथा इस हेतु 40 प्रतिशत अंक निर्धारित है, अर्थात्।। च का अंश केवल 40 प्रतिशत तक सीमित रहेगा।

2.3 विषय का ज्ञान तथा अध्ययन-अध्यापन क्षमताओं के आंकलन के लिये जो 20 प्रतिशत अंक निर्धारित किये गये हैं उनका विभाजन निम्नवत होगा -

i) परिसर के विभिन्न कार्यों, दायित्वों एवं प्रशासनिक पदों पर की गयी सहभागिता के लिये 10 प्रतिशत अंक।

ii) Demo Lecture के लिये 10 प्रतिशत अंक

- 2.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा चयन प्रक्रिया में 20 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के लिये निश्चित किये गये हैं। इन अंकों के प्रदान किये जाने के लिये व्यवस्था इस प्रकार होगी कि चयन समिति के सभी सदस्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से 20-20 प्रतिशत अंकों में से अंक दिये जायेंगे तथा बाद में कुलसचिव के द्वारा इन अंकों का औसत निकालकर संबंधित अभ्यर्थी को औसत अंक प्रदान किये जायेंगे।

विशेष टिप्पणी: परिसर के जीवन में सहभागिता का उपयुक्त प्रमाण देना होगा तथा इस सहभागिता एवं Demo Lecture के लिये संबंधित विभाग की Screening Committee , जिसमें कुलपति द्वारा नामित दो वाह्य विशेषज्ञ भी होंगे, द्वारा अंक प्रदान किये जायेंगे।

3) प्राध्यापक/आचार्य पद के लिये

- 3.1 प्राध्यापक पद के लिये 400 API अंक निर्धारित किये गये हैं जो यथावत रहेंगे किन्तु चयन समिति की प्रक्रिया में निर्धारित 100 अंकों का विभाजन निम्नवत होगा:—

i) शैक्षिक उपलब्धियों के आंकलन के लिये 20 प्रतिशत अंक निर्धारित किये हैं इनका वर्गीकरण निम्नवत प्रस्तावित है:—

- स्नातक स्तर — 7 प्रतिशत।
- परास्नातक स्तर — 8 प्रतिशत।
- पीएचडी/नेशनल फेलोशिप — 3 प्रतिशत।
- डी0 लिट0 — 2 प्रतिशत।
- योग — 20 प्रतिशत

ii) शोध कार्यो इत्यादि के लिये API लिया जायेगा जिसके लिये 40 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं।

iii) विषय का ज्ञान, अध्ययन-अध्यापन क्षमताओं के आंकलन के लिये 20 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं जिनका वर्गीकरण निम्नवत प्रस्तावित है:—

- परिसर के विभिन्न कार्यदायित्वों एवं प्रशासनिक पदों पर की गयी सहभागिता के लिये 10 प्रतिशत अंक।
- Demo Lecture के लिये 10 प्रतिशत अंक

iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा चयन प्रक्रिया में 20 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के लिये निश्चित किये गये हैं। इन अंकों के प्रदान किये जाने के लिये व्यवस्था इस प्रकार होगी कि चयन समिति के सभी सदस्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से 20-20 प्रतिशत अंकों में से अंक दिये जायेंगे तथा बाद में कुलसचिव के द्वारा इन अंकों का औसत निकालकर संबंधित अभ्यर्थी को औसत अंक प्रदान किये जायेंगे।

विशेष टिप्पणी: परिसर के जीवन में सहभागिता का उपयुक्त प्रमाण देना होगा तथा इस सहभागिता एवं Demo Lecture के लिये संबंधित विभाग की Screening Committee , जिसमें कुलपति द्वारा नामित दो वाह्य विशेषज्ञ भी होंगे, द्वारा अंक प्रदान किये जायेंगे।

नोट— विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम संख्या 13(अ) में हुए संशोधनों के संबंध में श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून से प्राप्त स्वीकृति पत्र दिनांक 27.05.2020 के अनुपालन में निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18.06.2020 विश्वविद्यालय के नीचे दिये गए लिंक पर उपलब्ध है।

<http://www.uou.ac.in/sites/default/files/2020-10/pariniyamabli-30-06-2020.pdf>

(14) स. विज्ञापन तथा अन्य प्रक्रिया

1. विज्ञापन परिनियमावली के परिनियम 25 के अनुरूप किये जायेंगे।
2. प्रत्येक पद के लिए प्राप्त आवेदनों का सारणीयकरण कर स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा परीक्षण किया जायेगा जो साक्षात्कार के लिए आधारभूत अभिलेख होगा।
3. एक पद के लिये उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों में से अधिकाधिक 8 (1:8) अभ्यर्थी को स्क्रीनिंग के आधार पर शैक्षिक एवं अन्य वांछनीय अर्हताओं के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किये जायेंगे। जहाँ आवेदकों की संख्या 8 से कम हों तथा आवेदक निर्धारित अर्हता रखते हों वहाँ सभी अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाना अभीष्ट होगा।
4. यदि किसी पद विशेष के लिये मात्र एक आवेदन प्राप्त होता है तो पद को पुनर्विज्ञापित किया जायेगा, परन्तु यदि पुनर्विज्ञापन के उपरान्त भी एक ही आवेदन प्राप्त होता है तथा संबंधित अभ्यर्थी वांछित अर्हता रखता हो तो साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा।

* सचिव कुलाधिपति के पत्रांक-417/जी0एस0/शिक्षा-बी 1-151/2010 दिनांक 04 मई, 2011 के माध्यम से प्राप्त संशोधन।

अध्यापक वर्ग की सेवा के निबंधन और शर्तें

26 परिनियम 4 के खण्ड (19) अधीन, कुलपति में निहित शक्तियों के सिवाय, प्रत्येक अध्यापक इस परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार कार्य-परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

परिवीक्षा

- 27 (1) प्रत्येक अध्यापक एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।
- (2) कार्य-परिषद्, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा सकती है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक की अवधि बढ़ायी जाय;
परन्तु यह कि किसी भी परिस्थिति में, परिवीक्षा अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी;
परन्तु यह और कि कार्य-परिषद्, कारणों को अभिलिखित करते हुए, परिवीक्षा अवधि की शर्तों को छोड़ सकती है;
परन्तु यह और भी कि यदि किसी मामले में कार्य-परिषद् कोई कार्यवाही करने में विफल रहती है, तो अध्यापक, परिवीक्षा की अवधि के पश्चात्, स्थायी समझा जायेगा।
- (3) (क) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या कार्य-परिषद् द्वारा बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा।
(ख) कुलसचिव कार्य-परिषद् के समक्ष स्थायीकरण के लिए अध्यापकों की सूची, उनकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व प्रस्तुत करेगा।
(ग) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुलाने और परीक्षण करने का, जिन्हें वह चाहे, पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय;
- (4) कोई अध्यापक, लिखित रूप में, उचित माध्यम से, कार्य-परिषद् को तीन मास की सूचना देते हुए किसी भी समय त्याग-पत्र दे सकता है;
परन्तु, यह कि कार्य-परिषद् अपने विवेक से सूचना अवधि की बाध्यता को समाप्त कर सकती है।

- (5) विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों का वेतन और भत्ता वहीं होंगे, जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें।
- (6) विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापक से, परिशिष्ट 'क' में दिये गये प्रपत्र में, एक लिखित संविदा पर, हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जायेगी।
- (7) विश्वविद्यालय का अध्यापक सर्वदा पूर्ण सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्यनिष्ठ रहेगा और परिशिष्ट 'ख' में दी गयी आचरण संहिता का पालन करेगा।
- (8) परिशिष्ट 'ख' में दी गयी आचरण संहिता के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन, परिनियम 27 के खण्ड (9) उपखण्ड (ख) के अर्थान्तर्गत अवचार समझा जायेगा।
- (9) अध्यापक को निम्नलिखित कारणों से, पदच्युत या उसके पद से हटाया जा सकता है:—
- (क) कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा,
- (ख) अवचार,
- (ग) सेवा संविदा की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन,
- (घ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संबंध में बेईमानी,
- (ङ.) अपवादजनक आचरण या नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के लिए दोषसिद्ध;
- (च) शारीरिक या मानसिक अनुपयुक्तता ;
- (छ) अक्षमता;
- (ज) पद की समाप्ति।
- (10) परिनियम 27 के खण्ड (4) में की गयी व्यवस्था के सिवाय, कम से कम तीन मास का नोटिस (या जब नोटिस अक्टूबर मास के पश्चात् दिया जाय, तब तीन मास की नोटिस या सत्र समाप्त होने तक की नोटिस, जो इनमें भी अवधि अधिक हो) दिया जायेगा या नोटिस के बदले में, तीन मास (या ऐसी उपर्युक्त अधिक अवधि) का वेतन दिया जायेगा;
- परन्तु, यह कि जहां विश्वविद्यालय खण्ड (9) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करें या हटाये या उसकी सेवायें समाप्त करें या कोई अध्यापक संविदा को विश्वविद्यालय द्वारा उसकी किसी शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण समाप्त करें, तो ऐसी नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी;
- परन्तु यह और कि दोनों पक्षकार परस्पर समझौते द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से नोटिस की शर्त का परित्याग करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- (11) परिनियम 27 के खण्ड (7) में निर्दिष्ट नियुक्ति की मूल संविदा, नियुक्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए कुलसचिव के यहां सुरक्षित रखी जायेगी।
- (12) परिनियम 27 के खण्ड (9) में उल्लिखित किसी कारण से, विश्वविद्यालय के किसी प्राध्यापकों को पदच्युत करने या उसको सेवा से हटाने का कोई आदेश (सिवाय ऐसे अपराध के लिए जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, सिद्ध दोष होने पर पद समाप्त किये जाने की स्थिति में) तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक उसके विरुद्ध आरोप न लगाया गया हो और जिस आधार पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, उसके विवरण सहित उसकी सूचना उसे न दे दी जाय, और उसको—
- (क) अपने प्रतिवाद के लिए लिखित बयान प्रस्तुत करने का;
- (ख) व्यक्तिगत सुनवाई का यदि वह ऐसा चाहे;

(ग) अपने प्रतिवाद में ऐसे साक्षियों को बुलाने और परीक्षण करने का; जिन्हें वह चाहें, पर्याप्त अवसर न दे दिया जाय:

परन्तु कार्य-परिषद् या जांच करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पर्याप्त कारणों को अभिलिखित करते हुए किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है।

- (13) कार्य-परिषद् किसी समय, जांच अधिकारी की रिपोर्ट के दिनांक से साधारणतया दो मास के भीतर, संबंधित अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने या पद से हटाने या उसकी सेवायें समाप्त करने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, जिसमें पदच्युत करने, पद से हटाने या सेवा समाप्त करने के कारण उल्लिखित किये जायेंगे।
 - (14) प्रस्ताव की सूचना सम्बंधित अध्यापक को तुरन्त दी जायेगी।
 - (15) कार्य-परिषद्, अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने या हटाने के बजाय, तीन वर्ष से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अध्यापक का वेतन कम करके या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उसकी वेतन वृद्धियां रोक कर या अध्यापक को उसके निलम्बन की अवधि के, यदि कोई हो, वेतन से वंचित कर अपेक्षाकृत हल्का दंड देने का प्रस्ताव पारित कर सकती है।
 - (16) यदि किसी अध्यापक के विरुद्ध कोई जांच चल रही है या जांच प्रारम्भ करने का विचार हो तो परिनियम 18 में निर्दिष्ट अनुशासनिक समिति उसको परिनियम 27 के खण्ड (9) के उपखण्ड (क) से (ड.) तक में उल्लिखित आधारों पर निलम्बित करने की सिफारिश कर सकती है यदि इस आधार पर निलम्बन का आदेश पारित किया जाय कि अध्यापक के विरुद्ध जांच करने का विचार है तो निलम्बन आदेश उसके प्रवर्तन के चार सप्ताह की समाप्ति पर समाप्त हो जायेगा, जब तक कि इस बीच अध्यापक को उस आरोप या उन आरोपों की संसूचना न दे दी जाय, जिनके बारे में जांच कराने का विचार था।
 - (17) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को—
 - (क) यदि किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध की स्थिति में, उसे 48 घंटे से अधिक अवधि का कारावास का दण्ड दिया जाये और उसे इस प्रकार दोषसिद्धि के परिणाम स्वरूप परन्तु पदच्युत या सेवा से हटाया न जाये तो उसकी दोषसिद्धि के दिनांक से,
 - (ख) किसी अन्य स्थिति में, यदि वह अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाये, चाहे निरोध किसी अपराधिक आरोप के कारण हो या अन्यथा, उसके निरोध की अवधि तक के लिए, निलम्बित समझा जायेगा।
- स्पष्टीकरण:— ऊपर निर्दिष्ट 48 घंटे की अवधि की गणना दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास के प्रारम्भ होने से की जायेगी और इस प्रयोजन के लिए कारावास की सविराम अवधि पर भी, यदि कोई हो, विचार किया जायेगा।
- (18) जहां विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करने का या सेवा से हटाने का आदेश अधिनियम या इस परिनियमावली के अधीन किसी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप या अन्यथा अपास्त कर दिया जाय या शून्य घोषित कर दिया जाय या हो जाय, और विश्वविद्यालय का समुचित अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय उसके विरुद्ध अग्रतर जांच करे का विनिश्चय करें, वहां यदि अध्यापक पदच्युत होने या हटाने के ठीक पूर्व निलम्बित था, तो यह समझा जायेगा कि निलम्बन का आदेश पदच्युत या हटाने के मूल आदेश के दिनांक को और दिनांक से प्रवृत्त है।
 - (19) विश्वविद्यालय का अध्यापक अपने निलम्बन की अवधि में, समय-समय पर यथासंशोधित, वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड-2 के भाग-2 के अध्याय-8 के उपबन्धों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा।

- (20) परिनियम 27 के खण्ड (12) एवं (13) और खण्ड (16) के प्रयोजनार्थ अधिकतम अवधि की गणना करने में उस अवधि को, जिसमें किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रवर्तन में हो, सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- (21) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, किसी कलेण्डर वर्ष में, विश्वविद्यालय में किसी परीक्षा या परीक्षाओं के संबंध में सम्पादित किसी कर्तव्य के लिए, उस विशिष्ट कलेण्डर वर्ष में अपने औसत वेतन का 1/6 या तीस हजार रुपये, इसमें जो भी कम हो, से अधिक कोई पारिश्रमिक नहीं लेगा।
- (22) इस परिनियमावली में किसी बात के होते हुए भी—
- (क) विश्वविद्यालय को कोई अध्यापक, जो संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो अपनी सदस्यता की अवधि पर्यन्त विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण नहीं करेगा।
- (ख) यदि विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक, जो संसद या राज्य विधान मण्डल के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन या नाम निर्देशन के तारीख के पहले ही विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या पारिश्रमिक पद धारण कर रहा, तो वह ऐसे निर्वाचन या नाम निर्देशन के तारीख, जो भी पश्चातवर्ती हो, उस पर नहीं रह जायेगा।
- (ग) कार्य-परिषद उन दिवसों की न्यूनतम संख्या नियत करेगी, जिनके दौरान ऐसे अध्यापक अपने शैक्षिक कर्तव्यों के लिए विश्वविद्यालय में उपलब्ध होंगे;
- परन्तु, यह कि जहां विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सत्र के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हो, वहां उसे ऐसी छुट्टी पर समझा जायेगा, जो उसे देय हो और यदि कोई छुट्टी देय न हो तो उसे बिना वेतन के छुट्टी पर समझा जायेगा।

कैरियर अभिवर्धन योजना

- 28 (1) विश्वविद्यालय का कोई प्राध्यापक वरिष्ठ वेतन में नियोजन के लिए पात्र होगा। प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान) को प्राध्यापक (चयन वेतनमान) या उपाचार्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान) की श्रेणी में रखे जाने के लिए पात्रता, प्राध्यापक पद पर न्यूनतम सेवा की अवधि, पी-एच0डी0 की उपाधि के साथ चार वर्ष, एम0फिल0 की उपाधि के साथ पांच वर्ष अन्य के लिए छः वर्ष होगी और प्राध्यापक चयन वेतनमान/उपाचार्य की श्रेणी में रखे जाने के लिए पात्रता, प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान के रूप में न्यूनतम सेवा की अवधि, समान रूप से पांच वर्ष होगी।
- (2) उपाचार्य और आचार्य पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम पात्रता का मानदण्ड पी-एच0डी0 या उसके समकक्ष प्रकाशित कृतियां होगी।
- (3) केवल वही उपाचार्य आचार्य के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किये जाने के लिए पात्र होगा, जिसने उक्त श्रेणी में न्यूनतम आठ वर्ष की सेवा की हो,
- (4) प्राध्यापक (चयन वेतनमान) उपाचार्य और आचार्य के लिए चयन समिति का गठन परिनियम 25 के खण्ड (2) के अधीन किया जाएगा ;
- परन्तु यह कि उक्त परिनियम 28 के अन्तर्गत कैरियर अभिवर्धन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित पात्रता एवं समयावधि को लागू किया जायेगा।

वरिष्ठ वेतनमान संवीक्षा समिति का गठन

- 29 (1) वरिष्ठ वेतनमान में नियोजन ऐसी संवीक्षा समिति के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे—
- (क) कुलपति

| | |
|--|-------|
| (ख) संबंधित विद्या-शाखा का निदेशक | सदस्य |
| (ग) दो विषय विशेषज्ञ, जिन्हें कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा | सदस्य |
| (घ) संबंधित विभागाध्यक्ष | सदस्य |

प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतनमान)

- (2) वरिष्ठ वेतनमान के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे ;

प्राध्यापक (चयन वेतनमान)

- (3) चयन वेतनमान के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे ;

उपाचार्य (पदोन्नति)

- (4) उपाचार्य पद पर पदोन्नति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे ;

उपाचार्य पदोन्नति हेतु चयन समिति का गठन

- (5) उपाचार्य के रूप में पदोन्नति एक ऐसी चयन समिति की चयन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी, जिसका गठन परिनियम 25 के खण्ड(2) के उपबन्ध के अनुसार किया जाएगा।

आचार्य (पदोन्नति)

- (6) आचार्य पद पर पदोन्नति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित पात्रता एवं समयावधि के अनुसार पात्र होंगे ;
- (7) परिनियम 25 के खण्ड (2) के अधीन कैरियर अभिवर्धन/ पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति परिनियमावली के अधीन उसके समक्ष रखे जाने वाली सभी सुसंगत सामग्री और अभिलेखकों पर विचार करेगी।
- (8) संवीक्षा/चयन समिति की संस्तुतियां कार्य-परिषद् को विनिश्चय के लिए प्रस्तुत की जाएगी। यदि कार्य-परिषद्, संवीक्षा/चयन समिति की संस्तुतियों से सहमत न हो तो कार्य-परिषद् ऐसी असहमति के कारणों के साथ, मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगी और कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा। यदि कार्य-परिषद् संवीक्षा/चयन समिति की संस्तुतियों पर, ऐसी समिति के अधिवेशन के दिनांक से चार माह की अवधि के अन्दर कोई निर्णय नहीं लेती है तो भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट हुआ समझा जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
- (9) यदि कोई पदधारी प्राध्यापक, वरिष्ठ वेतनमान/प्राध्यापक चयन वेतनमान/उपाचार्य (पदोन्नति) हेतु सम्यक् रूपेण गठित संवीक्षा/चयन समिति द्वारा प्रथमतः उपयुक्त पाया जाता है और तदनुसार अगले वरिष्ठ वेतनमान/चयन वेतनमान/उपाचार्य/ आचार्य के पद पर पदोन्नति के लिए उसकी सिफारिश की जाती है, तो उसे उच्चतर वेतनमान अर्हता के तारीख से अनुमन्य होगा, परन्तु उसे पदनाम (यदि कोई हो) कार्यभार ग्रहण करने के तारीख से दिया जायेगा।
- (10) यदि पदधारी, प्रथमतः परिनियम 29 के खण्ड (9) के अधीन उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो वह प्रत्येक एक वर्ष के बाद ऐसी पदोन्नति हेतु अपने को पुनः प्रस्तुत कर सकता है और उस पर वह संवीक्षा/चयन समिति द्वारा ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जायेगा, जो उस समय तक पात्र हो चुके हैं। यदि उसकी द्वितीय या पश्चातवर्ती प्रयासों में पदोन्नति के लिए संस्तुत किया जाती है, तो उसे यथास्थिति प्राध्यापक वरिष्ठ वेतनमान/प्राध्यापक चयन वेतनमान/उपाचार्य (पदोन्नति)/आचार्य (पदोन्नति) के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के तारीख से वेतनमान और पदनाम प्रदान किया जायेगा।

- (11) उपाचार्य या आचार्य के ऐसे पदों को, जिस पर पदोन्नति की गयी हो, पदधारी की सेवानिवृत्ति तक, यथास्थिति, उपाचार्य या आचार्य के संवर्ग में उतने पदों को वृद्धि समझी जाएगी और उसके पश्चात् पद अपने मौलिक रूप में प्रतिवर्तित हो जाएंगे।
- (12) वर्तमान परिनियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व, सीधी भर्ती द्वारा या व्यक्तिगत पदोन्नति द्वारा या कैरियर अभिवर्धन द्वारा शिक्षण पद पर नियुक्ति/पदोन्नति के लिए सम्यक् रूप से गठित चयन समिति के माध्यम से विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक के, किसी भी चयन पर वर्तमान परिनियमावली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसके पास उस समय यथा विहित न्यूनतम अपेक्षित योग्यता रही हो।
- (13) संवीक्षा/चयन समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से समिति की गणपूर्ति होगी परन्तु अध्यक्ष और कम से कम एक विशेषज्ञ की उपस्थिति आवश्यक होगी।
- (14) संवीक्षा/चयन समिति द्वारा की गयी किसी संस्तुति को तब तक विधिमान्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ चयन से सहमत न हों।
- (15) चयन समिति के सदस्यों को बैठक से पहले कम से कम 15 दिन पूर्व नोटिस दिया जायेगा, जिसकी गणना ऐसी नोटिस के प्रेषण की तारीख से की जाएगी। नोटिस की तामील या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।
- (16) अभ्यर्थियों को, चयन समिति के बैठक से पहले, कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जायेगा, जिसकी गणना ऐसी नोटिस के प्रेषण होने के तारीख से की जाएगी। नोटिस की तामील या तो व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा की जायेगी।
- (17) ऐसे प्राध्यापकों का कार्यभार, जिन्हें कैरियर अभिवर्धन स्कीम के अधीन चयन वेतनमान या उपाचार्य पदोन्नत या आचार्य पदोन्नत पद पर नियोजित किया गया है, अपरिवर्तित रहेगा।

नोट— विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम संख्या 28 तथा 29 में हुए संशोधनों के संबंध में श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून से प्राप्त स्वीकृति पत्र दिनांक 18.01.2018 के अनुपालन में निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25.01.2018 विश्वविद्यालय के नीचे दिये गए लिंक पर उपलब्ध है।

<http://www.uou.ac.in/sites/default/files/2020-10/pariniyamabli-30-06-2020.pdf>

अध्यापकों की ज्येष्ठता

- 30 (1) इस अध्याय के परिनियमों से इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व से विश्वविद्यालय में नियोजित अध्यापकों की परस्पर ज्येष्ठता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (2) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह इसके पश्चात आये परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों के संबंध में एक पूर्ण और अद्यावधि ज्येष्ठता सूची तैयार करे और रखे।
- (3) विद्या-शाखा के निदेशकों में परस्पर ज्येष्ठता का अवधारण उनके द्वारा विद्या-शाखा के निदेशक के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायेगा;
परन्तु जब दो या इससे अधिक निदेशकों का उक्त पद पर सेवाकाल समान अवधि का हो, तो आयु में ज्येष्ठ निदेशक को इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायेगा।
- (4) विद्या-शाखा के विभागाध्यक्षों में परस्पर ज्येष्ठता का अवधारण, उनके द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में की गयी सेवा की कुल अवधि से किया जायेगा:

परन्तु जब दो या इससे अधिक विभागाध्यक्ष उक्त पद पर समान समयावधि तक रहे हों, तो आयु में ज्येष्ठ विभागाध्यक्ष को इस अध्याय के प्रयोजनार्थ ज्येष्ठ समझा जायेगा।

31— ज्येष्ठता अवधारणः—

(1) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की ज्येष्ठता अवधारित करने में निम्नलिखित नियमों का पालन किया जायेगा:—

(क) किसी आचार्य को प्रत्येक उपाचार्य से ज्येष्ठ समझा जायेगा, और किसी उपाचार्य को प्रत्येक प्राध्यापक से ज्येष्ठ समझा जायेगा;

(ख) एक ही संवर्ग में पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता, ऐसे संवर्ग में निरन्तर सेवा की अवधि के अनुसार अवधारित की जायेगी;

परन्तु, यह कि जहां सीधी भर्ती द्वारा एक से अधिक नियुक्तियां एक ही समय में की गयी हों, और यथास्थिति, चयन समिति या कार्य-परिषद् द्वारा अधिमान्यता या योग्यता का क्रम इंगित किया गया हो, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता इस प्रकार इंगित क्रम द्वारा नियंत्रित होगी;

परन्तु यह और कि जहां एक से अधिक नियुक्तियां एक ही बार में पदोन्नति द्वारा की गयी हो, वहां इस प्रकार नियुक्त अध्यापकों की पारस्परिक ज्येष्ठता वहीं होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा धारित पद पर थी।

(ग) यदि (उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय से भिन्न) किसी विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय या ऐसे विश्वविद्यालय के किसी संस्थान में चाहे वह उत्तराखण्ड या उत्तराखण्ड से बाहर स्थित हो, मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक, विश्वविद्यालय में तत्स्थानी पद या श्रेणी के पद पर नियुक्त किया जाये, तो अध्यापक द्वारा ऐसे विश्वविद्यालय में उक्त श्रेणी या पंक्ति में की गयी सेवा अवधि को उसके सेवाकाल में सम्मिलित किया जायेगा।

(घ) यदि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय से भिन्न किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में मौलिक पद धारण करने वाला कोई अध्यापक चाहे इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त किया जाये तो अध्यापक की ऐसे महाविद्यालय में मौलिक रूप में की गयी सेवा अवधि की आधी अवधि को उसकी सेवा-अवधि में सम्मिलित किया जायेगा।

(2) जहां एक ही संवर्ग के एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की अनवरत् सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों, वहां ऐसे अध्यापकों की सापेक्ष ज्येष्ठता निम्नलिखित प्रकार से अवधारित की जाएगी:—

(क) आचार्यों के मामले में, उपाचार्य के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा;

(ख) उपाचार्यों के मामले में, प्राध्यापक के रूप में की गयी मौलिक सेवा की अवधि पर विचार किया जायेगा;

(ग) उन आचार्यों की स्थिति में, जिनकी उपाचार्य के रूप में भी सेवा अवधि उतनी ही हो तो प्राध्यापक के रूप में उनकी सेवा अवधि पर विचार किया जायेगा।

(3) जहां एक से अधिक अध्यापक समान अवधि की सेवा की गणना किये जाने के हकदार हों और उनकी सापेक्ष ज्येष्ठता किन्हीं पूर्ववर्ती उपबन्धों के अनुसार अवधारित नहीं की जा सकती है तो ऐसे अध्यापकों की ज्येष्ठता, आयु के आधार पर अवधारित की जायेगी।

(4) किसी अन्य परिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि कार्य परिषद्—

क) चयन समिति की सिफारिश से सहमत हों, और एक ही विभाग में अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के लिए दो या अधिक व्यक्तियों के नाम को अनुमोदित करे तो वह ऐसा अनुमोदन अभिलिखित करते समय, ऐसे अध्यापकों का योग्यता कम अवधारित करेगी;

(ख) चयन समिति की सिफारिशों से सहमत न हों और परिनियम 25 के उपखण्ड (5) के अधीन मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट करे तो कुलाधिपति उन मामलों में, जहां एक ही विभाग में दो या अधिक अध्यापकों की नियुक्ति अन्तर्ग्रस्त हो, ऐसे निर्देश का अवधारण करते समय ऐसे अध्यापकों की योग्यता कम अवधारित करेगा।

(5) ऐसे योग्यताक्रम की जिसमें खण्ड (4) के अधीन दो या अधिक अध्यापक रखे जायं, सूचना संबंधित अध्यापकों को उनकी नियुक्ति के पूर्व दी जायेगी।

(6) कुलपति समय-समय पर एक या अधिक ज्येष्ठता समिति गठित करेंगे। जिसमें/जिनमें अध्यक्ष के रूप में स्वयं कुलपति और कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले दो विद्या-शाखाओं के निदेशक होंगे;

परन्तु यह है कि ऐसे विद्या-शाखा का निदेशक, जिसके अध्यापक की वरिष्ठता विवादित हो, उपर्युक्त ज्येष्ठता समिति का सदस्य नहीं होगा;

परन्तु यह और कि यदि निदेशक, नियुक्त न होने के कारण या पदों का सृजन न होने के कारण, उपलब्ध नहीं है तो कुलाधिपति, विश्वविद्यालय से या उससे बाहर से दो आचार्यों को नाम-निर्दिष्ट कर सकता है।

(7) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की ज्येष्ठता के बारे में प्रत्येक विवाद, ज्येष्ठता समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो विनिश्चय के कारणों को उल्लिखित करते हुए, उसे विनिश्चित करेगी।

(8) ज्येष्ठता समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चय संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के अंदर कार्य परिषद को अपील कर सकता है। यदि कार्यपरिषद समिति से सहमत न हो तो वह ऐसी असहमति के कारण बतायेगी।

आकस्मिक छुट्टी

32 (1) आकस्मिक छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायेगी जो एक मास में सात दिन अथवा एक सत्र से चौदह दिन से अधिक नहीं होगी और यह संचित नहीं होगी। यह साधारणतया अवकाश के दिन के साथ मिलायी नहीं जा सकेगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में कुलपति उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, इस शर्त को त्याग सकता है।

विशेषाधिकार छुट्टी *

(2) एक सत्र में दस कार्य-दिवस तक की विशेषाधिकार छुट्टी पूर्ण वेतन पर होगी, और यह 60 कार्य दिवस तक संचित की जा सकती है।

*** सचिव कुलाधिपति के पत्र संख्या 4208/ जी0एस0/ शिक्षा -सी7-13/2014 दिनांक 28 मार्च, 2014 द्वारा विशेषाधिकार अवकाश पर निम्न प्रकार प्रतिस्थापन कर दिया गया है-**

(2) विश्वविद्यालय में परम्परागत विश्वविद्यालय की भांति ग्रीष्म एवं शीतकालीन अवकाश का प्राविधान न होने से शिक्षकों को राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों की भांति वर्ष भर में 30 दिनों का उपार्जित अवकाश देय होगा।

कर्तव्य (ड्यूटी) छुट्टी:-

(3) विश्वविद्यालय के ऐसे निकायों, तदर्थ समितियों तथा सम्मेलनों के, जिसमें कोई अध्यापक पदेन सदस्य हो या जिसमें वह विश्वविद्यालय द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो, किसी अधिवेशन में सम्मिलित होने

तथा विश्वविद्यालय की परीक्षा संचालित करने के लिए 15 कार्य दिवस तक की कर्तव्य (ड्यूटी) छुट्टी पूर्ण वेतन पर दी जायेगी।

दीर्घकालीन छुट्टी

- (4) किसी एक सत्र में एक मास के लिए दीर्घ कालीन छुट्टी, जो आधे वेतन पर होगी, और जो बारह मास तक संचित की जा सकती है, उन कारणों से यथा लम्बी बीमारी, आवश्यक कार्य, अनुमोदित अध्ययन या निवृत्तिक पूर्वता के लिए दी जा सकती है:

परन्तु, यह कि लम्बी बीमारी की स्थिति में छुट्टी, कार्य परिषद के विवेकानुसार छः मास से अनधिक अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर दी जा सकती है। ऐसी छुट्टी, लम्बी बीमारी को छोड़कर, केवल पांच वर्ष की लगातार सेवा के पश्चात् दी जा सकती है;

परन्तु यह और कि ऐसे अध्यापकों को, जिनका चयन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अध्यापक अध्येतावृत्ति के लिए या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या दूरस्थ शिक्षा परिषद् या केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन किसी अनुदान आयोग या दूरस्थ शिक्षा परिषद् विश्वविद्यालय या किसी केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन प्रायोजित किसी अन्य योजना के अधीन विदेश में प्रशिक्षण अथवा अन्य के लिए चयन किया जाता है तो उन्हें अध्येतावृत्ति, शिक्षण या अध्ययन की अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायं, छुट्टी दी जा सकती है।

असाधारण छुट्टी

- (5) असाधारण छुट्टी बिना वेतन के होगी। यह प्रारम्भ में ऐसे कारणों से जिन्हें कार्य परिषद् उचित समझे, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए दी जा सकती है, किन्तु परिनियम 28 के खण्ड (22) में उल्लिखित परिस्थितियों के सिवाय, यह विशेष परिस्थितियों के अधीन दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है।

स्पष्टीकरण: (1) अध्यापक जो कोई स्थायी पद धारण करता हो या जो निम्न पद पर स्थायी होने पर तीन वर्ष से अधिक अवधि से किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, राज्य सरकार की सहमति से, उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के लिए स्वीकृत की गयी असाधारण छुट्टी की अवधि की गणना समय-मान में अपनी वेतनवृद्धि के लिए गणना किये जाने का हकदार होगा ;

परन्तु यह कि उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन के अन्तर्गत निम्नांकित कार्यों को सम्मिलित किया जा सकेगा—

(क) संबंधित शिक्षक उच्चतर अध्ययन के लिए प्रदेश में या प्रदेश से बाहर जा रहा हो, जिसके लिए विश्वविद्यालय की कार्य परिषद एवं शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गयी हो। यदि पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है, तो ऐसा अवकाश देय नहीं होगा।

(ख) उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन का आशय अन्यत्र सेवा करना नहीं है। (सामान्यतः शिक्षक उच्चतर वेतनमान में सेवारत होने के उपरान्त एक या दो शोध पत्र सेमिनार आदि में प्रस्तुत करते हैं, जिसे वे उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन मानते हैं।)

(ग) उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन पूर्णतः वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन होना चाहिए। यह अवकाश स्वीकृत करने के लिए आशय नहीं होनी चाहिए।

(घ) यदि कोई अभ्यर्थी विदेश में उच्च वेतनमान में सेवा आदि करता है, साथ ही एक या दो शोध पत्र अथवा पुस्तक भी लिखता है, तो यह उच्च वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन नहीं समझा जायेगा।

(2) राज्य सरकार की सहमति कोई अध्यापक, जो अस्थायी पद धारण करता हो, और जिसे ऐसी छुट्टी स्वीकृत की गयी हो, ऐसी छुट्टी से वापस आने पर, फाइनेन्सियल हैण्डबुक, खण्ड 2, भाग 2 से भाग 4

के मूल नियम 27 के अनुसार अपना वेतन समयमान में ऐसी अवस्था पर निर्धारित कराने का हकदार होगा जो उसे उस समय मिलता यदि वह छुट्टी पर न गया होता, परन्तु यह कि वह अध्ययन जिसके लिए छुट्टी स्वीकृत की गयी थी, लोकहित में रहा हो।

प्रसूति छुट्टी

(6) अध्यापिकाओं को पूर्ण वेतन सहित 135 दिनों की अवधि तक प्रसूति छुट्टी दी जा सकेगी:

परन्तु ऐसी छुट्टी अध्यापिका को अस्थायी सेवा सहित, यदि कोई हो, सम्पूर्ण सेवा अवधि में दो बार से अधिक नहीं दी जायेगी।

नोट— विश्वविद्यालय परिनियमावली के परिनियम संख्या 32(6) में हुए संशोधनों के संबंध में श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून से प्राप्त स्वीकृति पत्र दिनांक 22.06.2020 के अनुपालन में निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.06.2020 विश्वविद्यालय के नीचे दिये गए लिंक पर उपलब्ध है।

<http://www.uou.ac.in/sites/default/files/2020-10/pariniyamabli-30-06-2020.pdf>

(7) छुट्टी अधिकार स्वरूप नहीं मांगी जा सकती है। तात्कालिक की आवश्यकता को देखते हुए, स्वीकर्ता अधिकारी किसी भी प्रकार की छुट्टी स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है और पहले से स्वीकृत की गयी छुट्टी को भी रद्द कर सकता है।

बीमारी की छुट्टी

(8) किसी पंजीकृत चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर बीमारी की छुट्टी या लम्बी बीमारी के कारण दीर्घकालीन छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। यदि ऐसी छुट्टी 14 दिनों से अधिक हो तो कुलपति ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक का, जो उसके द्वारा अनुमोदित हो, द्वितीय प्रमाण पत्र मांगने के लिए सक्षम होगा।

(9) दीर्घकालीन छुट्टी तथा असाधारण छुट्टी को छोड़कर, जो कार्य परिषद् द्वारा स्वीकृत की जायेगी, के सिवाय, छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी कुलपति होगा।

अधिवर्षिता की आयु *

33 (1) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष होगी ;

परन्तु, यह कि यदि किसी अध्यापक की अधिवर्षिता का दिनांक 30 जून को न हो तो वह अध्यापक शिक्षा सत्र के अन्त तक अर्थात् अनुवर्ती 30 जून तक सेवा में बना रहेगा और वह अपनी अधिवर्षिता के दिनांक के ठीक अनुवर्ती दिनांक से आगामी 30 जून तक पुनर्नियोजित समझा जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की सेवानिवृत्ति की तारीख ऐसे अध्यापक के साठवें जन्म तारीख के ठीक पूर्व की तारीख होगी।

** सचिव कुलाधिपति के पत्र संख्या 4208/ जी0एस0/ शिक्षा -सी7-13/2014 दिनांक 28 मार्च, 2014 द्वारा अधिवर्षिता आयु का निम्न प्रकार प्रतिस्थापन कर दिया गया है-*

33 (1) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की अधिवर्षिता की आयु 65 वर्ष होगी ;

परन्तु, यह कि यदि किसी अध्यापक की अधिवर्षिता का दिनांक 30 जून को न हो तो वह अध्यापक शिक्षा सत्र के अन्त तक अर्थात् अनुवर्ती 30 जून तक सेवा में बना रहेगा और वह अपनी अधिवर्षिता के दिनांक के ठीक अनुवर्ती दिनांक से आगामी 30 जून तक पुनर्नियोजित समझा जायेगा।

- (2) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की सेवानिवृत्ति की तारीख ऐसे अध्यापक के पैंसठवें जन्म तारीख के ठीक पूर्व की तारीख होगी।

अन्य उपबन्ध

- 34 (1) इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व, किसी अध्यापक और विश्वविद्यालय के बीच की गयी कोई नियुक्ति संविदा, अध्याय में दिये गये परिनियमों के उपबन्धों के अधीन होगी, और इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार और परिशिष्ट 'क' और परिशिष्ट 'ख' में दिये प्रपत्र की शर्तों के अनुसार उपांतरित समझी जायेगी।
- (2) परिनियम 27 के खण्ड (9) के प्रस्तर (ख), (ग), (घ), (ङ.) में उल्लिखित किसी कारण से सेवा से पदच्युत किया गया कोई अध्यापक विश्वविद्यालय में किसी भी रूप में फिर से नियोजित नहीं किया जायेगा।
- (3) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक अपनी वार्षिक शैक्षिक प्रगति रिपोर्ट दो प्रतियों में तैयार करेगा। मूल रिपोर्ट कुलपति के पास रखी जायेगी और उसकी प्रति अध्यापक अपने पास रखेगा।
- (4) कुलपित को प्रस्तुत करने से पूर्व मूल रिपोर्ट, निदेशक से भिन्न अध्यापक की दशा में संबंधित निदेशक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित की जायेगी।
- (5) किसी शिक्षा सत्र के संबंध में रिपोर्ट उक्त सत्र के अनुवर्ती जुलाई के अन्त तक, या सत्र समाप्त होने के एक मास के अन्दर, इनमें जो भी बाद में हो, दी जायेगी।
- (6) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के संबंध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों और प्राधिकारियों के निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।
- (7) जहां अधिनियम या इस परिनियमावली या अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन किसी अध्यापक पर कोई नोटिस तामील करना अपेक्षित हो, और ऐसा अध्यापक मुख्यालय पर न हो, वहां ऐसी नोटिस उसे उसके अन्तिम ज्ञात पते पर पंजीकृत डाक से भेजी जा सकती है।

अध्याय—सात

कर्मचारी वर्ग ;अध्यापक से भिन्नद्ध की सेवा के निबन्धन और शर्तें

पुस्तकालयाध्यक्ष(धारा 30(घ))

- 35 (1) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, एक पूर्णकालिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है।
- (2) पुस्तकालयाध्यक्ष, का चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा। चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् –

(क) कुलपति

अध्यक्ष

(ख) पुस्तकालय विज्ञान के दो विशेषज्ञ जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे
सदस्य

- (3) जब तक खण्ड (2) के अधीन नियुक्त पुस्तकालयाध्यक्ष अपने पद का कार्यभार न सम्भाले तब तक कार्य परिषद् ऐसी अवधि, के लिए, जिसे वह उचित समझे, विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी को अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त कर सकती है।
- (4) पुस्तकालयाध्यक्ष की अर्हतायें ऐसी होंगी जैसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर विहित की जायें।
- (5) पुस्तकालयाध्यक्ष की परिलब्धियां ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायें।
- (6) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का अनुरक्षण तथा उसकी सेवाओं को ऐसी रीति से जो अध्यापन कार्य तथा अनुसंधान कार्य के हित में सर्वाधिक सहायक हो, संगठित करना पुस्तकालयाध्यक्ष का कर्तव्य होगा।
- (7) पुस्तकालयाध्यक्ष कुलपति के अनुशासनिक नियंत्रण में रहेगा; परन्तु यह कि उसे अनुशासनिक कार्यवाहियों में अपने विरुद्ध कुलपति द्वारा दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा।
- (8) पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी अध्यादेश में अधिकथित की जायें।
- (9) अन्य अधिकारियों और शिक्षणोत्तर कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति और सेवा के निबन्धन और शर्तें और आचार संहिता, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया, सेवा के निबन्धनों और शर्तों और आचार संहिता, जैसा कि अध्यादेश में अधिकथित है, द्वारा शासित होगी।
- (10) खण्ड (9) में निर्दिष्ट अधिकारियों और कर्मचारी वर्गों की परिलब्धियां ऐसी होंगी, जैसी समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

अध्याय—आठ

उपाधियाँ और डिप्लोमा प्रदान करना और वापस लेना

मानक उपाधि प्रदान करना (धारा 5 (चार))

- 36 (1) ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने साहित्य, दर्शन शास्त्र, कला, संगीत, चित्रकारी अथवा कला संकाय को सौंपे गये किसी अन्य विषय की प्रगति में पर्याप्त रूप से योगदान किया हो, अथवा जिन्होंने शिक्षा के लिए उल्लेखनीय सेवा की हो, डाक्टर आफ लेटर्स (डी0लिट0) अथवा महामहोपाध्याय की मानक उपाधि प्रदान की जा सकेगी।
- (2) ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की किसी शाखा के अभिवर्धन अथवा नियोजन या देश में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संस्थाओं के संगठन या विकास में पर्याप्त रूप से योगदान किया हो, डॉ0 आफ साइन्स (डी0एस0सी0) की मानक उपाधि प्रदान की जा सकेगी।
- (3) ऐसे व्यक्ति को, जो प्रख्यात वकील, न्यायाधीश, ज्यूरी, राजनयिक है अथवा जनहित में उल्लेखनीय कार्य किया है, डा0 ऑफ लॉ (एल0एल0डी0) की मानक उपाधि प्रदान की जा सकेगी।
- (4) कार्य परिषद् स्वप्रेरण से अथवा विद्या परिषद् की सिफारिश पर, जो उसकी कुल सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा की जाय, मानक उपाधि प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति को पुष्टि के लिए प्रस्तुत कर सकती है;
- परन्तु, यह कि किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का सदस्य हो, ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।
- (5) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत किसी उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र को वापस लेने के लिए कोई कार्यवाही करने के पूर्व, सम्बद्ध व्यक्ति को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को स्पष्ट करने के लिए, अवसर दिया जायेगा। कुल सचिव उसके विरुद्ध निर्मित आरोपों की सूचना पंजीकृत डाक से भेजेगा और सम्बद्ध व्यक्ति से अपेक्षा की जायेगी कि वह आरोपों की प्राप्ति से कम से कम पन्द्रह दिन की अवधि के अन्दर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।
- (6) मानक उपाधि को वापस लेने के प्रत्येक प्रस्ताव पर कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित होगी।

अध्याय—नौ

किसी उच्च शिक्षा संस्था की मान्यता

- 37 (1) कार्य-परिषद् द्वारा मान्यता बोर्ड की सिफारिश पर संबंधित विद्याशाखा बोर्ड की सहमति और विद्या परिषद् की संस्तुति के पश्चात् किसी संस्था को, संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकेगी तथा प्रदत्त मान्यता, संबंधित विद्याशाखा बोर्ड की सहमति से विद्या परिषद् की संस्तुति पर कार्य परिषद् द्वारा प्रत्याहरित की जा सकती है।
- (2) मान्यता प्राप्त संस्थान का प्रबन्धन निम्नलिखित में निहित होगा –
- (क) संस्था का अनुरक्षण करने वाले व्यक्ति या निकाय द्वारा नियुक्त प्रबन्ध समिति या अन्य समकक्ष निकाय में, जिसके गठन की सूचना कार्य परिषद् को दी जायेगी, या
- (ख) संस्था का अनुरक्षण करने वाले निकाय या व्यक्ति द्वारा नियुक्त निदेशक।
- (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था में शोध कार्य का मार्गदर्शन संस्था के निदेशक और अन्य अध्यापकों द्वारा किया जायेगा, जो विश्वविद्यालय की डी०लिट० या डी०एस-सी० या एल-एलडी० या डी०फिल० उपाधियों हेतु मान्यता प्राप्त पर्यवेक्षक या सलाहकार हैं, द्वारा निर्देशन कार्य किया जायेगा।
- (4) संस्था के निदेशक और अन्य अध्यापक, यदि वे ऐसे सहमत हों, संबंधित विभागाध्यक्ष की सहमति से विश्वविद्यालय के शोध छात्रों के लिए उच्च व्याख्यानमाला उपलब्ध करा सकते हैं।
- (5) कोई भी व्यक्ति, जो आवश्यक अर्हता रखता है और विश्वविद्यालय की शोध उपाधि हेतु संस्थान में शोध कार्य करने का इच्छुक हो, कुलसचिव को संस्था के निदेशक के माध्यम से आवेदन करेगा। प्राप्त प्रार्थना-पत्र, अध्यादेशों के अन्तर्गत गठित शोध उपाधि समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, के अनुमोदनोपरान्त आवेदक को अध्यादेशों द्वारा विहित ऐसे शुल्क का भुगतान कर, जो अध्यादेश द्वारा विहित हो, कार्य प्रारम्भ करने के लिये अनुमति दी जाएगी।

अध्याय—दस

दीक्षान्त समारोह

- 38 (1) विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और विद्या संबंधी अन्य विशिष्टतायें प्रदान करने के लिये वर्ष में एक बार ऐसे तारीख को और ऐसे समय, जैसा कार्य परिषद् इस निमित्त नियत करे, एक दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है।
- (2) कुलाधिपति के पुर्वानुमोदन से, विश्वविद्यालय द्वारा कोई विशेष दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है।
- (3) दीक्षान्त समारोह में धारा 3 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे, जिनसे विश्वविद्यालय का निगमित निकाय गठित हो।
- (4) प्रत्येक संस्था या अध्ययन केन्द्र में ऐसी तारीख को और ऐसे समय, जैसा प्राचार्य कुलपति के लिखित पुर्वानुमोदन से नियत करे, स्थानीय दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जा सकता है।
- (5) दो या दो अधिक संस्थाएं या अध्ययन केन्द्रों के लिये, संयुक्त दीक्षान्त समारोह, परिनियम 38 के खण्ड (4) में विहित रीति से, आयोजित किया जा सकता है।
- (6) इस अध्याय में निर्दिष्ट दीक्षान्त समारोह में पालन की जाने वाली प्रक्रिया और इससे संबंधित अन्य विषय ऐसे होंगे, जैसा अध्यादेशों में निर्धारित हो।

- (7) जहां विश्वविद्यालय या किसी संस्था या अध्ययन केन्द्र के दीक्षान्त समारोह आयोजित करना सुविधाजनक न हो वहां उपाधि, डिप्लोमा और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टता सम्बद्ध अभ्यर्थियों को पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती है।

अध्याय—ग्यारह

अधिभार

अधिभार (धारा 36)

39 (1) जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अध्याय में—

(क) “परीक्षक का तात्पर्य” परीक्षक स्थानीय निधि लेखा, उत्तराखण्ड सरकार से है।

(ख) “सरकार” का तात्पर्य उत्तराखण्ड सरकार से है।

(ग) “विश्वविद्यालय का अधिकारी” का तात्पर्य अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (ख) से (छ) तक के किसी भी खंड में उल्लिखित अधिकारी और इस परिनियमावली के अधीन इस रूप में घोषित अधिकारियों से है।

- (2) किसी भी ऐसे मामले में, जिसमें परीक्षक की राय हो कि किसी अधिकारी की उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति को हानि, अपव्यय या दुरुपयोग, जिसके अन्तर्गत दुर्विनियोग या अनुचित व्यय भी है, हुआ है तो वह अधिकारी से लिखित रूप में स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकता है कि क्यों न उस पर ऐसी धनराशि की हानि, धन के अपव्यय या दुरुपयोग के लिए या ऐसी धनराशि के लिए, जो सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरुपयोग के बराबर हो, अधिभार लगाया जाये, और ऐसा स्पष्टीकरण ऐसी अपेक्षा के संसूचित किये जाने के तारीख से दो मास से अनधिक अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा;

परन्तु, यह कि कुलपति से भिन्न किसी भी अधिकारी से स्पष्टीकरण कुलपति के माध्यम से मांगा जायेगा।

टिप्पणी—

(1) परीक्षक द्वारा या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रारम्भिक जांच के लिए अपेक्षित सूचना प्रस्तुत की जाएगी या समस्त संबंधित पत्रादि आदि और अभिलेख अधिकारी द्वारा या (यदि ऐसी सूचना, पत्रादि या अभिलेख उक्त अधिकारी से भिन्न व्यक्ति के पास हो, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा) दो सप्ताह से अनधिक युक्ति युक्त समय के अन्दर दिखाए जाएंगे।

(2) खण्ड (1) में दिये गये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परीक्षक निम्नलिखित मामलों में स्पष्टीकरण मांग सकता है:—

(क) जहां व्यय, इस परिनियमावली या अधिनियम या अध्यादेश या इसके अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया है।

(ख) जहां हानि, पर्याप्त अभिलिखित कारणों के बिना, कोई उच्चतर निविदा स्वीकार करने से हुई हो,

(ग) जहां विश्वविद्यालय को देय कोई धनराशि इस नियमावली, अधिनियम, अध्यादेशों या इनके अधीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के उल्लंघन में प्रेषित की गई हो,

(घ) जहां विश्वविद्यालय को अपने देयों को वसूल करने में उपेक्षा के कारण हानि हुई हो,

(ङ.) जहां विश्वविद्यालय की निधि या सम्पत्ति को ऐसे धन या सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिये युक्तियुक्त सावधानी न बरतने के कारण हानि हुई हो।

(3) उस अधिकारी की लिखित मांग पर, जिससे स्पष्टीकरण मांगा गया हो, विश्वविद्यालय उसे संबंधित अभिलेखों या निरीक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधाएं देगा। परीक्षक सम्बद्ध अधिकारी के आवेदन—पत्र पर उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए समय की युक्तियुक्त अवधि बढ़ा सकता है, यदि

उसका यह समाधान हो जाय कि आरोपित अधिकारी अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के प्रयोजन के लिए संबंधित, अभिलेखों का निरीक्षण अपने नियंत्रण से परे कारणों में नहीं कर सका।

स्पष्टीकरण—अधिनियम या इसके अधीन बनायी गयी परिनियमावलियों, अध्यादेशों का उल्लंघन करके, की गई कोई नियुक्ति, अवचार करना समझा जायेगा और ऐसी अनियमित नियुक्ति के कारण सम्बद्ध व्यक्ति को वेतन या अन्य देयों का भुगतान विश्वविद्यालय के धन की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग समझा जायेगा।

- (3) विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात् और स्पष्टीकरण पर, यदि समय के भीतर प्राप्त हो, विचार करने के पश्चात्, परीक्षक अधिकारी पर सम्पूर्ण धनराशि या उसके किसी भाग के लिये, जिसके लिये ऐसा अधिकारी उसकी राय में उत्तरदायी हो, अधिभार लग सकता है:

परन्तु, यह कि यदि दो या अधिक अधिकारियों की उपेक्षा या अवचार के परिणाम स्वरूप हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग हो तो प्रत्येक ऐसा अधिकारी संयुक्ततः और पृथकतः देनदार होगा;

परन्तु यह भी कि कोई भी अधिकारी किसी ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिए ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग होने की तारीख दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् या उसके ऐसा अधिकारी न रह जाने के तारीख से छः वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इसमें जो भी बाद हो, किसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी न होगा।

- (4) परीक्षक द्वारा पारित अधिभार संबंधी आदेश से व्यथित अधिकारी, उस मण्डल के आयुक्त को, जिसमें विश्वविद्यालय स्थित हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के अंदर अपील कर सकता है। आयुक्त परीक्षक द्वारा दिये गये आदेश को पुष्टि कर सकता है, उसे विखण्डित या परिवर्तित कर सकता है या ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे। इस प्रकार दिया गया आदेश अन्तिम होगा और इसके विरुद्ध कोई अपील न हो सकेगी।
- (5) अधिकारी, जिस पर अधिभार लगाया गया हो, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनों से साठ दिन या ऐसे अग्रेत्तर समय के अन्दर, जो उक्त दिनांक से एक वर्ष से अधिक न हो, जैसी परीक्षक द्वारा अनुमति दी जाये, अधिभार की धनराशि का भुगतान करेगा;

परन्तु, यह कि यदि परिनियम 39 के खण्ड (4) के अधीन कोई अपील प्रस्तुत की गई हो तो अपील प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से धनराशि की वसूली के लिए समस्त कार्यवाहियां आयुक्त द्वारा रोकी जा सकती हैं, जब तक कि अपील का अन्तिम रूप से विनिश्चय न हो जाय।

- (6) यदि अधिभार की धनराशि का भुगतान खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाए तो उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये के रूप में की जा सकेगी।
- (7) जहां अधिभार के किसी आदेश पर आपत्ति करने के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद संस्थित किया जाये और ऐसे वाद में परीक्षक या राज्य सरकार प्रतिवादी हों, वहां वाद का प्रतिवाद करने में उपगत समस्त खर्चों का भुगतान, विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा तथा विश्वविद्यालय का यह कर्तव्य होगा कि वह बिना किसी विलम्ब के उसका भुगतान कर दे।

अध्याय—बारह वार्षिक प्रतिवेदन

वार्षिक प्रतिवेदन (धारा 34(2))

40 अधिनियम की धारा 34 के अनुसार तैयार की गई वित्तीय वर्ष विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के 30 सितम्बर को या उसके पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी।

अध्याय—तेरह

अध्यादेश और विनियम

अध्यादेशों और विनियमों की विरचना(धारा 32 और धारा 33)

- 41 (1) प्रथम अध्यादेश के सिवाय समस्त अध्यादेश कार्य परिषद द्वारा बनाये जाएंगे।
- (2) इस परिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कार्य परिषद् समय-समय पर नये या अतिरिक्त अध्यादेश बना सकेगी या परिनियम 41 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों का संशोधन या निरसन कर सकेगी;
- परन्तु यह कि ऐसा कोई अध्यादेश बनाया, संशोधित या निरसित नहीं किया जायेगा, जिससे—
- (क) छात्रों के प्रवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े या जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता दी जानी वाली परीक्षाओं अथवा विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रवेश के लिए और अधिक अर्हताओं को प्रभावित करें,
- (ख) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों तथा रीति और उनके कर्तव्यों तथा परीक्षाओं या संबंधित शाखा के प्रस्ताव के सिवाय और जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित न किया गया हो, किसी पाठ्यक्रम के संचालन या स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, या
- (ग) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा परिलब्धियां अथवा विश्वविद्यालय की आय या व्यय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, जब तक कि उसका प्रारूप राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।
- (3) कार्य परिषद् को परिनियम 41 के खण्ड (2) के अधीन विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति नहीं होगी, किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकेगी या उसे विद्या परिषद को पूर्णतः अथवा भागतः पुनः विचारार्थ किसी ऐसे संशोधनों के साथ वापस कर सकेगी, जिसका कार्य परिषद सुझाव दे।
- (4) कार्य परिषद द्वारा बनाये गये सभी अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे, जैसा वह निर्देश दे और यथाशीघ्र कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जायेंगे।
- (5) कुलाधिपति किसी समय कार्य परिषद को परिनियम 41 के खण्ड (2) के परन्तुक खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेशों से भिन्न अध्यादेशों की अस्वीकृति से सूचित कर सकेगा और कार्य परिषद् को ऐसी अस्वीकृति की सूचना प्राप्त होने की तारीख से ऐसे अध्यादेश शून्य हो जायेंगे।
- (6) कुलाधिपति यह निर्देश दे सकेगा कि परिनियम 41 के खण्ड (2) के परन्तुक खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश से भिन्न किसी अध्यादेश का प्रवर्तन तब तक निलम्बित रहेगा जब तक उसे अध्यादेश को अस्वीकृत करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर न मिला हो। इस परिनियम के अधीन निलम्बन का कोई आदेश ऐसे आदेश की तारीख से एक मास की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

विनियमों का बनाया जाना

- 42 (1) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी निम्नलिखित के लिए विनियम बना सकेगा:—
- (क) बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करना,

- (ख) ऐसे समस्त विषयों का प्राविधान करना, जो अधिनियम, परिनियमों या, अध्यादेशों में विनियमों द्वारा विहित किये जाने हो।
- (2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा बनाये गये विनियमों में, उसके सदस्यों को बैठकों की तारीख, और उनमें किये जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा ऐसी बैठकों में किये जाने वाले कामकाज का अभिलेख रखने का भी प्राविधान किया जाएगा।
- (3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को यह निर्देश दे सकेगी कि वह ऐसे प्राधिकारी या निकाय द्वारा बनाये गये किसी विनियम को रद्द कर दे या उनमें ऐसे रूप में संशोधन कर दे, जैसा निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाये, और तदुपरान्त ऐसा प्राधिकारी तदनुसार विनियम को रद्द करेगा अथवा उसमें संशोधन करेगा;
- परन्तु, यह कि यदि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का समाधान किसी ऐसे निर्देश से न हो तो वह कुलाधिपति को अपील कर सकता है, जो कार्य परिषद् के विचार प्राप्त कर लेने के पश्चात ऐसा आदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।
- (4) आध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा, उपाधि या डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिए संबंधित विद्या शाखा बोर्ड के द्वारा उसके प्रारूप प्रस्तावित किये जाने के पश्चात ही विनियम बना सकेगी।
- (5) विद्या परिषद् को परिनियम 42 के खण्ड (4) के अधीन विद्या शाखा के बोर्ड द्वारा प्रस्तावित, किसी प्रारूप में संशोधन अथवा उसे अस्वीकार करने की शक्ति न होगी, किन्तु वह उसे बोर्ड को अपने सुझावों के साथ विचार करने के लिए वापस कर सकेगी।

आज्ञा से,
(अंजली प्रसाद)
सचिव।

नोट— विश्वविद्यालय की परिनियमावली में हुए संशोधनों का विवरण विश्वविद्यालय के नीचे दिये गए लिंक पर उपलब्ध है।

<http://www.uou.ac.in/sites/default/files/2020-10/pariniyamabli-30-06-2020.pdf>

मैनुअल संख्या : 6

ऐसे दस्तावेजों के, जो उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का वितरण.

विश्वविद्यालय में समस्त कार्यों का निर्वहन कुलपति कार्यालय, कुलसचिव कार्यालय एवं वित्त नियंत्रक कार्यालय द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालय में वर्तमान में धारित पत्रावलियों का विवरण निम्न प्रकार है –

कुलपति कार्यालय –

| S.N. | File Name | File No. |
|------|---|----------------|
| 1. | V.C Office Orders/Notices | UOU/VC/2010/01 |
| 2. | UOU Office Orders/Notices | UOU/VC/2010/02 |
| 3. | Order/Notice Issued by OSD | UOU/VC/2010/03 |
| 4. | Correspondence with H.E Governor/ Chancellor | UOU/VC/2010/04 |
| 5. | Correspondence with Other Universities/Institutions | UOU/VC/2010/05 |
| 6. | Correspondence with Government | UOU/VC/2010/06 |
| 7. | Correspondence with Higher Education | UOU/VC/2010/07 |
| 8. | Correspondence with Hon'ble C.M Uttarakhand | UOU/VC/2010/08 |
| 9. | DEC Correspondence | UOU/VC/2010/09 |
| 10. | Outgoing orders of Hon'ble V.C | UOU/VC/2010/10 |
| 11. | Guard File (outgoing) | UOU/VC/2010/11 |
| 12. | शिकायती पत्रों से सम्बन्धित पत्रावली | UOU/VC/2010/12 |
| 13. | Progress reports | UOU/VC/2010/13 |
| 14. | UGC Notice (Rules & Regulations) | UOU/VC/2010/14 |
| 15. | Minutes of Meeting (External and Internal) | UOU/VC/2010/15 |
| 16. | Imprest file | UOU/VC/2010/16 |
| 17. | Miscellaneous file | UOU/VC/2010/17 |
| 18. | Confidential File | UOU/VC/2010/18 |
| 19. | National Festival | UOU/VC/2010/19 |
| 20. | VIP's Visit Program | UOU/VC/2010/20 |
| 21. | V.C/Officers Mobile payment | UOU/VC/2010/21 |
| 22. | Offer/Order of Consultant | UOU/VC/2010/22 |
| 23. | Establishment of Computers in Universities | UOU/VC/2010/23 |
| 24. | Miscellaneous | UOU/VC/2010/24 |
| 25. | शासन को पदों की स्वीकृति हेतु पत्राचार | UOU/VC/2010/25 |
| 26. | National Bureau of Accreditation | UOU/VC/2010/26 |
| 27. | V.C conference (July 12,13 2010) | UOU/VC/2010/27 |
| 28. | CIQA व्याख्यान पत्रावली (अक्टूबर 2010) | UOU/VC/2010/28 |
| 29. | Condolence File | UOU/VC/2010/29 |
| 30. | V.C Personal File | UOU/VC/2010/30 |
| 31. | V.C Tour File | UOU/VC/2010/31 |
| 32. | V.C Income tax File | UOU/VC/2010/32 |
| 33. | Daily Program of V.C | UOU/VC/2010/33 |
| 34. | Meeting Notice | UOU/VC/2010/34 |
| 35. | Biodata | UOU/VC/2010/35 |
| 36. | Camp Office | UOU/VC/2010/36 |
| 37. | Recognition of courses | UOU/VC/2010/37 |

| | | |
|-----|--|----------------|
| 38. | Temporary file | UOU/VC/2010/38 |
| 39. | correspondence with U.P. Rajshree Tondon Open University | UOU/VC/2010/39 |
| 40. | Release of Books At Raj Bhawan | UOU/VC/2010/40 |
| 41. | Udaan (University News Letter) | UOU/VC/2010/41 |
| 42. | Condolence File | UOU/VC/2010/42 |
| 43. | ODL System | UOU/VC/2010/43 |
| 44. | Programs attended by V.C | UOU/VC/2010/44 |
| 45. | Unit Writing | UOU/VC/2011/45 |
| 46. | RNI | UOU/VC/2011/46 |
| 47. | Seminar and Conferences | UOU/VC/2011/47 |
| 48. | Correspondence with AICTE | UOU/VC/2011/48 |
| 49. | Tata Motors | UOU/VC/2011/49 |
| 50. | Centre for Tribal Studies in Uttarakhand | UOU/VC/2011/50 |
| 51. | विश्वविद्यालय के भूमि पूजन एवं शिलान्यास | UOU/VC/2011/51 |
| 52. | file related to Court Cases | UOU/VC/2011/52 |
| 53. | Orientation of Programmes | UOU/VC/2011/53 |

कुलसचिव कार्यालय –

| Sl. No. | File Name | File No. |
|---------|--|---|
| 1. | MEETING | UOU/R1/MEETING/200/2010 |
| 2. | STUDY CENTRE | UOU/R1/SC/201/2010 |
| 3. | CONFERENCES | UOU/R1/CONFERENCE/202/2010 |
| 4. | TOUR OF REGISTRAR | UOU/R1/T.R./203/2010 |
| 5. | EXECUTIVE COUNCIL | UOU/R1/E.C./204/2010 |
| 6. | ACADEMIC COUNCIL | UOU/R1/A.C./205/2010 |
| 7. | PLANNING BOARD | UOU/R1/P.B./206/2010 |
| 8. | BOARD OF STUDIES | UOU/R1/BOS/207/2010 |
| 9. | R.T.I (PUBLIC INFORMATION OFFICER) | UOU/R1/RTI/208/2010 |
| 10. | R.T.I. (APPEAL AUTHORITY) | UOU/R1/R.T.I.(A)/209/2010 |
| 11. | CORRESPONDENCE WITH UNIVERSITY GRANTS COMMISSION (UGC) | UOU/R1/UGC/210/2010 |
| 12. | DISTANCE EDUCATION COUNCIL (DEC) | UOU/R1/DEC-04/211/2010 |
| 13. | MOU (IGNOU) | UOU/R1/MOU(IGNOU)/212/2010 |
| 14. | MOU (VMOU) | UOU/R1/MOU(VMOU)/213/2010 |
| 15. | CORRESPONDENCE OF COURT CASES | UOU/R1/COURT/214/2010 |
| 16. | LAXMI PUBLICATIONS | UOU/R1/MOU(L.P)/215/5/2010 |
| 17. | TRANSFER OF LAND | UOU/R1/LAND/216/2010 |
| 18. | CORRESPONDENCE RELATED TO SANCTION OF POSTS | UOU/R1/POST/217/2010 |
| 19. | INDIAN KNOWLEDGE CORPORATION | UOU/R1/IKC/218/2010 |
| 20. | समतुल्यता एवं प्रवेश अर्हता | UOU/R1/ /219/2010 |
| 21. | MOU WITH OTHER COLLABORATORS | UOU/R1/MOU(C)/220/2010 |
| 22. | CORRESPONDENCE WITH STATE GOVT. | UOU/R1/S.G./221/2010 |
| 23. | MISCELLANEOUS | UOU/R1/MISC/222/1020 |
| 24. | OFFICE ORDER | UOU/R1/ORDER/223/2010 |
| 25. | M.B.A. ENTRANCE EXAM | UOU/R1/MBA(E.T.)/224/2010 |
| 26. | PROJECTS | UOU/R1/PROJECT/225/2010 |
| 27. | यौन उत्पीडन निवारण समिति | UOU/R1/ SH/226/2010 |
| 28. | GAZETTEE NOTIFICATION | UOU/R1/G.N./227/2010 |
| 29. | MINUTES OF THE MEETING | UOU/R1/MOM/228/2010 |
| 30. | CORRESPONDENCE WITH COURSE WRITERS | UOU/R1/C.W. /229/2010 |
| 31. | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियमावली – 2010 के अनुसार कार्यवाही | UOU/R1/U.G.C. REGU. /230/2010 |
| 32. | विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 47(2) में संशोधन के संबंध में। | UOU/R1/ACT. AMEND.(vf/k0 la”kks)/231/2010 |
| 33. | विश्वविद्यालय की विद्या शाखाओं के निदेशक नामित किये जाने | UOU/R1/S0S/232/2010 |

| | | |
|-----|---|--|
| | के संबंध में। | |
| 34. | BOARD OF RECOGNITION (मान्यता बोर्ड) | UOU/R1/B.O.R./233/2010 |
| 35. | CAMP / TRAINING PROGRAMME FILE | UOU/R1/CAM-TRA/234/2010 |
| 36. | परिनियमावली में संशोधन के सम्बन्ध में | UOU/R1/ST. AMEND./235/2010 |
| 37. | DIFFERENT DEGREE/ DIPLOMA/ CERTIFICATE PROGRAMMES OF THE UNIVERSITY | UOU/R1/PROG./236/2010 |
| 38. | SIM PURCHASE FROM IGNOU | UOU/R1/SIM(IGNOU)/237/2010 |
| 39. | Smart Skills & Tata Motors | UOU/R1/S.S&T.M/238/2010 |
| 40. | INQUIRY | UOU/R1/INQUIRY/239/2010 |
| 41. | शैक्षणिक पदों पर आरक्षण रोस्टर निर्धारण | UOU/R1/POST (R.R.)/240/2010 |
| 42. | CORRESPONDENCE WITH IGNOU | UOU/R1/IGNOU/241/2010 |
| 43. | BAPP, BACP AND BACPP पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में। | UOU/R1/PRE.PRO./242/2010 |
| 44. | पुस्तक लेखन का सम्पादन कार्य देय राशि | UOU/R1/243/2010 |
| 45. | S.C. S.P. Plan | UOU/R1/SCSP/244/2010 |
| 46. | GENERAL FILE | UOU/R1/GEN/245/2010 |
| 47. | Constitution of School of Studies | UOU/R1/SOS(C)/246/2010 |
| 48. | भवन निर्माण समिति | UOU/R1/Cons. Of Buil/247/2010 |
| 49. | विभिन्न बैठकों की तिथियों के सम्बन्ध में। | UOU/R1/बैठ की ति० / 248/2011 |
| 50. | MOU (BHOJ) | UOU/R1/MOU(BHOJ)/249/2011 |
| 51. | चयन प्रक्रिया के सम्बन्ध में | UOU/R1/Selection.Proce./250/2011 |
| 52. | Legal Opinion | UOU/R1/Legal Opi/251/2011 |
| 53. | Running of University Canteen | Uou/r1/canteen/252/2010 |
| 54. | letters/circulars/notices received from various organizations/institutions | UOU/R1/253/2010 |
| 55. | Exemption of Custom Duty & Excise | UOU/R1/CD&CE/254/2010 |
| 56. | ICSSR Fellowship | UOU/R1/ICSSR/255/2010 |
| 57. | विद्या शाखा के अन्तर्गत इकाई के स्थान पर विभाग किये जाने के सम्बन्ध में। | UOU/R1/Dept./256/2010 |
| 58. | विशेषज्ञ समिति के गठन के संबंध में | UOU/R1/257/2010 |
| 59. | Association of Indian Universities | UOU/R1/AIU/258/2010 |
| 60. | Entrepreneurship Development Institute of India | UOU/R1/EDII/259/2010 |
| 61. | Stock Verification of University Store | UOU/R1/Sto.verfi./260/2011 |
| 62. | शिक्षणोत्तर पदों की चयन प्रक्रिया विषयक | UOU/R1//262/2011 |
| 63. | K.K. Handique State Open University MOU | UOU/R1/KKHSOU/263/2011 |
| 64. | HILTRON, DEHRADUN | UOU/R1/HILTRON/264/2011 |
| 65. | Indian Knowledge Corporation – Programmes | UOU/R1/IKC-Programmes/265/2011 |
| 66. | शोध उपाधि अध्यादेश | UOU/R1//266/2011 |
| 67. | अध्यादेश संशोधन/नये अध्यादेश | UOU/R1/Amend. Ordinance/267/2011 |
| 68. | माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिकाओं के लिये नियुक्त अधिवक्ताओं के बिलों के भुगतान सम्बन्धी पत्रावली | UOU/R1/Advocate. Pay./268/2011 |
| 69. | Jitendra Singh Vs UOU | UOU/R1/C.C. 1381(2008)/269/2011 |
| 70. | Writ No. WP No.141 of 2011 (S/B) | UOU/R1/C.C. 141/270/2011 |
| 71. | Writ No. WP No.152 of 2011 (S/B) | UOU/R1/C.C. 152/271/2011 |
| 72. | RECOGNITION CELL | UOU/R1/Recog. Cell/273/2011 |
| 73. | अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में। | UOU/R1/SC.ST Com/274/2011 |
| 74. | प्रशासनिक भवन निर्माण प्रथम चरण | UOU/R1/Administrative Block /275/2011 |
| 75. | Imprest | UOU/R1/Imprest/276/2011 |
| 76. | Gandhian Studies | UOU/R1/G.S./277/2011 |
| 77. | विभिन्न कार्यकलापों के संचालन हेतु अतिरिक्त कार्य दायित्व | UOU/R1/A.C/278/2011 |
| 78. | Correspondence with Governor Secretariat | UOU/R1/G.S/279/2011 |
| 79. | Community Radio project | UOU/R1/CRP/280/2011 |
| 80. | विश्वविद्यालय स्थापना दिवस | UOU/R1/UFD/281/2011 |
| 81. | कार्य परिषद के चार सदस्यों का कुलाधिपति द्वारा मनोनयन | UOU/R1/App. Of E.C. Members by Chancellor/282/2011 |
| 82. | Registrar's Desk – Pers | UOU/R1/Desk-Pers/283/2011 |
| 83. | Matter related to All India Survey of Higher Education - MHRD | UOU/R1/AISHE/284/2011 |

| | | |
|-----|--|--------------------------------|
| 84. | उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0 | UOU/R1/ अवस्थापना / 285 / 2011 |
| 85. | Material Production & Distribution Division – Prefabricated Building | UOU/R1/Pre-Buil/286/2011 |
| 86. | Rajeev Kumar Writ petition no. 127 of 2012 (s/s) Tarai Beej Nigam Ltd. | UOU/R1/W.P. 127/287/2012 |
| 87. | Bhupal Singh Bora Vs. V.C. UOU | UOU/R1/36-2008/288/2012 |
| 88. | M.Ed. programme | UOU/R1/M.Ed/289/2012 |
| 89. | Internal Road Construction File | UOU/R2/IRC/290/2012 |
| 90. | 11/0.44 KU Sub Station | UOU/R1/Sub Sta/291/2012 |
| 91. | Website File | UOU/R1/Website/ 292/2012 |
| 92. | Personal Files | Total - 79 |
| 93. | File related to establishment of Regional Centres & Study Centres | Total - 239 |

वित्त नियन्त्रक कार्यालय –

| S.N. | File Name | File No. |
|------|----------------------|------------------------------|
| 1. | Payment | UOU/FIN/12-13 |
| 2. | Budget | UOU/FIN/700/Budget/12-13 |
| 3. | PLA | UOU/FIN/PLA/12-13 |
| 4. | Chartered Accountant | UOU/Fin/C.A. / 2011-12 |
| 5. | Income Tax Files | UOU/Income Tax/2012-13 |
| 6. | Reconcile | UOU/Fin/DEC-State-Fees/12-13 |

नोट– विभिन्न विभागों से नवसृजित फाइलों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर मैनुअल को अद्यतन किये जाने का कार्य गतिमान है।

मैनुअल संख्या : 7

किसी व्यवस्था की विशिष्टताएं, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं.

प्रत्यक्ष रूप से जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। सूचना प्राप्त करने के लिए शिविर कार्यालय के बाहर एक सूचना पट रखा गया है जिस पर लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी के नाम एवं दूरभाष दर्शाए गए हैं।

मैनुअल संख्या : 8

ऐसे बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

(1)–कार्य परिषद (Executive Council) –

1. कुलपति, अध्यक्ष
2. प्रो० पी०एस० बिष्ट,
भौतिक विज्ञान विभाग,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
एस०एस०जे०कैम्पस, अल्मोड़ा। (मा० कुलाधिपतिजी
द्वारा मनोनीत सदस्य)
3. प्रो० एल०एन० कोली,
लेखा एवं विधि विभाग,
वाणिज्य संकाय, दयालबाग शैक्षणिक संस्थान,
दयालबाग, आगरा–282005, उत्तर प्रदेश, (मा० कुलाधिपतिजी
द्वारा मनोनीत सदस्य)
4. श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला,
अध्यक्ष, हिमालयन चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री,
नबाबी रोड हल्द्वानी (नैनीताल) (मा० कुलाधिपतिजी
द्वारा मनोनीत सदस्य)
5. श्री पवन अग्रवाल,
प्रबन्ध निदेशक, नैनी गुप
नैनी पेपर्स लि० एवं नैनी टिश्यूज लि०,
काशीपुर उधमसिंहनगर। (मा० कुलाधिपतिजी
द्वारा मनोनीत सदस्य)
6. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, सदस्य
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
अथवा उनके नामित प्रतिनिधि।
7. कुलपति,
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली, अथवा उनके नामित प्रतिनिधि। सदस्य
8. प्रोफेसर आर०सी० मिश्र, सदस्य
निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य,
विद्याशाखा, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी।
9. प्रोफेसर गोविन्द सिंह, सदस्य
निदेशक पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन
विद्याशाखा, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी।

- | | |
|--|------------|
| 10. प्रोफेसर दुर्गेश पन्त, निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी, विद्याशाखा, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 11. डॉ० वीरेन्द्र कुमार, सहायक प्राध्यापक, कृषि, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 12. कुलसचिव, | सदस्य सचिव |

(2)– विद्या परिषद –

- | | |
|--|---------|
| 1. कुलपति | अध्यक्ष |
| 2. प्रोफेसर बी०एस० पठानिया,, रिटायर्ड डीन ऑफ लैंग्वेज, हिमालय प्रदेश यूनिवर्सिटी, 5, गोलघर अपार्टमेन्ट, कैलोस्टोन स्टेट शिमला– 171001 | सदस्य |
| 3. प्रोफेसर डी०पी० सकलानी, परिसर निदेशक, इतिहास विभाग, प्राचीन भारती इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), उत्तराखण्ड। | सदस्य |
| 4. प्रोफेसर अभय सक्सेना, डीन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनेजमेन्ट एण्ड कम्प्यूनिकेशन, देव संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार। | सदस्य |
| 5. प्रोफेसर (डॉ) एल०के० सिंह, प्रबन्ध अध्ययन विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय परिसर, भीमताल। | सदस्य |
| 6. प्रोफेसर जे०एस० रावत, एस०एस०जे० कैम्पस, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा। | सदस्य |
| 7. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित एक व्यक्ति जो संयुक्त सचिव से निम्न पंक्ति का न हो। | सदस्य |

- | | | |
|-----|--|------------|
| 8. | प्रोफेसर, एच0पी0 शुक्ल, निदेशक, मानविकी विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 9. | प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 10. | प्रोफेसर गिरिजा पाण्डेय, निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 11. | प्रोफेसर दुर्गेश पन्त, निदेशक, कम्प्यूटर साइंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 12. | प्रोफेसर गोविन्द सिंह, निदेशक, पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 13. | डॉ0 मंजरी अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक, प्रबन्ध अध्ययन, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 14. | डॉ0 दिनेश कुमार, सहायक प्राध्यापक, शिक्षाशास्त्र, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी। | सदस्य |
| 15. | कुलसचिव | सदस्य सचिव |

(3)–वित्त समिति –

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | कुलपति | अध्यक्ष |
| 2. | राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का सचिव या उसका नामित अधिकारी | सदस्य |
| 3. | राज्य सरकार के वित्त विभाग का सचिव या उसका नामित अधिकारी | सदस्य |
| 4. | (कार्यपरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी न हो) | सदस्य |
| 5. | वित्त नियन्त्रक, | सदस्य सचिव |

(4)– मान्यता बोर्ड

1. कुलपति अध्यक्ष
2. समस्त विद्या शाखाओं के निदेशक सदस्य
3. कुलपति द्वारा निर्दिष्ट किये गये विद्या परिषद के दो सदस्य सदस्य
4. कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट योजना बोर्ड से एक सदस्य सदस्य
5. कार्यपरिषद द्वारा नाम– निर्दिष्ट किया गया कार्य परिषद का एक सदस्य सदस्य
6. कुलसचिव सदस्य सचिव।

(5)– योजना बोर्ड

1. कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय। अध्यक्ष
2. प्रोफेसर बी०एस० राजपूत,
पूर्व कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल। सदस्य
3. प्रोफेसर सुभाष धूलिया,
पूर्व कुलपति,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय। सदस्य
4. प्रोफेसर बी०एस० बिष्ट,
पूर्व कुलपति,
गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर। सदस्य
5. डॉ० के० रविकान्त,
निदेशक, इलेक्ट्रानिक मीडिया उत्पादन केन्द्र,
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-681 सदस्य
6. श्री राकेश ओबराय,
ओबराय मोटर्स, देहरादून, 2, ए, रेसकोर्स, देहरादून। सदस्य
7. प्रोफेसर आर०सी० मिश्र,
निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्याशाखा,
उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी। सदस्य
8. प्रोफेसर एच०पी० शुक्ल,
निदेशक, मानविकी विद्याशाखा,
उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी। सदस्य
9. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, सदस्य

निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा,
उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी ।

10. प्रोफेसर दुर्गेश पंत, सदस्य
निदेशक, कम्प्यूटर साइंस एवं सूचना
प्रौद्योगिकी विद्याशाखा,
उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी ।
11. कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय । सदस्य सचिव

(6)– भवन निर्माण समिति

1. कुलपति, अध्यक्ष
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय ।
2. अधिशाषी अभियन्ता / नामित प्रतिनिधि सदस्य
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी ।
3. परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० राजकीय निर्माण सदस्य
निगम लि० मेडिकल कालेज शाखा, हल्द्वानी ।
4. परियोजना प्रबन्धक, / नामित प्रतिनिधि सदस्य
उत्तराखण्ड कृषि विपणन बोर्ड (मण्डी परिषद), रुद्रपुर ।
5. प्रोफेसर ज्योति प्रसाद, सदस्य
सिविल इंजीनियरिंग विभाग,
जी०बी०पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर ।
6. श्रीमती आभा गर्खाल, सदस्य
वित्त नियंत्रक, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी ।
7. श्री विमल मिश्र, (उप-कुलसचिव / नोडल अधिकारी, निर्माण) सदस्य
8. कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय । सदस्य सचिव
9. प्रोफेसर आर०सी० मिश्र आमन्त्रित सदस्य
निदेशक प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्याशाखा,
उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी ।
10. प्रोफेसर एच०पी० शुक्ल, आमन्त्रित सदस्य
निदेशक, मानविकी विद्याशाखा,
उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी ।
11. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, आमन्त्रित सदस्य
निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा,
उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी ।
12. प्रोफेसर पी०डी० पन्त, आमन्त्रित सचिव
परीक्षा नियंत्रक, उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी ।

(7)–परीक्षा समिति

- | | |
|---|------------|
| 1. कुलपति | अध्यक्ष |
| 2. शैक्षिक शाखाओं के सभी निदेशक | सदस्य |
| 3. शैक्षिक परिषद का एक सदस्य | सदस्य |
| 4. कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कार्य परिषद का एक सदस्य | सदस्य |
| 5. परीक्षा नियंत्रक | सदस्य सचिव |

मैनुअल संख्या : 9

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के अधिकारी व अन्य की निर्देशिका

| नाम | पदनाम | ई-मेल | फोन नं० |
|--|-------------------|-----------------------|--------------------|
| अधिकारी | | | |
| प्रोफेसर ओ०पी०एस० नेगी | कुलपति | vc@uou.ac.in | 05946263014 |
| श्री भरत सिंह | कुलसचिव | registrar@uou.ac.in | 9410789142 |
| श्रीमती आभा गर्खाल | वित्त नियन्त्रक | gabha@uou.ac.in | 9456727137 |
| प्रोफेसर पी०डी० पन्त | परीक्षा नियन्त्रक | pdpant@uou.ac.in | 9411597995 |
| श्री विमल कुमार मिश्र | उप-कुलसचिव | vkmishra@uou.ac.in | 8273885525 |
| डॉ० राकेश रयाल | जनसम्पर्क अधिकारी | rroyal@uou.ac.in | 9410967600 |
| श्री पी०एस० परिहार | प्रशासनिक अधि० | psparihar@uou.ac.in | 9837512236 |
| प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक | | | |
| प्रोफेसर आर०सी० मिश्र | प्राध्यापक | rcmishra@uou.ac.in | 9410715093 |
| प्रोफेसर एच०पी० शुक्ल | प्राध्यापक | hpshukla@uou.ac.in | 9410715100 |
| प्रोफेसर दुर्गेश पंत | प्राध्यापक | dpant@uou.ac.in | 9412375384 |
| प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे | प्राध्यापक | gpande@uou.ac.in | 9412351759 |
| प्रोफेसर गोविन्द सिंह | प्राध्यापक | govindsingh@uou.ac.in | 9410964787 |
| डॉ० मंजरी अग्रवाल | सहायक प्राध्यापक | magarwal@uou.ac.in | 9897033596 |
| डॉ० गगन सिंह | सहायक प्राध्यापक | gsingh@uou.ac.in | 9410377546 |
| डॉ० सूर्यभान सिंह | सहायक प्राध्यापक | sbhansingh@uou.ac.in | 9415936096 |
| डॉ० दिनेश कुमार | सहायक प्राध्यापक | dineshkumar@uou.ac.in | 9837875234 |
| डॉ० मदन मोहन जोशी | सहायक प्राध्यापक | mmjoshi@uou.ac.in | 9412924858 |
| डॉ० विरेन्द्र कुमार | सहायक प्राध्यापक | vkumar@uou.ac.in | 9412355175 |
| डॉ० जटाशंकर आर०पी० तिवारी | सहायक प्राध्यापक | jtewari@uou.ac.in | 9058011339 |
| डॉ० हेमन्त कांडपाल | सहायक प्राध्यापक | hkandpal@uou.ac.in | 9456365244 |
| डॉ० देवेश कुमार मिश्र | सहायक प्राध्यापक | dkmishra@uou.ac.in | 9794265167 |
| डॉ० हरीश चन्द्र जोशी | सहायक प्राध्यापक | hcjoshi@uou.ac.in | 9411107767 |
| डॉ० सुचित्रा अवस्थी | सहायक प्राध्यापक | sawasthi@uou.ac.in | 9410112792 |
| डॉ० भानू प्रकाश जोशी | सहायक प्राध्यापक | bhanujoshi@uou.ac.in | 9411163102 |
| डॉ० जीतेन्द्र पाण्डे | सहायक प्राध्यापक | jpande@uou.ac.in | 9927050094 |
| डॉ० कमल देवलाल | सहायक प्राध्यापक | kdeolal@uou.ac.in | 9411525595 |
| डॉ० नीरजा सिंह | सहायक प्राध्यापक | neerjasingh@uou.ac.in | 7499376903 |

| | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|------------|
| डॉ० ममता कुमारी | सहायक प्राध्यापक | mtamta@uou.ac.in | 9997457463 |
| डॉ० कल्पना लखेडा | सहायक प्राध्यापक | klakhera@uou.ac.in | 9412996449 |
| डॉ० सुमित प्रसाद | सहायक प्राध्यापक | sprasad@uou.ac.in | 9557183796 |
| श्री भूपेन सिंह | सहायक प्राध्यापक | bhupensingh@uou.ac.in | 9456324236 |
| डॉ० अखिलेश सिंह | सहायक प्राध्यापक | akhileshsingh@uou.ac.in | 7376651395 |
| डॉ० नन्दन कुमार तिवारी | सहायक प्राध्यापक | nktiwari@uou.ac.in | 9897797611 |
| डॉ० सीता | सहायक प्राध्यापक | seeta@uou.ac.in | 9456142556 |
| डॉ० शालिनी सिंह | सहायक प्राध्यापक | schaudhary@uou.ac.in | 9456316126 |
| श्री मोहम्मद अकरम | सहायक प्राध्यापक | makram@uou.ac.in | 9719759719 |
| डॉ० दिनेश कुमार | सहायक प्राध्यापक | dineshkumar@uou.ac.in | 9837875234 |

अकादमिक परामर्शदाता

| नाम | पदनाम | ई-मेल |
|------------------------------|---------------------|--|
| डॉ० राजेन्द्र सिंह | अकादमिक परामर्शदाता | |
| श्री द्विजेश उपाध्याय | अकादमिक परामर्शदाता | dupadhyay@uou.ac.in |
| मो० अफजल हुसैन | अकादमिक परामर्शदाता | ahusain@uou.ac.in |
| डॉ० घनश्याम जोशी | अकादमिक परामर्शदाता | gjoshi@uou.ac.in |
| डॉ० पूजा जुयाल | अकादमिक परामर्शदाता | pjuyal@uou.ac.in |
| डॉ० रन्जू जोशी पाण्डेय | अकादमिक परामर्शदाता | ripandey@uou.ac.in |
| डॉ० चारु चन्द्र पंत | अकादमिक परामर्शदाता | cpant@uou.ac.in |
| श्री बालम सिंह दफौटी | अकादमिक परामर्शदाता | bdafouti@uou.ac.in |
| श्री राजेन्द्र सिंह कवीरा | अकादमिक परामर्शदाता | rkweera@uou.ac.in |
| डॉ० मनीषा पंत | अकादमिक परामर्शदाता | mpant@uou.ac.in |
| डॉ० सिद्धार्थ कुमार पोखरियाल | अकादमिक परामर्शदाता | spokhriyal@uou.ac.in |
| डॉ० श्याम सिंह कुंजवाल | अकादमिक परामर्शदाता | skunjwal@uou.ac.in |
| डॉ० सुभाष चन्द्र | अकादमिक परामर्शदाता | |
| डॉ० प्रीति बोरा | अकादमिक परामर्शदाता | pbora@uou.ac.in |
| श्रीमती मोनिका द्विवेदी | अकादमिक परामर्शदाता | mdwivedi@uou.ac.in |
| डॉ० गोपाल दत्त | अकादमिक परामर्शदाता | gdatt@uou.ac.in |
| श्री दीपांकुर जोशी | अकादमिक परामर्शदाता | deepankurjoshi@uou.ac.in |
| डॉ० भावना डोभाल | अकादमिक परामर्शदाता | deepankurjoshi@uou.ac.in |
| डॉ० राजेश मठपाल | अकादमिक परामर्शदाता | rmathpal@uou.ac.in |
| सुश्री मीनाक्षी राणा | अकादमिक परामर्शदाता | mrana@uou.ac.in |
| डॉ० कमलेश बिष्ट | अकादमिक परामर्शदाता | kamleshbisht@uou.ac.in |

| | | |
|----------------------------|---------------------|--|
| सुश्री शिवांगी उपाध्याय | अकादमिक परामर्शदाता | supadhyay@uou.ac.in |
| डॉ० प्रदीप कुमार पंत | अकादमिक परामर्शदाता | pkpant@uou.ac.in |
| डॉ० कीर्तिका पडलिया | अकादमिक परामर्शदाता | kpalia@uou.ac.in |
| डॉ० मुक्ता जोशी | अकादमिक परामर्शदाता | muktajoshi@uou.ac.in |
| डॉ० प्रभा ढौंडियाल | अकादमिक परामर्शदाता | pdhondiyal@uou.ac.in |
| श्री नागेन्द्र सिंह गंगोला | अकादमिक परामर्शदाता | ngangola@uou.ac.in |
| श्री अशोक चन्द्र टम्टा | अकादमिक परामर्शदाता | ashoktamta@uou.ac.in |
| डॉ० रुचि तिवारी | अकादमिक परामर्शदाता | rtewari@uou.ac.in |
| डॉ० ज्योति जोशी | अकादमिक परामर्शदाता | jjoshi@uou.ac.in |
| डॉ० नमिता वर्मा | अकादमिक परामर्शदाता | nverma@uou.ac.in |
| सुश्री नीता दियोलिया | अकादमिक परामर्शदाता | 19201245@uou.ac.in |
| श्री जगमोहन परगाई | अकादमिक परामर्शदाता | jpargien@uou.ac.in |
| डॉ० प्रभाकर पुरोहित | अकादमिक परामर्शदाता | ppurohit@uou.ac.in |
| डॉ० एच.एस. भाकुनी, | अकादमिक परामर्शदाता | hsbhakuni@uou.ac.in |
| डॉ० नीरज कुमार जोशी | अकादमिक परामर्शदाता | nkjoshi@uou.ac.in |
| सुश्री प्रीति शर्मा | अकादमिक परामर्शदाता | psharma@uou.ac.in |

सहायक क्षेत्रीय निदेशक

| नाम | पदनाम | ई-मेल | फोन नं० |
|------------------------|------------------------|--|-------------------|
| श्री अनिल कण्डारी | सहायक क्षेत्रीय निदेशक | akandari@uou.ac.in | 9084124647 |
| श्री गोविन्द सिंह | सहायक क्षेत्रीय निदेशक | govinds@uou.ac.in | 7818871463 |
| श्री बृजेश बनकोटी | सहायक क्षेत्रीय निदेशक | bbankoti@uou.ac.in | 7534098691 |
| श्री पंकज कुमार | सहायक क्षेत्रीय निदेशक | pkumar@uou.ac.in | 8191003873 |
| श्री भास्कर जोशी | सहायक क्षेत्रीय निदेशक | bhaskerjoshi@uou.ac.in | 8279611074 |
| श्रीमती रेखा बिष्ट | सहायक क्षेत्रीय निदेशक | rbisht@uou.ac.in | 8279959931 |
| श्रीमती प्रियंका लोहनी | सहायक क्षेत्रीय निदेशक | plohani@uou.ac.in | 9761237775 |
| श्रीमती रुचि आर्या | सहायक क्षेत्रीय निदेशक | ruchiarya@uou.ac.in | 7456811951 |

नियमित कर्मचारी

| नाम | पदनाम | ई-मेल |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| श्री राहुल बिष्ट | कनिष्ठ सहायक | rahulbisht@uou.ac.in |
| श्री भरत नैनवाल | कनिष्ठ सहायक | bnainwal@uou.ac.in |
| श्री बृजमोहन सिंह खाती | कनिष्ठ सहायक | bkhathi@uou.ac.in |
| श्री फिरोज खान | कनिष्ठ सहायक | fkhan@uou.ac.in |
| श्री हेम चन्द्र | कनिष्ठ सहायक | hchhimwal@uou.ac.in |
| श्री त्रिलोचन पाटनी | कनिष्ठ सहायक | tpatni@uou.ac.in |
| श्री महबूब आलम | कनिष्ठ सहायक | malam@uou.ac.in |
| श्री रविन्द्र कुमार कोहली | कनिष्ठ सहायक | rkohali@uou.ac.in |
| श्री शेखर चन्द्र | वाहन चालक | |
| श्री देवेन्द्र सिंह | वाहन चालक | |
| श्री मोहन चन्द्र पाण्डेय | वाहन चालक | |
| श्री जीतेन्द्र द्विवेदी | कम्प्यूटर प्रोग्रामर | jkdwivedi@uou.ac.in |
| श्री राजेश आर्या | हार्डवेयर इंजीनियर | rarya@uou.ac.in |
| श्री विनीत पौडियाल | हार्डवेयर इंजीनियर | vpauriyal@uou.ac.in |
| श्री पी0एस0 परिहार | प्रशासनिक अधि0 | psparihar@uou.ac.in |
| श्री संजय भट्ट | आशुलिपिक | sanjaybhatt@uou.ac.in |
| श्री विमल कुमार | आशुलिपिक ग्रेड-1 | vchauhan@uou.ac.in |
| श्री राजेन्द्र नाथ गोस्वामी | कम्प्यूटर प्रोग्रामर | rgoswami@uou.ac.in |
| श्री मोहित रावत | नैटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर | mrawat@uou.ac.in |

मैनुअल संख्या : 10

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

.....
प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक/अधिकारी एवं कार्मिकों के स्वीकृत अस्थाई पदों के सापेक्ष नियुक्ति का
विवरण (माह सितम्बर, 2020 के अनुसार)

| क्र.सं. | नाम | पदनाम | वेतनमान |
|---------|----------------------------|--|--|
| 1. | प्रो० ओम प्रकाश सिंह नेगी | कुलपति | 210000/- (नियत) |
| 2. | श्री भरत सिंह | कुलसचिव (प्रतिनियुक्ति पर) | 67700-208700 (लेवल-11) |
| 3. | प्रो० पी०डी०पंत | परीक्षा नियंत्रक (प्रतिनियुक्ति पर) | 144200-218200 (एकेडमिक लेवल-14) |
| 4. | श्रीमती आभा गर्खाल | वित्त-नियंत्रक (प्रतिनियुक्ति पर) | 131100-216600 (लेवल-13क) |
| 5. | श्री विमल कुमार मिश्र | उप-कुलसचिव | 56100-177500 (लेवल-10) |
| 6. | प्रो० आर०सी०मिश्र | प्राध्यापक | 144200-218200 (एकेडमिक लेवल-14) |
| 7. | प्रो० एच०पी०शुक्ल | प्राध्यापक | 144200-218200 (एकेडमिक लेवल-14) |
| 8. | प्रो० दुर्गेश पंत | प्राध्यापक | 144200-218200 (एकेडमिक लेवल-14) |
| 9.. | प्रो० गिरिजा प्रसाद पाण्डे | प्राध्यापक | 144200-218200 (एकेडमिक लेवल-14) |
| 10. | प्रो० गोविन्द सिंह | प्राध्यापक | 144200-218200 (एकेडमिक लेवल-14) |
| 11. | डॉ० गगन सिंह | सहा० प्राध्यापक | 68900-205500 (एकेडमिक लेवल-11) |
| 12. | डॉ० मंजरी अग्रवाल | सहा० प्राध्यापक | 68900-205500 (एकेडमिक लेवल-11) |
| 13. | डॉ० सूर्यभान सिंह | सहा० प्राध्यापक | 68900-205500 (एकेडमिक लेवल-11) |
| 14. | डॉ० मदन मोहन जोशी | सहा० प्राध्यापक | 68900-205500 (एकेडमिक लेवल-11) |
| 15. | डॉ० विरेन्द्र कुमार | सहा० प्राध्यापक | 68900-205500 (एकेडमिक लेवल-11) |
| 16. | डॉ० दिनेश कुमार | सहा० प्राध्यापक | 68900-205500 (एकेडमिक लेवल-11) |
| 17. | डॉ० हरीश चन्द्र जोशी | सहा० प्राध्यापक | 68900-205500 (एकेडमिक लेवल-11) |
| 18. | डॉ० जटाशंकर आर० तिवारी | सहा० प्राध्यापक | 68900-205500 (एकेडमिक लेवल-11) |
| 19. | डॉ० दीपक पालीवाल | सहा० प्राध्यापक | 68900-205500 (एकेडमिक लेवल-11) (वर्तमान में असाधारण अवैतनिक अवकाश पर हैं) |
| 20. | डॉ० शशांक शुक्ला | सहा० प्राध्यापक | 68900-205500 (एकेडमिक लेवल-11) (वर्तमान में असाधारण अवैतनिक अवकाश पर हैं) |
| 21. | डॉ० देवेश कुमार मिश्र | सहा० प्राध्यापक | 68900-205500 (एकेडमिक लेवल-11) |
| 22. | डॉ० सुचित्रा अवस्थी | सहा० प्राध्यापक | 68900-205500 (एकेडमिक लेवल-11) |
| 23. | डॉ० भानु प्रकाश जोशी | सहा० प्राध्यापक | 68900-205500 (एकेडमिक लेवल-11) |
| 24. | डॉ० जीतेन्द्र पाण्डे | सहा० प्राध्यापक | 68900-205500 (एकेडमिक लेवल-11) |
| 25. | डॉ० हेमंत कांडपाल | सहा० प्राध्यापक | 57700-182400 (एकेडमिक लेवल-10) |
| 26. | डॉ० कमल देवलाल | सहा० प्राध्यापक | 57700-182400 (एकेडमिक लेवल-10) |
| 27. | डॉ० नीरजा सिंह | सहा० प्राध्यापक | 57700-182400 (एकेडमिक लेवल-10) |
| 28. | डॉ० ममता कुमारी | सहा० प्राध्यापक | 57700-182400 (एकेडमिक लेवल-10) |
| 29. | डॉ० सुमित प्रसाद | सहा० प्राध्यापक | 57700-182400 (एकेडमिक लेवल-10) |
| 30. | श्री भूपेन सिंह | सहा० प्राध्यापक | 57700-182400 (एकेडमिक लेवल-10) |
| 31. | डॉ० अखिलेश सिंह | सहा० प्राध्यापक | 57700-182400 (एकेडमिक लेवल-10) |
| 32. | डॉ० नन्दन कुमार तिवारी | सहा० प्राध्यापक | 57700-182400 (एकेडमिक लेवल-10) |
| 33. | डॉ० सीता | सहा० प्राध्यापक | 57700-182400 (एकेडमिक लेवल-10) |
| 34. | डॉ० शालिनी चौधरी | सहा० प्राध्यापक | 57700-182400 (एकेडमिक लेवल-10) |

| | | | | |
|-----|-------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|
| 35. | डॉ० शालिनी सिंह | सहा० प्राध्यापक | 57700-182400 | (ऐकेडमिक लेवल-10) |
| 36. | श्री मोहम्मद अकरम | सहा० प्राध्यापक | 57700-182400 | (ऐकेडमिक लेवल-10) |
| 37. | डॉ० कल्पना पाटनी लखेड़ा | सहा० प्राध्यापक | 57700-182400 | (ऐकेडमिक लेवल-10) |
| 38. | डॉ० राकेश रयाल | जनसम्पर्क अधिकारी | 56100-177500 | (लेवल-10) |
| 39. | श्रीमती रेखा बिष्ट | सहा. क्षेत्रीय निदेशक | 56100-177500 | (लेवल-10) |
| 40. | श्री बृजेश कुमार बनकोटी | सहा. क्षेत्रीय निदेशक | 56100-177500 | (लेवल-10) |
| 41. | श्रीमती प्रियंका पाण्डे | सहा. क्षेत्रीय निदेशक | 56100-177500 | (लेवल-10) |
| 42. | श्री गोविन्द सिंह | सहा. क्षेत्रीय निदेशक | 56100-177500 | (लेवल-10) |
| 43. | श्री भाष्कर जोशी | सहा. क्षेत्रीय निदेशक | 56100-177500 | (लेवल-10) |
| 44. | श्री अनिल कण्डारी | सहा. क्षेत्रीय निदेशक | 56100-177500 | (लेवल-10) |
| 45. | श्रीमती रूचि आर्या | सहा. क्षेत्रीय निदेशक | 56100-177500 | (लेवल-10) |
| 46. | श्री पंकज कुमार | सहा. क्षेत्रीय निदेशक | 56100-177500 | (लेवल-10) |
| 47. | श्री जितेन्द्र कुमार द्विवेदी | कम्प्यूटर प्रोग्रामर | 56100-177500 | (लेवल-10) |
| 48. | श्री राजेन्द्र नाथ गोस्वामी | कम्प्यूटर प्रोग्रामर | 56100-177500 | (लेवल-10) |
| 49. | श्री राजेश आर्या | हार्डवेयर इंजीनियर | 56100-177500 | (लेवल-10) |
| 50. | श्री विनीत पौड़ियाल | हार्डवेयर इंजीनियर | 56100-177500 | (लेवल-10) |
| 51. | श्री मोहित रावत | नैटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर | 56100-177500 | (लेवल-10) |
| 52. | श्री पी०एस०परिहार | प्रशासनिक अधिकारी | 35400-112400 | (लेवल-6) |
| 53. | श्री विमल कुमार | आशुलिपिक ग्रेड-1 | 29200-92300 | (लेवल-5) |
| 54. | श्री संजय भट्ट | आशुलिपिक ग्रेड-1 | 29200-92300 | (लेवल-5) |
| 55. | श्री हेम चन्द्र | कनिष्ठ सहायक | 21700-69100 | (लेवल-3) |
| 56. | श्री बृजमोहन सिंह खाती | कनिष्ठ सहायक | 21700-69100 | (लेवल-3) |
| 57. | श्री राहुल बिष्ट | कनिष्ठ सहायक | 21700-69100 | (लेवल-3) |
| 58. | श्री भारत नैनवाल | कनिष्ठ सहायक | 21700-69100 | (लेवल-3) |
| 59. | श्री रविन्द्र कुमार कोहली | कनिष्ठ सहायक | 21700-69100 | (लेवल-3) |
| 60. | श्री त्रिलोचन पाटनी | कनिष्ठ सहायक | 21700-69100 | (लेवल-3) |
| 61. | श्री महबूब आलम | कनिष्ठ सहायक | 21700-69100 | (लेवल-3) |
| 62. | श्री फिरोज खान | कनिष्ठ सहायक | 21700-69100 | (लेवल-3) |
| 63. | श्री शेखर चन्द्र | वाहन चालक | 21700-69100 | (लेवल-3) |
| 64. | श्री देवेन्द्र सिंह | वाहन चालक | 21700-69100 | (लेवल-3) |
| 65. | श्री मोहन चन्द्र पाण्डे | वाहन चालक | 21700-69100 | (लेवल-3) |

**विश्वविद्यालय में अल्पकालिक व्यवस्था के अंतर्गत (छः माह से अनधिक अवधि हेतु) अस्थाई रूप से नियोजित
अकादमिक परामर्शदाताओं, प्रशासनिक/तकनीकी परामर्शदाताओं, कैमरामैन एवं विडियो एडिटर का विवरण
(माह सितम्बर, 2020 के अनुसार)**

| क्र.सं. | नाम | विषय | मानदेय (नियत) |
|---------|------------------------------|--|---------------|
| 1 | डॉ० राजेन्द्र सिंह | अकादमिक परामर्शदाता (हिन्दी) | 35,000 / - |
| 2 | श्री द्विजेश उपाध्याय | अकादमिक परामर्शदाता (संगीत) | 35,000 / - |
| 3 | मो० अफजल हुसैन | अकादमिक परामर्शदाता (उर्दू) | 35,000 / - |
| 4 | डॉ० घनश्याम जोशी | अकादमिक परामर्शदाता (लोक प्रशासन) | 35,000 / - |
| 5 | डॉ० पूजा जुवाल | अकादमिक परामर्शदाता (वनस्पति विज्ञान) | 35,000 / - |
| 6 | डॉ० रंजू जोशी पाण्डेय | अकादमिक परामर्शदाता (भूगोल) | 35,000 / - |
| 7 | डॉ० चारु चन्द्र पंत | अकादमिक परामर्शदाता (रसायन विज्ञान) | 35,000 / - |
| 8 | श्री बालम सिंह दफौटी | अकादमिक परामर्शदाता (कम्प्यूटर विज्ञान) | 35,000 / - |
| 9 | डॉ० मनीषा पंत | अकादमिक परामर्शदाता, बी०एड० (सामान्य शिक्षा) | 35,000 / - |
| 10 | डॉ० सिद्धार्थ कुमार पोखरियाल | अकादमिक परामर्शदाता, बी०एड० (विशिष्ट शिक्षा) | 35,000 / - |
| 11 | डॉ० श्याम सिंह कुंजवाल | अकादमिक परामर्शदाता (प्राणि विज्ञान) | 35,000 / - |
| 12 | डॉ० सुभाष चन्द्र | अकादमिक परामर्शदाता (होटल मैनेजमेंट) | 35,000 / - |
| 13 | डॉ० प्रीति बोरा | अकादमिक परामर्शदाता (गृह विज्ञान) | 35,000 / - |
| 14 | श्रीमती मोनिका द्विवेदी | अकादमिक परामर्शदाता (गृह विज्ञान) | 35,000 / - |
| 15 | डॉ० गोपाल दत्त | अकादमिक परामर्शदाता (व्यवसायिक अध्ययन) | 35,000 / - |
| 16 | श्री दीपांकुर जोशी | अकादमिक परामर्शदाता (विधि) | 35,000 / - |
| 17 | डॉ० भावना डोभाल | अकादमिक परामर्शदाता (समाजशास्त्र) | 35,000 / - |
| 18 | डॉ० राजेश मठपाल | अकादमिक परामर्शदाता (भौतिकी) | 35,000 / - |
| 19 | डॉ० मीनाक्षी राणा | अकादमिक परामर्शदाता (भौतिकी) | 35,000 / - |
| 20 | डॉ० कमलेश बिष्ट | अकादमिक परामर्शदाता (गणित) | 35,000 / - |
| 21 | डॉ० शिवांगी उपाध्याय | अकादमिक परामर्शदाता (गणित) | 35,000 / - |
| 22 | डॉ० प्रदीप कुमार पंत | अकादमिक परामर्शदाता (भूगोल) | 35,000 / - |
| 23 | डॉ० कीर्तिका पडलिया | अकादमिक परामर्शदाता (वनस्पति विज्ञान) | 35,000 / - |
| 24 | डॉ० मुक्ता जोशी | अकादमिक परामर्शदाता (प्राणि विज्ञान) | 35,000 / - |
| 25 | श्री राजेन्द्र सिंह क्वीरा | अकादमिक परामर्शदाता (पत्रकारिता) | 25,000 / - |
| 26 | डॉ० प्रभा ढौंडियाल | अकादमिक परामर्शदाता (वनस्पति विज्ञान) | 25000 / - |
| 27 | श्री नागेन्द्र सिंह गंगोला | अकादमिक परामर्शदाता (अंग्रेजी) | 25000 / - |
| 28 | श्री अशोक चन्द्र टम्टा | अकादमिक परामर्शदाता (संगीत) | 25000 / - |
| 29 | डॉ० रुचि तिवारी | अकादमिक परामर्शदाता | 25000 / --- |

| | | (मनोविज्ञान) | |
|----|--|---|-----------|
| 30 | डॉ० ज्योति जोशी | अकादमिक परामर्शदाता (गृह विज्ञान) | 25000 / - |
| 31 | डॉ० नमिता वर्मा | अकादमिक परामर्शदाता (अर्थशास्त्र) | 25000 / - |
| 32 | सुश्री नीता दियोलिया | अकादमिक परामर्शदाता (योग) | 25000 / - |
| 33 | श्री जगमोहन परगाई | अकादमिक परामर्शदाता (संगीत) | 25000 / - |
| 34 | डॉ० प्रभाकर पुरोहित | अकादमिक परामर्शदाता (संस्कृत / ज्योतिष) | 25000 / - |
| 35 | डॉ० एच.एस. भाकुनी, (Senior Academic Consultant) | अकादमिक परामर्शदाता (इतिहास) | 35000 / - |
| 36 | डॉ० नीरज कुमार जोशी | अकादमिक परामर्शदाता (संस्कृत / ज्योतिष) | 25000 / - |
| 37 | सुश्री प्रीति शर्मा | अकादमिक परामर्शदाता (लाईब्रेरी साइंस) | 25000 / - |
| 38 | श्री नरेन्द्र जगूडी | प्रशासनिक परामर्शदाता | 25000 / - |
| 39 | श्री विनोद कुमार बिरखानी | प्रशासनिक परामर्शदाता | 25000 / - |
| 40 | श्रीमती कंचन बिष्ट | प्रशासनिक परामर्शदाता | 20000 / - |
| 41 | श्री राजेन्द्र जोशी | प्रशासनिक परामर्शदाता | 18000 / - |
| 42 | श्री योगेश चन्द्र गुरुरानी | प्रशासनिक परामर्शदाता | 18000 / - |
| 43 | श्री अनिल नैलवाल | तकनीकी परामर्शदाता (कम्प्यूनिटी रेडियो) | 18000 / - |
| 44 | श्रीमती सुनीता भट्ट | तकनीकी परामर्शदाता (कम्प्यूनिटी रेडियो) | 18000 / - |
| 45 | श्री नवनीत कुमार | तकनीकी परामर्शदाता | 28000 / - |
| 46 | श्री विनय कुमार टम्टा | तकनीकी परामर्शदाता | 20000 / - |
| 47 | श्री विभू कांडपाल | कैमरामैन | 22000 / - |
| 48 | श्री हरीश कुमार गोयल | वीडियो एडिटर | 25000 / - |

**उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी में बाह्य सेवा प्रदाता उपनल के माध्यम से
संविदा के आधार पर नियोजित कार्मिकों की सूची**

| क्रम सं० | नाम | पदनाम | मानदेय प्रतिमाह (रु० में) |
|----------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 01 | श्री रमन लोशाली | कम्प्यूटर लिट्रेट पी०ए० | 15000 / - |
| 02 | श्री हर्षवर्धन लोहनी | कम्प्यूटर लिट्रेट एकाउन्टेन्ट | 15000 / - |
| 03 | श्रीमती बबीता दास | कम्प्यूटर लिट्रेट स्टेनो | 15000 / - |
| 04 | श्री राकेश पपनै | वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर | 15000 / - |
| 05 | श्री नंदन सिंह अधिकारी | कोऑर्डिनेटर | 13547 / - |
| 06 | श्री मोहन चन्द्र पाण्डे | कोऑर्डिनेटर | 13547 / - |
| 07 | श्रीमती दीपा फुलारा | कोऑर्डिनेटर | 13547 / - |
| 08 | श्रीमती रंजना जोशी | कोऑर्डिनेटर | 13547 / - |
| 09 | श्री अजय कुमार सिंह | कोऑर्डिनेटर | 13547 / - |
| 10 | श्री निर्मल सिंह धोनी | कोऑर्डिनेटर | 13547 / - |
| 11 | कु० पूनम खोलिया | कम्प्यूटर ऑपरेटर | 13547 / - |
| 12 | कु० कमला राठौर | कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क | 13547 / - |
| 13 | श्री योगेश मिश्रा | कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क | 13547 / - |
| 14 | श्री पंकज बिष्ट | कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क | 13547 / - |
| 15 | श्री मनोज कुमार शर्मा | कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क | 13547 / - |
| 16 | श्री संतोष ढोढियाल | कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क | 13547 / - |
| 17 | श्री बसंत बल्लभ काण्डपाल | कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क | 13547 / - |
| 18 | श्री चारु चन्द्र जोशी | कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क | 13547 / - |
| 19 | श्री गोपाल सिंह | कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क | 13547 / - |
| 20 | श्री मनमोहन त्रिपाठी | कम्प्यूटर लिट्रेट क्लर्क | 13547 / - |
| 21 | श्री कुन्दन सिंह | क्लर्क कम टाइपिस्ट | 13547 / - |
| 22 | श्रीमती मधु डोगरा | डाटा इन्ट्री ऑपरेटर | 13547 / - |
| 23 | श्री अनिल कुमार पंत | डाटा इन्ट्री ऑपरेटर | 13547 / - |
| 24 | श्री दिनेश पाल सिंह | इलैक्ट्रीशियन | 13547 / - |
| 25 | श्री मनीष कुमार सिंह | वहन चालक | 13547 / - |
| 26 | श्री राकेश पंत | लाइब्रेरी कैटालॉगर | 13547 / - |
| 27 | श्रीमती मीतू गुप्ता | लाइब्रेरी कैटालॉगर | 13547 / - |
| 28 | श्री मनीष बुंगला | लैब अस्सिस्टेन्ट | 12262 / - |
| 29 | श्री देवेन्द्र प्रसाद | प्लम्बर | 12262 / - |
| 30 | श्री हेमचन्द्र | कम्प्यूटर ऑपरेटर | 13547 / - |
| 31 | कु० नीमा उप्रेती | कोऑर्डिनेटर | 13547 / - |
| 32 | श्री बलवन्त राम | कोऑर्डिनेटर | 13547 / - |
| 33 | श्री व्यास सिंह | चतुर्थ श्रेणी कार्मिक | 10738 / - |
| 34 | श्री चन्द्र शेखर सुयाल | चतुर्थ श्रेणी कार्मिक | 10738 / - |
| 35 | श्री चेत बहादुर थापा | अनुसेवक | 10738 / - |
| 36 | श्री नवीन चन्द्र जोशी | चपरासी | 10738 / - |
| 37 | श्रीमती उषा देवी | चपरासी | 10738 / - |
| 38 | श्री कैलाश राम | चपरासी | 10738 / - |
| 39 | श्री दीपक चन्द्र उप्रेती | बुक लिफिटर | 10738 / - |
| 40 | श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा | हेल्पर | 10738 / - |
| 41 | श्री मनोज कुमार | माली | 10738 / - |
| 42 | श्री दलीप | स्वच्छक | 10738 / - |

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में निश्चित मानदेय के आधार पर नियोजित कार्मिकों की सूची

| क्रम सं० | नाम | पदनाम | मानदेय प्रतिमाह (रु० में) |
|----------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 01 | श्री सत्येन्द्र सिंह रावत | तृतीय श्रेणी कार्मिक के रूप में | 13405 / - |
| 02 | श्री मोहन चन्द्र बवाड़ी | .तदैव. | 13405 / - |
| 03 | श्री दिनेश कुमार | .तदैव. | 13405 / - |
| 04 | श्री दिनेश चन्द्र फुलेरा | चतुर्थ श्रेणी कार्मिक के रूप में | 10625 / - |
| 05 | श्री जगत सिंह बंगारी | .तदैव. | 10625 / - |
| 06 | श्रीमती छाया देवी | .तदैव. | 10625 / - |

**बाह्य सेवा प्रदाता संस्था मै0 मैनपावर सिक्यूरिटी एजेन्सी, हल्द्वानी के माध्यम से
विश्वविद्यालय में दैनिक आधार पर नियोजित आउटसोर्स कार्मिकों की सूची**

| क्रम सं० | नाम | श्रेणी | दैनिक आधार पर मानदेय दिवस 26 माह में कुल का भुगतान रू० में |
|----------|----------------------------|--------|--|
| 01 | सुश्री पूजा हेडिया | कुशल | 10980 / - |
| 02 | श्री उमाशंकर सिंह नेगी | कुशल | 10980 / - |
| 03 | श्री राहुल सिंह नेगी | कुशल | 10980 / - |
| 04 | श्री प्रमोद चन्द्र जोशी | कुशल | 10980 / - |
| 05 | श्री हेमचन्द्र | कुशल | 10980 / - |
| 06 | सुश्री दीपिका रैकवाल | कुशल | 10980 / - |
| 07 | श्री उमेश सिंह खनवाल | कुशल | 10980 / - |
| 08 | श्री ललित मोहन | कुशल | 11660 / - |
| 09 | श्री दीपक पंत | कुशल | 10980 / - |
| 10 | श्री मोहन जोशी | कुशल | 10980 / - |
| 11 | श्रीमती लक्ष्मी धामी | कुशल | 10980 / - |
| 12 | श्री धनेश्वर नेगी | कुशल | 10980 / - |
| 13 | सुश्री निर्मला देवी | कुशल | 10980 / - |
| 14 | श्री गोकुल चन्द्र | कुशल | 10980 / - |
| 15 | श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह | कुशल | 10980 / - |
| 16 | श्री यशवन्त कुमार | कुशल | 10980 / - |
| 17 | सुश्री दिव्या गौड़ | कुशल | 10980 / - |
| 18 | सुश्री आकांशा रावत | कुशल | 10980 / - |
| 19 | श्रीमती पूनम पानू | कुशल | 10980 / - |
| 20 | श्री कमल सिंह पवार | कुशल | 10980 / - |
| 21 | श्री पूरन लाल साह | कुशल | 10980 / - |
| 22 | श्री राहुल देव | कुशल | 10980 / - |
| 23 | श्री सुनील | कुशल | 10980 / - |
| 24 | श्रीमती माला उपाध्याय | कुशल | 10980 / - |
| 25 | श्री भुवन चन्द्र पलडिया | अकुशल | 8791 / - |
| 26 | श्री भीम आर्या | अकुशल | 8791 / - |
| 27 | श्री गोधन सिंह | अकुशल | 8791 / - |
| 28 | श्री हीरा सिंह | अकुशल | 8791 / - |
| 29 | सुश्री लीला बेलवाल | अकुशल | 8791 / - |
| 30 | श्री नरेन्द्र पाल | अकुशल | 8791 / - |
| 31 | श्री लालू प्रसाद | अकुशल | 8791 / - |
| 32 | श्री अनिल कुमार | अकुशल | 8791 / - |
| 33 | श्री अभिषेक कुमार | अकुशल | 8791 / - |
| 34 | श्रीमती सरिता | अकुशल | 8791 / - |
| 35 | श्री शेखर चन्द्र | अकुशल | 8791 / - |
| 36 | कु० दीप्ति पांगती | अकुशल | 8791 / - |
| 37 | अश्विनी कुटियाल | अकुशल | 8791 / - |
| 38 | श्री अजय आर्या | अकुशल | 8791 / - |

मैनुअल संख्या : 11

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आंबटित बजट.

सरकार एवं दूरस्थ शिक्षा परिषद से प्राप्त अनुदानों तथा व्यय का वर्षवार विवरण निम्नवत् है:-

(अ) राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान तथा व्यय का वर्ष वार विवरण:-

DETAIL OF GRANT RECEIVED & SPENT FROM STATE GOVERNMENT FOR THE YEAR 2005-2006 TO 2020-2021

2005-06

| क्र० सं० | पत्रांक संख्या | दिनांक | वित्तीय वर्ष | गत वर्ष का शेष | धनराशि | | कुल व्यय | अवशेष धनराशि |
|----------|-------------------------------------|-------------|--------------|----------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|
| 1 | 101/XXIV(7)/2006/ शिक्षा अनुभाग- 07 | 3/24 /2006 | 2005-06 | | 491,000.00 | बुलेरो कय करने हेतु | 1,620,005.00 | 10,218,995.00 |
| 2 | 321/XXIV(7)2006/ शिक्षा अनुभाग-07 | 3/24 /2006 | 2005-06 | | 9,431,000.00 | सामान्य कार्य | | |
| 3 | 750/XXIV(7)/2006 शिक्षा अनुभाग-07 | 12/21 /2005 | 2005-06 | | 1,400,000.00 | सामान्य कार्य | | |
| 4 | 49/XXIV(7)/2005 | 1/25 /2006 | 2005-06 | | 441,000.00 | कुलपति हेतु कार कय | | |
| 5 | 112/XXIV(7)/2005 | 2/22 /2006 | 2005-06 | | 76,000.00 | कुलपति हेतु कार कय | | |
| कुल योग | | | | 0 | 11,839,000.00 | | 1,620,005.00 | 10,218,995.00 |

2006-07

| क्र० सं० | पत्रांक संख्या | दिनांक | वित्तीय वर्ष | गत वर्ष का शेष | धनराशि | | कुल व्यय | अवशेष धनराशि |
|----------|------------------------------------|-------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 851/XXIV(7)/2006/ शिक्षा अनुभाग-07 | 10/16 /2011 | 2006-07 | 10,218,995.00 | 20,000,000.00 | सामान्य कार्य | 15,518,672.00 | 14,700,323.00 |
| कुल योग | | | | 10,218,995.00 | 20,000,000.00 | | 15,518,672.00 | |

2007-08

| क्र० सं० | पत्रांक संख्या | दिनांक | वित्तीय वर्ष | गत वर्ष का शेष | धनराशि | | कुल व्यय | अवशेष धनराशि |
|----------|-----------------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 1. | 20/XXIV(6)/2008/ शिक्षा अनुभाग-06 | 1/17 /2008 | 2007-08 | 14,700,323.00 | 6,000,000.00 | सामान्य कार्य | 9,913,658.00 | 10,786,665.00 |
| कुल योग | | | | 14,700,323.00 | 6,000,000.00 | | 9,913,658.00 | |

2008-09

| क्र० सं० | पत्रांक संख्या | दिनांक | वित्तीय वर्ष | गत वर्ष का शेष | धनराशि | | कुल व्यय | अवशेष धनराशि |
|----------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | NIL | | 2008-09 | 10,786,665.00 | 0 | सामान्य कार्य | 7,954,816.00 | 2,831,849.00 |
| कुल योग | | | | 10,786,665.00 | | | 7,954,816.00 | |

2009-10

| क्र० सं० | पत्रांक संख्या | दिनांक | वित्तीय वर्ष | गत वर्ष का शेष | धनराशि | | कुल व्यय | अवशेष धनराशि |
|----------|------------------------------------|-----------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1. | 60/XXIV(6)/2009/ शिक्षा अनुभाग- 06 | 5/15/2009 | 2009-10 | | 91,000.00 | आयोजनागत पक्ष में | 7,276,795.00 | 4,429,054.00 |
| 2. | 60/XXIV(6)/2009/ शिक्षा अनुभाग- 06 | 8/11/2009 | 2009-10 | | 183,000.00 | आयोजनागत पक्ष में | | |
| 3. | 39/XXIV(6)/2010/ शिक्षा अनुभाग- 06 | 1/28/2010 | 2009-10 | | 8,600,000.00 | आयोजनागत पक्ष में | | |
| कुल योग | | | | 2,831,849.00 | 8,874,000.00 | | 7,276,795.00 | |

2010-11

| क्र० सं० | पत्रांक संख्या | दिनांक | वित्तीय वर्ष | गत वर्ष का शेष | धनराशि | | कुल व्यय | अवशेष धनराशि |
|----------|-------------------------------------|------------|--------------|----------------|---------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | 192/XXIV/(6)/2010 शिक्षा अनुभाग- 06 | 7/6/2010 | 2010-11 | | 5,000,000.00 | आयोजनेत्तर पक्ष में | 38,954,129.00 | 3,496,265.00 |
| 2 | 230/XXIV/(6)/2010 शिक्षा अनुभाग- 06 | 9/16/2010 | 2010-11 | | 550,500.00 | कुलपति हेतु वाहन | | |
| 3 | 192/XXIV/(6)/2010 शिक्षा अनुभाग- 06 | 11/3/2010 | 2010-11 | | 5,000,000.00 | आयोजनेत्तर पक्ष में | | |
| 4 | 193/XXIV(6)/2010 शिक्षा अनुभाग- 06 | 12/20/2010 | 2010-11 | | 2,000,000.00 | एस०सी०एस०पी० योजनान्तर्गत | | |
| 5 | 193/XXIV(6)/2010 शिक्षा अनुभाग- 06 | 12/20/2010 | 2010-11 | | 3,500,000.00 | एस०सी०एस०पी० | | |
| 6 | 70/XXIV(6)/2011 शिक्षा अनुभाग- 06 | 2/15/2011 | 2010-11 | | 12,270,840.00 | वि०वि० वन भूमि के हस्तान्तरण हेतु। | | |
| 7 | 00/XXIV(6)/2011 शिक्षा अनुभाग- 06 | 3/9/2011 | 2010-11 | | 9,700,000.00 | आयोजनेत्तर पक्ष में | | |
| कुल योग | | | | 4,429,054.00 | 38,021,340.00 | | 38,954,129.00 | 3,496,265.00 |

2011-12

| क्र० सं० | पत्रांक संख्या | दिनांक | वित्तीय वर्ष | गत वर्ष का शेष | धनराशि | | कुल व्यय | अवशेष धनराशि |
|----------|------------------------------------|------------|--------------|----------------|--------------|---|---------------|--------------|
| 1 | 22/XXIV(6)/2011 शिक्षा अनुभाग-06 | 5/2/2011 | 2011-12 | | 5,000,000.00 | आयोजनेत्तर पक्ष में | 36,103,659.00 | |
| 2 | 57/XXIV(6)/2011 शिक्षा अनुभाग- 06 | 5/19/2011 | 2011-12 | | 5,000,000.00 | वन भूमि की चाहरदीवारी हेतु | | |
| 3 | 22/XXIV/(6)/2011 शिक्षा अनुभाग- 06 | 9/19/2011 | 2011-12 | | 5,000,000.00 | आयोजनेत्तर पक्ष में | | |
| 4 | 57/XXIV/(6)/2011 शिक्षा अनुभाग-06 | 10/10/2011 | 2011-12 | | 2,418,000.00 | वन भूमि की चाहरदीवारी हेतु | | |
| 5 | 22/XXIV(6)/2011 शिक्षा अनुभाग-06 | 11/9/2011 | 2011-12 | | 6,000,000.00 | आयोजनेत्तर पक्ष में | | |
| 6 | 225/XXIV(6)2011 | 12/19/2011 | 2011-12 | | 5,000,000.00 | प्रशासनिक भवन एवं एकेडमिक भवनों के लिये | | |
| कुल योग | | | | | 3,496,265.00 | 28,418,000.00 | 36,103,659.00 | 4,189,394.00 |

2012-13

| क्र० सं० | पत्रांक संख्या | दिनांक | वित्तीय वर्ष | गत वर्ष का शेष | धनराशि | | कुल व्यय | अवशेष धनराशि |
|----------|--------------------------------------|------------|--------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|
| 1 | 48/XXIV(6)/2012 शिक्षा अनुभाग- 06 | 4/24/2012 | 2012-13 | | 6,667,000.00 | आयोजनेत्तर पक्ष में | 4,37,26,303.00 | 24,41,807.00 |
| 2 | 13/XXIV(6)/2012 शिक्षा अनुभाग- 06 | 08/06/2012 | 2012-13 | | 13,33,000.00 | आयोजनेत्तर पक्ष में | | |
| 3 | 43(4)/XXIV(6)/2013 शिक्षा अनुभाग- 06 | 03/21/2013 | 2012-13 | | 15,25,000.00 | आयोजनागत पक्ष में | | |
| 4 | 40(4)12/XXIV(6)/2013 | 03/31/2013 | 2012-13 | | 2,71,24,000.00 | आयोजनागत पक्ष में | | |
| कुल योग | | | | | 4,86,49,000.00 | | | |

2013-14

| क्र० सं० | पत्रांक संख्या | दिनांक | वित्तीय वर्ष | गत वर्ष का शेष | धनराशि | प्रयोजन | कुल व्यय | अवशेष धनराशि |
|----------------|-------------------------------|------------|--------------|----------------|--------------------|--|-------------|--------------|
| 01 | 42(4)12/xxiv(6)/2013 | 21.05.2013 | 2013-14 | --- | 1,00,00,000 | आयोजनेत्तर पक्ष में | 1,00,00,000 | शून्य |
| 02 | 1044/xxiv/(6)/2012/42(4)/2012 | 16.08.2013 | 2013-14 | --- | 3,00,00,000 | आयोजनेत्तर पक्ष में | 3,00,00,000 | शून्य |
| 03 | 1745/xxiv(6)/2013/44(4)2012 | 06.01.2014 | 2013-14 | --- | 1,68,26,000 | प्रशासनिक भवन एवं एकेडमिक भवन के लिए | 1,68,26,000 | शून्य |
| 04 | 567/xxiv(6)/2014/40(4)2012 | 31.03.2014 | 2013-14 | --- | 6,26,000 | प्रशासनिक भवन एवं एकेडमिक भवन के लिए (आयोजनागत मद) | 6,26,000 | शून्य |
| 05 | 534/xxiv(6)/2014/44(4)2012 | 28.03.2014 | 2013-14 | --- | 6,00,000 | आयोजनेत्तर (अनुदान 20) पेट्रोल व स्टेशनरी मद में | 6,00,000 | शून्य |
| कुल योग | | | | | 5,80,52,000 | | | |

2014-15

| क्र० सं० | पत्रांक संख्या | दिनांक | वित्तीय वर्ष | गत वर्ष का शेष | धनराशि | प्रयोजन | कुल व्यय | अवशेष धनराशि |
|----------------|--|------------|--------------|----------------|--------------------|---|-------------|--------------|
| 01 | 664/xxiv(6)/2014-42(4)2012 | 25.04.2014 | 2014-15 | --- | 2,00,00,000 | आयोजनेत्तर पक्ष में | 2,00,00,000 | शून्य |
| 02 | 1449/xxiv(6)/2014-42(4)2012 | 11.11.2014 | 2014-15 | --- | 1,30,00,000 | आयोजनेत्तर पक्ष में | 1,30,00,000 | शून्य |
| 03 | 1443/xxiv(6)/2014-42(4)2012 | 19.11.2014 | 2014-15 | --- | 10,00,000 | आयोजनेत्तर अवचनबद्ध अनुदान 20 मद | 10,00,000 | शून्य |
| 04 | 303/xxiv(6)/2014-42(4)2012 | 04.03.2015 | 2014-15 | --- | 10,00,000 | आयोजनेत्तर अवचनबद्ध अनुदान 20 मद | 10,00,000 | शून्य |
| 05 | 486/xxiv(6)/2015/40(4)12 शिक्षा 0अनु 6 उ0शि0 | 30.03.2015 | 2014-15 | --- | 1,00,00,000 | विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं अकादमिक भवन (द्वितीय चरण) हेतु आयोजनागत पक्ष में प्रथम किस्त | 1,00,00,000 | शून्य |
| कुल योग | | | | | 4,50,00,000 | | | |

2015-16

| क्र० सं० | पत्रांक संख्या | दिनांक | वित्तीय वर्ष | गत वर्ष का शेष | धनराशि | प्रयोजन | कुल व्यय | अवशेष धनराशि |
|----------------|------------------------------|------------|--------------|----------------|--------------------|---|-------------|--------------|
| 01 | 555 / xxiv(6)/2015-42(4)2012 | 17.04.2015 | 2015-16 | --- | 2,00,00,000 | आयोजनेत्तर पक्ष में(अनुदान 43 वेतनादि मद) | 2,00,00,000 | शून्य |
| 02 | 202 / xxiv(6)/2015-42(4)2012 | 21.09.2015 | 2015-16 | --- | 1,30,00,000 | आयोजनेत्तर पक्ष में(अनुदान 43 वेतनादि मद) | 1,30,00,000 | शून्य |
| 03 | 151 / xxiv(6)/2016-42(4)2012 | 05.02.2016 | 2015-16 | --- | 10,00,000 | आयोजनेत्तर पक्ष में (अनुदान 20) | 10,00,000 | शून्य |
| 04 | 127 / xxiv(6)/2016-42(4)2012 | 10.03.2016 | 2015-16 | --- | 40,00,000 | आयोजनेत्तर पक्ष में(अनुदान 43 वेतनादि मद) | 40,00,000 | शून्य |
| कुल योग | | | | | 3,80,00,000 | | | |

वर्ष 2016-17 व 2017-2018 में प्राप्त आय-व्यय

| क्र० सं० | पत्रांक संख्या | दिनांक | वित्तीय वर्ष | गत वर्ष का शेष | धनराशि | प्रयोजन | कुल व्यय | अवशेष धनराशि |
|----------|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|---|------------------|--------------|
| 01 | 352 / XXIV(6)/2016/42(4)/12 | 19 / 04 / 2016 | 2016-17 | — | 1,10,00,000 | आयोजनेत्तर पक्ष-वेतनादि मद-43 में कार्मिकों के वेतन हेतु | 1,10,00,000 0 | शून्य |
| 02 | 659(1) / XXIV(6) / 2016-40(4)/12 | 02 / 08 / 2016 | 2016-17 | — | 33,33,000 | आयोजनागत पक्ष-विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं एकेडमिक भवन के द्वितीय चरण के निर्माण कार्य हेतु | 33,33,000 | शून्य |
| 03 | 679 / XXIV(6)/2016/42(4)/12 | 12 / 08 / 2016 | 2016-17 | — | 2,20,00,000 | आयोजनेत्तर पक्ष-वेतनादि मद-43 में कार्मिकों के वेतन हेतु | 2,20,00,000 0 | शून्य |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|----------------|---------|---|-------------|---|-------------|-----------|
| 04 | 1224/XXIV(6)/2016-12(49)/14 T.C. | 13 / 12 / 2016 | 2016-17 | — | 16,00,000 | एडुसेट परियोजना में वेतनादि भुगतान हेतु मानक मद-43 | 16,00,000 | शून्य |
| 05 | 964/XXIV(6)/2016-12(49)/14 T.C. | 13 / 12 / 2016 | 2016-17 | — | 25,00,000 | एडुसेट परियोजना में मानक मद-20 सहायक अनुदान / अंश दान / राज सहायता में | 5,54,275 | 19,45,725 |
| 06 | 89/XXIV(6)/2017-42(4)/12 | 14 / 03 / 2017 | 2016-17 | — | 50,00,000 | आयोजनेत्तर पक्ष मानक मद-20 | 50,00,000 | शून्य |
| 07 | 215/XXIV(6)/2017-40(4)/12 | 30 / 03 / 2017 | 2016-17 | — | 30,00,000 | आयोजनागत पक्ष-विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं एकेडमिक भवन के द्वितीय चरण के निर्माण कार्य हेतु | 30,00,000 | शून्य |
| 08 | 476/XXIV(6)/2017-42(4)/12 | 31/05/2017 | 2017-18 | — | 55,00,000 | आयोजनेत्तर पक्ष में (वेतनादि मद-43) | 55,00,000 | शून्य |
| 09 | 634/XXIV(6)/2017-42(4)/12 | 18/07/2017 | 2017-18 | — | 1,75,00,000 | आयोजनेत्तर पक्ष में (वेतनादि मद-43) | 1,75,00,000 | शून्य |
| 10 | 270/XXIV(6)/2017-42(4)/12 | 28/07/2017 | 2017-18 | — | 35,00,000 | आयोजनेत्तर पक्ष में (सहायक अनुदान मद-20) | 35,00,000 | शून्य |
| 11 | 991/XXIV(6)/2017-42(4)/12 | 3/10/2017 | 2017-18 | — | 1,00,00,000 | आयोजनेत्तर पक्ष में (वेतनादि मद-43) | 1,00,00,000 | शून्य |
| 12 | 39/XXIV(6)/2018-42(4)/12 | 21/02/2018 | 2017-18 | — | 1,00,00,000 | आयोजनेत्तर पक्ष में (वेतनादि मद-43) अनुपूरक बजट में | 1,00,00,000 | शून्य |

| | | | | | | | | |
|----|--|----------------|-------------|--|-----------|---|-----------|-------|
| 13 | 224/XXIV(6)/ 2018- 12(49)/14T.C. | 23/02/20 18 | 2017- 18 | 19,45, 725 (रूसा को हस्तान्तरि रत किया गया) | 3,45,000 | आयोजनागत पक्ष में (वेतनादि मद-43) एडुसैट हेतु (एडुसैट को हस्तान्तरित किया) | 3,45,000 | शून्य |
| 14 | 364/XXIV(6)/ 2018- 42(4)/12 | 5/2/2018 | 2017- 18 | — | 35,00,000 | आयोजनेत्तर पक्ष में (सहायक अनुदान मद-20) | 35,00,000 | शून्य |

वर्ष 2018-19, वर्ष 2019-2020 एवं जून 2020-2021 तक प्राप्त आय-व्यय

| क्र० सं० | पत्रांक संख्या | दिनांक | वित्तीय वर्ष | गत वर्ष का शेष | धनराशि | प्रयोजन | कुल व्यय | अवशेष धनराशि |
|-------------|---|------------|--------------|-------------------------|-----------|--|-----------|-----------------|
| 01. | 541/XXIV(1)/2 018-4(14)/18 | 10/05/2018 | 2018-19 | ---- — | 20,00,000 | आयोजनेत्तर पक्ष में (वेतनादि मद-43) | 20,00,000 | शून्य |
| 02. | 1066/XXIV(6)/ 2018- 12(49)/14T.C. | 27/9/2018 | 2018-19 | ---- | 1,00,000 | राजस्व पक्ष में (वेतनादि मद-43) एडुसैट हेतु (एडुसैट को हस्तान्तरित किया) | 1,00,000 | शून्य |
| 03. | 1105/XXIV(6)/ 2018- 12(49)/14T.C. | 27/9/2018 | 2018-19 | ---- | 1,50,000 | राजस्व पक्ष में (सहायक अनुदान-20) एडुसैट हेतु (एडुसैट को हस्तान्तरित किया) | 1,50,000 | शून्य |
| 04. | 1106/XXIV(6)/ 2018-4(14)/18 | 5/10/2018 | 2018-19 | ---- | 40,00,000 | राजस्व पक्ष में (वेतनादि मद-43) | 40,00,000 | शून्य |
| 05. | 1337/XXIV(6)/ 2018-4(15)/18 | 24/12/2018 | 2018-19 | ---- | 3,50,000 | राजस्व पक्ष में (सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता-मद 20) | 3,50,000 | शून्य |
| 06. | 161/XXIV(6)/2 019- 40(4)/2012 | 27/03/2019 | 2018-19 | ---- | 10,00,000 | प्रशासनिक भवन एवं एकेडमिक भवन के द्वितीय चरण के लिए (पूजीगत) | 10,00,000 | शून्य |
| 07. | 417/XXIV(6)/2 019- | 28/5/2019 | 2019-20 | ---- | 20,00,000 | राजस्व पक्ष में (वेतनादि) | 20,00,000 | शून्य |

| | | | | | | | | |
|-----|--|------------|---------|------|------------|---|------------|-----------|
| | 4(14)/2018 | | | | | मद-43) | | |
| 08. | 416/XXIV(6)/2 019- 4(15)/2018 | 28/5/2019 | 2019-20 | ---- | 3,500,000 | राजस्व पक्ष में (सहायक अनुदान/अंशदान /राज सहायता-मद 20) | 3,500,000 | शून्य |
| 09. | 819/XXIV(6)/2 019- 4(14)/2018 | 17/09/2019 | 2019-20 | ---- | 20,000,000 | राजस्व पक्ष में (वेतनादि मद-43) | 20,000,000 | शून्य |
| 10. | 818/XXIV(6)/2 019- 4(15)/2018 | 17/09/2019 | 2019-20 | ---- | 3,500,000 | राजस्व पक्ष में (सहायक अनुदान/अंशदान /राज सहायता-मद 20) | 3,500,000 | शून्य |
| 11. | 987/XXIV-C1- /2019- 40(4)/2012 | 13/12/2019 | 2019-20 | ---- | 15,762,000 | प्रशासनिक भवन एवं एकेडमिक भवन के द्वितीय चरण के लिए (पूजीगत) | 10,000,000 | 57,62,000 |
| 12. | 1205/XXIV-C1- /2019- 12(49)/14T.C. | 26/12/2019 | 2019-20 | ---- | 1,100,000 | राजस्व पक्ष में (वेतनादि मद-43) एडुसैट हेतु (एडुसैट को हस्तान्तरित किया) | 1,100,000 | शून्य |
| 13. | 325/XXIV-C1- /2020- 4(14)/2018 | 10/4/2020 | 2020-21 | ---- | 22,000,000 | मानक मद-56 वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान | 22,000,000 | शून्य |

मैनुअल संख्या : 12

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें रीति आंबटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्योरे सम्मिलित है.

उत्तराखण्ड शासन द्वारा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को आयोजनागत मद में अनुदान/राजसहायता के अंतर्गत धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। उक्त धनराशि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के सामान्य कार्यकलापों एवं वेतन भत्तों हेतु तथा निर्माण कार्यों के मद में व्यय की जाती है। निर्माण कार्यों हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि सीधे निर्माण एजेन्सी को उपलब्ध करा दी जाती है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता हेतु विश्वविद्यालय द्वारा भवन निर्माण समिति का गठन किया गया है जिसका स्वरूप निम्नवत है :-

| | | |
|----|---|------------|
| 1. | कुलपति | अध्यक्ष |
| 2. | लोक निर्माण विभाग के प्रमुख द्वारा नामित अधिशासी अभियन्ता | सदस्य |
| 3. | अभियांत्रिकी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा सिविल क्षेत्र से नामित 02 विशेषज्ञ | सदस्य |
| 4. | वित्त नियन्त्रक | सदस्य |
| 5. | विश्वविद्यालय के विद्या शाखा के निदेशकों से नामित आचार्य | सदस्य |
| 6. | कुलसचिव | सदस्य सचिव |

उक्त समिति द्वारा समय-समय पर निर्माण कार्य की देखरेख की जाती है। निर्माण एजेन्सी द्वारा प्रयुक्त की जा रही सामग्री का पंतनगर विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ से परीक्षण कराया जाता रहा है।

मैनुअल संख्या : 13

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां.

उक्त के सम्बन्ध में अधिनियम एवं परिनियम में विश्वविद्यालय में कोई व्यवस्था नहीं है।

मैनुअल संख्या : 14

किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्योरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो.

विश्वविद्यालय की अधिकांश जानकारी बेवसाइट पर अपलोड की जाती है। इलैक्ट्रॉनिक मोड में वर्तमान में उपलब्ध जानकारियों निम्नवत् हैं:-

1. विश्वविद्यालय सम्बन्धी सूचना जिसमें प्रस्तावना एवं उद्देश्य उल्लिखित हैं- हिन्दी तथा अंग्रेजी में।
2. विश्वविद्यालय में स्थापित विद्याशाखायें।
3. विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, प्राध्यापक एवं शोध एवं डिजाइन सेल के सम्बन्ध में सूचना- हिन्दी तथा अंग्रेजी में।
4. विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिये प्रवेश अर्हता, अवधि आदि की सूचना
5. विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया।
6. क्षेत्रीय निदेशकों तथा सहायक क्षेत्रीय निदेशकों एवं केन्द्रों के सम्बन्ध में सूचना।
7. विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों के सम्बन्ध में सूचना जिसमें उन्हें आवंटित पाठ्यक्रम एवं कोर्स आदि उल्लिखित है के सम्बन्ध में सूचना।
8. विश्वविद्यालय का शैक्षिक कलेण्डर।
9. विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत विज्ञप्तियाँ।
10. विश्वविद्यालय विवरणिका।
11. आवश्यक प्रपत्र।
12. प्रेस कवरेज।
13. फोटो गैलेरी।
14. परीक्षा विषयक सूचना एवं परीक्षाफल।
15. निविदायें।
16. संयुक्त पाठ्यक्रमों तथा सहयोगियों की सूचना।
17. विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित अधिकारियों, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं अध्ययन केन्द्रों के टेलीफोन एवं ई-मेल पता लाइव सपोर्ट सिस्टम/ऑन लाइन काउन्सलिंग।

मैनुअल संख्या : 15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है.

इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की व्यवस्थाओं के अनुसार प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया जाता है।

मैनुअल संख्या : 16

लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| लोक सूचना अधिकारी का नाम | — | श्री विमल मिश्र |
| पद नाम | — | उप कुलसचिव |
| मोबाईल न० | — | 8273885525 |
| ई-मेल | — | vk Mishra@uou.ac.in |
| सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम | — | श्रीमती रूचि आर्या |
| पद नाम | — | सहायक क्षेत्रीय निदेशक, |
| मोबाईल न० | — | 7456811951 |
| ई-मेल | — | ruchiarya@uou.ac.in |
| प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम | — | श्री भरत सिंह |
| पद नाम | — | कुलसचिव |
| मोबाईल न० | — | 9410789142 |
| ई-मेल | — | registrar@uou.ac.in |
| विश्वविद्यालय का पता | — | उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, तीनपानी बाई पास रोड़, ट्रान्सपोर्टनगर के समीप, पो० ओ० — इन्डस्ट्रीयल स्टेट, हल्द्वानी (नैनीताल) — 263139, उत्तराखण्ड। |
| विश्वविद्यालय दूरभाष न० | — | 05946—286000 |
| फैक्स न० | — | |
| वेबसाईट | — | www.uou.ac.in |
| ई०मेल | — | info@uou.ac.in |

मैनुअल संख्या : 17

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय.

क) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के लिये चयनित अध्ययन केन्द्रों की संख्या एवं अन्य विवरण :-

:-: Study Centres :-:

| Sr. No. | Region | Center Code | Name & Address of Study Center | Name and Contact Details of Coordinators |
|---------|----------|-------------|--|---|
| 1 | Dehradun | 11000 | UOU Model Study Center,C-27, THDC Colony, Ajabpur kalan, Near Bangali kothi chowk, Doon University Road, Dehradun | Shri Narendra Jaguri, 0135266794,9412984453 11000@uou.ac.in |
| 2 | Dehradun | 11017 | Uttaranchal Ayurvedic College,17, Old Mussorie Road, Rajpur, City & Distt. – Dehradun, PIN – 248009 (Uttarakhand) | Dr. Akshay Kumar Gaur, 9837290962 |
| 3 | Dehradun | 11020 | SGRR PG college, Pathribagh, City & Distt. – Dehradun, PIN – 248001 (Uttarakhand) | Dr. Harshvardhan Pant, 7055990555, 9760696596 |
| 4 | Dehradun | 11101 | Madhuban Academy of Hospitality Administration & Research (MAHAR), MAHAR-97, Campus Hotel Madhuban, Rajpur Road, Dehradun,, PIN – 248001 | Shri Suraj Kumar, 9719925600 |
| 5 | Dehradun | 11112 | VSKC Govt. Degree College, Dakpathar, DEHRADUN Distt. – Dehradun, PIN – 222481 (Uttarakhand) | Dr. Rakesh Mohan Nautiyal, 7895655228 |
| 6 | Dehradun | 11113 | UTTARANCHAL INSTITUTE OF HOSPITALITY MANAGEMENT AND TOURISM DEHRADUN, Ghar Vihar Phase 2, Mohakampur, City & Distt. Dehradun, | Sh. Sanjay Joshi, 9568955464 |
| 7 | Dehradun | 11115 | D.D. College ,25, NIMBUWALA ,City & Distt. – Dehradun, PIN – 248 003 (Dehradun) | Shri Jitesh Singh, 9936794929 |
| 8 | Dehradun | 11125 | Pandit Lalit Mohan Sharma Govt. P.G.College, Rishikesh, Pin Code-249201 | Dr Ved Prakash, 9760923214 |
| 9 | Dehradun | 11126 | M.P.G .College, Mussoorie | Dr. V P Joshi , 9412939549 |
| 10 | Dehradun | 11127 | Universal Institute Professional Studies,102, Taj Complex, Ambedkar Chowk, Rishikesh | Kushal Bisht, 9897788008 |
| 11 | Dehradun | 11128 | GOVERNMENT DEGREE COLLEGE , RAIPUR, POST OFFICE- MALDEVTA, RAIPUR DISTRICT- DEHRADUN RAIPUR, Uttarakhand | Dr. Daksha Joshi, 9458337722 |
| 12 | Dehradun | 11129 | Modern Institute of Technology, Dhalwala, Rishikesh Dhalwala, Rishikesh District- Dehradun | Dr. L M Joshi, 99978700872 |
| 13 | Dehradun | 11130 | Sardar Mahipal Rajendra Degree College, Sahiya, Tehsil Kalsi, District- Dehradun, (Uttarakhand) Pin Code- 248196 | Dr. Pushpa Jhaba- 9758143298 01360-274555 |
| 14 | Dehradun | 11131 | UGTE (Universal Gairola Tourism & Technical Excellency) , Near Nepali Farm Tiraha, Dehradun Road Village Khairi Khurd, Shyampur , Rishikesh, Distt- Dehradun, Pin Code- 249204 | Dr. Surendra Prasad Rayal 9897761496 |
| 15 | Dehradun | 11132 | Rishikesh Yog Dham Sansthan, Tapovan, Rishikesh, District- Tehri Garhwal Pin Code-249192 | Dr. Vijendra Prasad Kaparwan 9837973458 |
| 16 | Dehradun | 11133 | Institute of Technology & Management, 60 Chakrata road Dehradun | Ashutosh Uniyal 9634796551 |
| 17 | Dehradun | 11134 | Government Degree College, Pawki Devi | Dr. Sangeeta Bahuguna 9412110268 |
| 18 | Dehradun | 11135 | Mahayogi Gurugorakhnath Degree College, Bithyani (Yamkeshwar) Post office- Chai Damrada, Distt- Pauri | Sri Ram Singh Samant 7409150642 |

| | | | | |
|----|----------|-------|--|---|
| | | | Garhwal Pin Code- 246121 | |
| 19 | Dehradun | 11136 | Sri Gulab Singh Rajkiya Mahavidyalaya Purodi, Mussoorie road, Chakrata, District-Dehradun Pin Code-248123 | Dr. Sunil Kumar - 9639830380 |
| 20 | Dehradun | 12036 | Omkaranda Institute of Management & Technology, Swami Omkarand Saraswati Marg, Muni ki Reti, Via – Rishikesh, P.O. - Shivananda Nagar City – Rishikesh, Distt. - Tehri Garhwal, (Uttarakhand) Pin – 249192 | Mr. Naveen Dwivedi- 9012578030 0135-2431920, 2442085 |
| 21 | Roorkee | 12002 | HEC PG College, Kanya Gurukul ,Campus, Near Chhoti Nehar , Kankhal, Haridwar, PIN -24940 | Shri Tara Singh, 9358222796 |
| 22 | Roorkee | 12004 | Swami Darshnananda Institute of Management & Technology Gurukul Mahavidhyalay, Jwalapur, Haridwar | Km Jai Laxmi, 8791313033 |
| 23 | Roorkee | 12008 | BSM PG College, ROORKEE ,City – Roorkee, Distt. – Haridwar PIN – 247 667 (Uttarakhand) | Shri Rainish Sharma, 9837006200 (Dr. Sanjay Chaubey- Other number- 9997286540) |
| 24 | Roorkee | 12011 | RMP PG College, Vill. & Post – Gurukul Narsan, City – Roorkee, Distt. – Haridwar, PIN – 247670 (Uttarakhand) | Dr. Savendra Singh, 9412465331 |
| 25 | Roorkee | 12012 | Chaman Lal Degree College Landhaura, City – Roorkee, Distt. – Haridwar, Uttarakhand PIN - 247667 | Dr. Sushil Upadhyay, 9997998050 Phone - 01332-269469 |
| 26 | Roorkee | 12020 | Vidhya Vikasini Degree College of Management & Technology, Gurukul Narsan , Haridwar | Smt. Pooja Shree - 01332-229611 |
| 27 | Roorkee | 12022 | City Degree College Of Management & Technology, Mohalla Sot Roorkee, City Roorkee, Distt. – Haridwar, (Uttarakhand) Pin – 247667 | Mr. Shubhdeep Verma - 7351176648 9837104233 |
| 28 | Roorkee | 12034 | Kunti Naman Degree College ,NH-58, Near Patanjali Yogpeeth Phase –II, Bhadedi, Rajputan, City – Roorkee, Distt. – Haridwar | Shri Sunil Saini, 9837021098 |
| 29 | Roorkee | 12037 | Babu Ram Degree College, Roorkee, 7 KM. Milestone, Roorkee Dehradun Highway, Saliyar, Roorkee, Distt.- Haridwar, 247667 | Sh. Yogesh Kumar Kashyap, 9997969588 |
| 30 | Roorkee | 12042 | Government P.G College Kotdwar ,Distt- Pauri Garhwal PIN - 246149(Uttarakhand) | Dr. Rita Sharma, 9149019344 |
| 31 | Roorkee | 12047 | Roorkee Divya Yog Sanshthan, Chudiyala Road, Bhagwanpur, City – Roorkee, Distt. – Haridwar | Mr. Amit Kumar, 9837179363 |
| 32 | Roorkee | 12058 | Sai Institute , Govindpuri, Haridwar, Distt. – Haridwar, PIN – 249401 | Shri SANJEEV SHARMA, 9368421419 |
| 33 | Roorkee | 12061 | Mohini Devi Degree College, Iqbalpur Road, Asaf Nagar (Near Shastri Puram) , City- Roorkee, Distt- Haridwar, Pin – 247667, Uttara khand | Ms. Maneesha Singhal, 8445003279 |
| 34 | Roorkee | 12072 | Pilot Baba Institute, Dakash road Kankhal Jagjitpur City - Kankhal, Distt. – Haridwar, PIN – 249408 (Uttarakhand) | Dr. Vishwas Chand, 9286093196 |
| 35 | Roorkee | 12076 | MAHENDRA SINGH DEGREE COLLEGE, BUDHWA SHAHID, BUGGAWALA, HARIDWAR VILLAGE- BUDHWA SHAHID POST-BUGGAWALA | Dr. Roma, 9760810025 |
| 36 | Roorkee | 12078 | Government Degree College , Manglour, Near Manakchowk District- Haridwar | Dr. Anurag 9690423852 |
| 37 | Roorkee | 12079 | Hariom Saraswati P.G. College, Village & Post- Dhanauri, District-Haridwar | Dr Sharad Kumar Pandey, 9012271593 |
| 38 | Roorkee | 12080 | H E C Group of Institutions Laksar Road Jagjeetpur Haridwar Pin Code-249408 | Dr. Mausmi Goel- 9358222793 |
| 39 | Roorkee | 12081 | Jhanvi Ayurveda Evam Yog Sansthan, Haripur Kalan Near Prem Vihar Chowk, Haridwar, Pin Code- 249410 | Shri Manoj Sharma 9411450656 |
| 40 | Roorkee | 12082 | Sita Ram Degree College, Sunhera, Roorkee, Distt- Haridwar, Pin Code-247667 | Shri Arvind Vedwan- 9557555776 |
| 41 | Roorkee | 12083 | Rishi Yog Sansthan, Purvi Nath Nagar, Jwalapur, Haridwar, Pin Code-249407 | Shri Vishal Mahindru, 7417883329 |
| 42 | Roorkee | 12084 | Pherupur Degree College, Pherupur (Ramkhera) District- Haridwar, Pin Code-249404 | Dr. Bhawna Sharma, 9027537944 |

| | | | | |
|----|------------|-------|--|---|
| 43 | Roorkee | 12085 | Swami Vivekanand College of Education,Matlabpur, Near Guru Ram Rai Public School, Dehradun road Roorkee, District Haridwar- 247667 | Dr. Sushil Bhadula-9027571658 |
| 44 | Pauri | 14003 | Government Degree College; Degree College Vedikhal (Pauri Garhwal) | Dr. Avtar Singh Negi 8755882229 |
| 45 | Pauri | 14005 | Govt. P.G. College Lansdowne (Jaiharikhal) Garhwal, City – Jaiharikhal,PIN – 246193 (Uttarakhand) | Coordinator- Dr. Awadesh Narayan Singh-9458976967 |
| 46 | Pauri | 14009 | H.N.B. Garhwal Central University Campus, Pauri,City – Pauri,Distt. – Pauri Garhwal, PIN – 246001 (Uttarakhand) | Prof. M.S. Bisht , 9411127701 |
| 47 | Pauri | 14018 | Government PG College, Agastyamuni, ,City - Agastyamuni,Distt. – Rudraprayag,PIN – 246421 | Dr. L D Gagrya - 9412935904 |
| 48 | Pauri | 14046 | Govt. Degree College Chandrabadni ,P.O. Jamnikhal, Tehri Garhwal (Naikhari)Pin - 249112 (Uttarakhand) | Dr. Pratap Singh Bisht , 9639424193 |
| 49 | Pauri | 14047 | Govt. Degree College ,Nagnath Pokhari, Chamoli, PIN - 246473 (Uttarakhand) | Dr. Sanjeev Kumar Juyal , 9412115761 |
| 50 | Pauri | 14048 | Than Singh Rawat Govt Degree College, Nainidanda Patotia,District – Pauri Garhwal,Pin Code - 246277 | Dr. Vivek Kumar Kedia , 8755614449 |
| 51 | Pauri | 14049 | Government Degree College, Thalissain (Pauri) Thalissain Post office- Thalissain Patti Choprakot, District- PAURI | Shri Suman Kumar , 7351159171 |
| 52 | Pauri | 14050 | Government Degree College, Chaubattakhal Pin Code- 246162 | Dr. Praveen Kumar Dhoal 9690636549 |
| 53 | Pauri | 14051 | Government Degree College, Mazra Mahadev, Village-Sunar Gaon, Post office-Chaura, District-Pauri GarhwalPin C0de-246130 | Dr. Rakesh Chandra Joshi 9760785039 |
| 54 | Uttarkashi | 15016 | RCU Govt. P.G. College Uttarkashi, Near Azad Maidan/ Police Kotwali, City –Uttarkashi,PIN – 249193 | Dr. Devendra Dutt Painuly , 9410781617 |
| 55 | Uttarkashi | 15024 | P.S.B. Govt. Degree College ,Lambgaon,P.O. – Lambgaon, Tehsil - Pratapnagar, Distt.- Tehri Garhwal ,PIN – 249165 | Dr. Bharat Singh Chufal - 9557661778 |
| 56 | Uttarkashi | 15027 | Rajendra Singh Rawat Govt. Degree College,Barkot ,Distt-Uttarkashi ,Pincode- 249193 | Dr. Vijay Bahuguna , 9456300001 |
| 57 | Uttarkashi | 15028 | Government Degree College, Thatyur (Tehri Garhwal) Thatyur, District- Tehri Garhwal Pin Code- 249180 | Dr. Kunwar Singh , 7895435281 |
| 58 | Uttarkashi | 15029 | Government Post Graduate College, New Tehri, Distt-Tehri Garhwal | Dr. D P S Bhandari , 9412921719 01376-232964 |
| 59 | Haldwani | 16000 | UOU Model Study Centre,UTTARAKHAND OPEN UNIVERISYT, HQ, University Road, Behind Transport Nagar (Teenpani Bypass), Haldwani-263 139 | Dr. Dinesh Kumar , 05946 286076, 9837875234 |
| 60 | Haldwani | 16003 | Amrapali Institute of Applied Sciences,Shiksha Nagar, Lamachaur, City – Haldwani,Distt. – Nainital,PIN – 263139 (Uttarakhand) | Shri Pankaj Pandey , 7055500715 |
| 61 | Haldwani | 16011 | The Indian Institute of Management & Technology,Near Gas Godam Chauraha, Kaladhungi Road, Haldwani,Distt. – Nainital,PIN – 263 139 (Uttarakhand) | Shri Adarsh Pant , 9557952121 |
| 62 | Haldwani | 16022 | PNG Government PG College,PNGP PG College Ramnagar, City – Ramnagar,Distt. – Nainital | Dr. Kiran Kumar Pant , 9410779508 |
| 63 | Haldwani | 16023 | S.B.S Government P.G College,Fazalpur Mahraula, Rampur Road, City – Rudrapur,Distt. - U.S Nagar | Dr. Dinesh Sharma , 7417784525 |
| 64 | Haldwani | 16034 | M.B.P.G College,Nainital Road, Haldwani (Nainital),Uttarakhand Pin : 263139 | Dr. Rashmi Pant , 9411162527 |
| 65 | Haldwani | 16047 | Renaissance College of Hotel Management & Catering Techonology,Vill.- Basai, PO- Peerumadara, Ramnagar,Distt. – Nainital, PIN - 244715 (Uttarakhand) | Mr. Jitendra Joshi , 9927083058 |
| 66 | Haldwani | 16052 | Radhey Hari Government Degree College Kashipur,P.O. – Kashipur, Tehsil – Kashipur,Distt. - U.S Nagar,PIN – 244713 | Dr. Mahipal Singh , 9412518666 , 7830587872 |
| 67 | Haldwani | 16071 | Govt. Degree College, Kotabagh,Vill. – Selsiya,Chak Dhauladi,Block – Kotabagh,City – Kotabagh, Distt.- Nainital (Uttarakhand) | Dr. H. C Joshi , 9456780252 |

| | | | | |
|----|----------|-------|--|--|
| 68 | Haldwani | 16072 | Pt. Poornand Tiwari Government Degree College Doshapani, Pokhrad,P.O.– Pokhrad, Tehsil – Dhari,Distt. Nainital,PIN – 263136 (Uttarakhand) | Dr. R S Bhakuni, 9412364210 |
| 69 | Haldwani | 16090 | H.N.B. Govt. PG College ,Near Telephone Exchange Khatima Distt- (U.S.Nagar) | Dr. Ashutosh Kumar, 9412986341 |
| 70 | Haldwani | 16097 | PAL COLLEGE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT, RTO ROAD KUSUMKHERA HALDWANI | Mr Bhanu Bisht- (Coordinator) Mobile No-7302641126, 8477973333 |
| 71 | Haldwani | 16099 | AIM Institute of Hotel Management, Bareilly Road, Goraparao,Haldwani Distt. Nainital, | Shri Kamal Tiwari, 7351720222 |
| 72 | Haldwani | 16100 | Chankya Law College, Village- Bhamrola, Kichha Road Rudrapur , District-Udham Singh Nagar (Uttarakhand) | Deepakshi Joshi- 8057203116 |
| 73 | Haldwani | 16101 | Govt. Degree College,Vill – Banbasa,P.O. – Chandani, Tehsil – Tanakpur,Distt.- Champawat,PIN – 262310 (Uttarakhand) | Dr. B N Dixit, 9473900123, 9410101810 |
| 74 | Haldwani | 16103 | Dr. Susheela Tiwari Institute of Hotel Management, Shyam Vihar, Rampur Road, City – Haldwani,Distt. – Nainital,PIN -263139 (Uttarakhand) | Shri Kamlesh Harbola - 9808104954 |
| 75 | Haldwani | 16104 | Uttarakhand Ayurvedic College,Panchayat Ghar, Rampur road, City – Haldwani,Distt. – Nainital,PIN – 263139 | Shri Vimal Katiyar, 9897110510 |
| 76 | Haldwani | 16116 | Govt. Degree College,Tanakpur,Distt- Champawat, Pincode- 262309, (Uttarakhand) | Dr. Sunil Kumar Katiyar, 8126222894 |
| 77 | Haldwani | 16117 | Indira Priyadarshni Govt. P G Women Commerce College,Nawabi Road,Haldwani,Distt – Nainital | Dr. Fakeer Singh, 9412504182 |
| 78 | Haldwani | 16118 | Govt. Degree College,Sitarganj,Village – Sisouna,Distt- Udham Singh Nagar,Pincode- 262405,(Uttarakhand) | Dr. Rajvinder Kaur, 8279688114 |
| 79 | Haldwani | 16119 | R.L.S MEMORIAL DEGREE COLLEGE JASPUR NH- 74,AFZALGARH ROAD KISHANPUR TEH-JASPUR | Moht. Salim, 7351986736 |
| 80 | Haldwani | 16120 | Govt. P G College,Village – Rani Nangal, Fauzi Colony,Tehsil – Bazpur,Distt- Udham Singh Nagar | Dr. Satya Prakash Sharma, 9412929795 |
| 81 | Haldwani | 16121 | Dr. Sushila Tiwari Private degree College, Chintimazra, Sitarganj,Post- Sitarganj,Distt- Udham Singh Nagar, | Dr. Shivendra , 9634246369 |
| 82 | Haldwani | 16122 | GOVERNMENT DEGREE COLLEGE, PATLOT DISTRICT- NAINITAL | Dr. Santosh Kumar, 9412963638 |
| 83 | Haldwani | 16123 | Lal Bahadur Shastri Government Degree College, Halduchaur, Haldwani, District- Nainital (Uttarakhand) Pin Code- 263139 | Dr. Sunil Pant-9412017307 |
| 84 | Haldwani | 16124 | Vasudev College of Law, Lamachaur, Haldwani, District- Nainital, Pin Code- 263139 | Dr. Madhevi Joshi- 9758395228 |
| 85 | Haldwani | 16125 | MIET Kumaun Engineering College, Lamachaur, Haldwani ,District- Nainital Pin Code- 263139 | Shri Mayank Shah 9720615304 |
| 86 | Haldwani | 16126 | Devsthali Vidyapeeth (Department of Professional Education), Kachchi Khamariya, Post office Lalpur, Kichcha Rudrapur road Rudrapur Distt-Udham Singh Nagar-263148 | Sri Gurpreet Singh 9917130150 |
| 87 | Haldwani | 16127 | Aman Education Trust (Educity Institute) Majhola (Udham Singh Nagar), KHATIMA | Jagjeet Singh 9719595193 |
| 88 | Ranikhet | 17007 | Govt. P.G. College Ranikhet,Distt.- Almora Pin - 263645 | Dr. J S Rawat , 9410958526 |
| 89 | Ranikhet | 17013 | Govt. P.G. College Dwarahat, City – Dwarahat, Distt.- Almora, PIN– 263 653 (Uttarakhand) | Dr. Prem Prakash, 9412036076 |
| 90 | Ranikhet | 17030 | Government Degree College,Karanprayag, Distt. – Chamoli,PIN–246444 (Uttarakhand) | Dr. Ramesh Chandra Bhatt 9456153590 |
| 91 | Ranikhet | 17059 | Government Degree College, Bhikiyasen RANIKHET SADAR BAZAR, Uttarakhand | Dr. Kamal Kishore – 9760433632 (Update on dated – 06-11-19) |
| 92 | Ranikhet | 17062 | Govt. Degree College ,P.O.- Chaukhatia (Ganai) Distt.- Almora,PIN - 263656 (Uttarakhand) | Dr. Siraz Ahmad - 9917314786 |

| | | | | |
|-----|-------------|-------|---|---|
| 93 | Ranikhet | 17063 | Govt. Degree College ,Gairsain Garkande, Distt. – Chamoli,PIN – 246428 | Dr. Ram Chandra Singh, 7895973342, 8958893238 |
| 94 | Ranikhet | 17065 | Govt. Degree College.,Address- Bhatronjkhan Distt- Almora, Pin Code- 263646 | Dr. Ajay Kumar, 7500938912 |
| 95 | Ranikhet | 17066 | S.R.D.U. GOVERNMENT P.G. COLLEGE , MANILA, ALMORA PIN CODE- 263667 | Dr. Yogesh Chandra , 7248455032 |
| 96 | Ranikhet | 17067 | Government Post Graduate College, Siyalde (Almora) | Dr. Gokul Singh Satyal , 9410184248 |
| 97 | Ranikhet | 17068 | Government Post Graduate College, Gopeshwar (Chamoli), Uttarakhand Pin Code-246401 | Dr. A K Awasthi - 7078811978 |
| 98 | Ranikhet | 17069 | Kumaun University S S J Campus, Almora, Distt- Almora | Prof. P S Bisht, 9412092013 05962-235286 |
| 99 | Ranikhet | 17070 | Shri Ram Singh Dhoni Government Degree College,Jainti, District- Almora, Pin Code- 263626 | Prof. Neeta Pande 9412084016 |
| 100 | Ranikhet | 17072 | Government Degree College, Nandasain, Post office- Malai, District- Chamoli (Uttarakhand) 246487 | Dr. Amar Chand Vishwakarma |
| 101 | Ranikhet | 17073 | Government Degree College, Gurudabaj, Tehsil bhanoli,District-Almora- 263623 | Dr. Manju Chandra- 9410309610 |
| 102 | Ranikhet | 17071 | Hukum Singh Bora Govt. Degree College, Someshwar,District-Almora Pin Code-263637 | Dr. Chandra Prakash Verma 9897872363 |
| 103 | Pithoragarh | 18002 | L .S. M. Govt. P.G. College, Pithoragarh ,Distt Pithoragarh PIN - 262502 | Dr. Jeevan Singh Garia, 9412344737 |
| 104 | Pithoragarh | 18004 | Govt. P.G. College,Post - Narayan Nagar,Tehsil – Didihat,Distt-Pithoragarh,PIN–262550 | |
| 105 | Pithoragarh | 18011 | Govt. P.G. College ,Vill. Chori, Lohaghat, Distt. Champawat, Pin – 262524 (Uttarakhand) | Dr. Dharmendra Rathor , 9412032748 |
| 106 | Pithoragarh | 18029 | Govt. Degree College,Fulara Gaon, Champawat, Distt. – Champawat, PIN-262523 | Dr. B P Oli, 9412042292 |
| 107 | Pithoragarh | 18031 | Govt. Degree College ,Post – Baluwakote, Tehsil - Dharchula,Distt. – Pithoragarh, PIN - 262576 | Dr. Atul Chand, 7579155636 |
| 108 | Pithoragarh | 18032 | Govt. PG College,Berinag, Distt.- Pithoragarh,PIN–262531 (Uttarakhand) | Dr. J N Pant, 9756536121, 9411347657 |
| 109 | Pithoragarh | 18033 | Govt. Degree College, Gangolihat, P.O. & Tehsil – Gangolihat,Distt. – Pithoragarh, PIN–262522 | Dr. Shashi Pratap Singh, 7248508011, 9453466892 |
| 110 | Pithoragarh | 18035 | Govt. Degree College, Address- Ganai Gangoli, Distt- PithoragarhPin- 262532 | Dr. Munish Kumar Pathak, 9690770069 |
| 111 | Pithoragarh | 18036 | Govt. Degree College, Muwani, Distt- Pithoragarh, Pin- 262572 | Dr. Ashish Kumar Gupta, 9336076924, 8392897587 |
| 112 | Pithoragarh | 18037 | Govt. Degree College, Amodi, Distt- Champawat ,Pin- 262523 | Dr. Sanjay Kumar, 9412943265 |
| 113 | Pithoragarh | 18038 | Government Degree College, Munsyari (Pithoragarh) | Dr. Ravi Joshi, 9456310371 |
| 114 | Pithoragarh | 18039 | GOVERNMENT DEGREE COLLEGE, DEVIDHURA (CHAMPAWAT) VILLAGE-KANVAD, POST- DEVIDHURA ,DISTRICT- CHAMPAWAT | Dr. S K Singh, 8006759831 |
| 115 | Bageshwar | 19001 | Govt. P.G.College,Kathayatbara ,Bageshwar PIN-263642 (Uttarakhand) | Dr. Lalit Mohan |
| 116 | Bageshwar | 19016 | Late Chandra Singh Shahi,Govt Degree College; Kapkot,Post- Ason, Kapkot,Tahsil- Kapkot, Post- Ason, Kapkot,Tahsil- Kapkot,Distt. – Bageshwar,PIN-263632 (Uttarakhand) | Dr. Munna Joshi, 9690114546 |
| 117 | Bageshwar | 19022 | Govt. Degree College,Kanda, Distt- Bageshwar,Pin Code- 263631 | Prof. Dinesh Joshi, 8755086027 |
| 118 | Bageshwar | 19023 | Govt. PG College, Talwari,Tharali,Distt- Chamoli Pin Code- 246482 | Dr. Pradeep Chandra Sati, 7310547218, 01363-277843, |
| 119 | Bageshwar | 19024 | Govt. Degree College,Garur,Distt- Bageshwar Pin Code- 263641 | Dr. Awadesh Tiwari 9997575114 |

ख) विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों में प्रभावी नियन्त्रण समनवयक हेतु गठित क्षेत्रीय कार्यालयों का विवरण :-

CODES AND ADDRESSES OF REGIONAL CENTRES

| S.N. | Regional Centre | Code | Regional Director | Assistant Regional Director | Address | Contact No. |
|------|-----------------|------|-------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|
| 1 | Dehradun | 11 | Dr. Sandeep Negi | Anil Kandari | Sri Guru Ram Rai PG College (SGRR), Pathribagh, Dehradun | 9412031183 0135-2720027 |
| 2 | Roorkee | 12 | Dr. Gautam Veer | Ruchi Arya | B.S.M PG College, Roorkee | 7895360001 01332-274365 |
| 3 | Pauri | 14 | Prof. A. K Dobriyal | Bhasker Chandra Joshi | H.N.B Garhwal University, Pauri Campus | 9412960687 01368-223308 |
| 4 | Uttarkashi | 15 | Dr Suresh Chandra | Govind Singh | RCU Government PG College, Uttarkashi | 9557557880 01374-222004 |
| 5 | Haldwani | 16 | Dr. Rashmi Pant | Brijesh Kumar Bankoti | M.B P.G. College, Haldwani | 9411162527 05946-284149 |
| 6 | Ranikhet | 17 | Dr. R K Singh | Priyanka Lohani Pandey | Government PG College, Ranikhet | 9997290990 05966-220474 |
| 7 | Pithoragarh | 18 | Dr Vipin Chandra Pathak | Pankaj Kumar | Government PG College, Pithoragarh | 9412093678 05964-264015 |
| 8 | Bageshwar | 19 | Dr. S.S Dhapola | Rekha Bisht | Government PG College, Bageshwar | 9412105310 05963-221894 |

:-: Regional Centres wise total Study Center:-:

| S.No. | Name of the Regional Centre | No. of Study Centres | State | District |
|-------|-----------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 1 | Dehradun | 20 | Uttarakhand | Dehradun |
| 2 | Roorkee | 23 | Uttarakhand | Haridwar |
| 3 | Pauri | 10 | Uttarakhand | Pauri |
| 4 | Uttarkashi | 05 | Uttarakhand | Uttarkashi |
| 5 | Haldwani | 28 | Uttarakhand | Nainital |
| 6 | Ranikhet | 15 | Uttarakhand | Almora |
| 7 | Pithoragarh | 12 | Uttarakhand | Pithoragarh |
| 8 | Bageshwar | 05 | Uttarakhand | Bageshwar |
| | Total | 118 | | |

ग) विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत शिक्षार्थियों का विवरण

(शीतकालीन सत्र 2019-20):-

| SESSION | PRGM CODE | PROG NAME | YEAR/SEM | STUDENT |
|--------------|-----------|-------------------------------------|----------|---------|
| JANUARY-2020 | BA-12 | Bachelor of Arts | 2 | 2 |
| JANUARY-2020 | BA-12 | Bachelor of Arts | 3 | 22 |
| JANUARY-2020 | BA-16 | Bachelor of Arts | 2 | 15 |
| JANUARY-2020 | BA-16 | Bachelor of Arts | 3 | 55 |
| JANUARY-2020 | BA-17 | Bachelor of Arts | 1 | 2533 |
| JANUARY-2020 | BA-17 | Bachelor of Arts | 2 | 640 |
| JANUARY-2020 | BA-17 | Bachelor of Arts | 3 | 1553 |
| JANUARY-2020 | BAG-17 | Bachelor of Art with Geography | 2 | 1 |
| JANUARY-2020 | BAG-17 | Bachelor of Art with Geography | 3 | 1 |
| JANUARY-2020 | BAM-17 | Bachelor of Art with Mathematics | 1 | 15 |
| JANUARY-2020 | BAM-17 | Bachelor of Art with Mathematics | 3 | 2 |
| JANUARY-2020 | BAS-12 | Bachelor of Art (Single Subject) | 3 | 1 |
| JANUARY-2020 | BAY-17 | Bachelor of Arts (Yoga) | 3 | 36 |
| JANUARY-2020 | BBA-12 | Bachelor of Business Administration | 6 | 1 |
| JANUARY-2020 | BBA-16 | Bachelor of Business Administration | 6 | 1 |
| JANUARY-2020 | BBA-17 | Bachelor of Business Administration | 2 | 19 |
| JANUARY-2020 | BBA-17 | Bachelor of Business Administration | 3 | 4 |
| JANUARY-2020 | BBA-17 | Bachelor of Business Administration | 4 | 15 |
| JANUARY-2020 | BBA-17 | Bachelor of Business Administration | 5 | 3 |
| JANUARY-2020 | BBA-17 | Bachelor of Business Administration | 6 | 6 |
| JANUARY-2020 | BCA-16 | Bachelor of Computer Application | 6 | 3 |
| JANUARY-2020 | BCA-17 | Bachelor of Computer Applications | 2 | 11 |
| JANUARY-2020 | BCA-17 | Bachelor of Computer Applications | 3 | 3 |
| JANUARY-2020 | BCA-17 | Bachelor of Computer Applications | 4 | 17 |
| JANUARY-2020 | BCA-17 | Bachelor of Computer Applications | 5 | 7 |
| JANUARY-2020 | BCA-17 | Bachelor of Computer Applications | 6 | 17 |
| JANUARY-2020 | BCOM-10 | Bachelor of Commerce | 2 | 1 |

| | | | | |
|--------------|-------------|--|---|-----|
| JANUARY-2020 | BCOM-10 | Bachelor of Commerce | 3 | 2 |
| JANUARY-2020 | BCOM-16 | Bachelor of Commerce | 2 | 2 |
| JANUARY-2020 | BCOM-16 | Bachelor of Commerce | 3 | 7 |
| JANUARY-2020 | BCOM-17 | Bachelor of Commerce | 1 | 239 |
| JANUARY-2020 | BCOM-17 | Bachelor of Commerce | 2 | 28 |
| JANUARY-2020 | BCOM-17 | Bachelor of Commerce | 3 | 155 |
| JANUARY-2020 | BED-17 | Bachelor of Education (B.Ed.) | 2 | 118 |
| JANUARY-2020 | BEDSELD- 19 | BACHELOR OF SPL. EDU. - (LEAR. DIS.) - B.Ed. spl. Ed | 2 | 96 |
| JANUARY-2020 | BEDSEMR- 19 | BACHELOR OF SPL. EDU. - (MEN. RET.) - B.Ed. spl. Ed. | 2 | 101 |
| JANUARY-2020 | BHM-16 | Bachelor of Hotel Management | 3 | 1 |
| JANUARY-2020 | BHM-17 | Bachelor of Hotel Management | 3 | 1 |
| JANUARY-2020 | BHM-17 | Bachelor of Hotel Management | 4 | 42 |
| JANUARY-2020 | BHM-17 | Bachelor of Hotel Management | 5 | 25 |
| JANUARY-2020 | BHM-17 | Bachelor of Hotel Management | 6 | 98 |
| JANUARY-2020 | BSC-12 | Bachelor of Science | 3 | 1 |
| JANUARY-2020 | BSC-16 | Bachelor of Science | 3 | 2 |
| JANUARY-2020 | BSC-17 | Bachelor of Science | 3 | 15 |
| JANUARY-2020 | BTTM-16 | Bachelor of Tourism and Travel Management | 7 | 2 |
| JANUARY-2020 | BTTM-16 | Bachelor of Tourism and Travel Management | 8 | 1 |
| JANUARY-2020 | BTTM-17 | Bachelor of Tourism and Travel Management | 2 | 5 |
| JANUARY-2020 | BYN-12 | Bachelor of Yoga and Naturopathy | 3 | 1 |
| JANUARY-2020 | BYN-16 | Bachelor of Yoga & Naturopathy | 2 | 1 |
| JANUARY-2020 | BYN-16 | Bachelor of Yoga & Naturopathy | 3 | 1 |
| JANUARY-2020 | DCH-17 | Diploma in Commercial Horticulture | 2 | 3 |
| JANUARY-2020 | DIT-17 | Diploma in Information Technology | 2 | 1 |
| JANUARY-2020 | DMNWFP-19 | Diploma in Mgmt. of Non-Wood Forest Prod. | 2 | 1 |
| JANUARY-2020 | DPHCN-19 | Diploma in Public Health & Comm. Nutrition | 2 | 6 |
| JANUARY-2020 | DRTI- 17 | Diploma in Right to Information | 2 | 3 |
| JANUARY-2020 | DVAPFV-17 | Dip. in Value Added Prod. from Fruits and Veg. | 2 | 2 |

| | | | | |
|--------------|----------|---|---|-----|
| JANUARY-2020 | LLM-17 | Masters of Laws | 2 | 1 |
| JANUARY-2020 | MAEC-16 | M.A.Economics | 2 | 1 |
| JANUARY-2020 | MAEC-17 | Master of Arts (Economics) | 1 | 236 |
| JANUARY-2020 | MAEC-17 | Master of Arts (Economics) | 2 | 7 |
| JANUARY-2020 | MAED-16 | Master of Arts in Education | 2 | 4 |
| JANUARY-2020 | MAED-17 | Master of Arts (Education) | 1 | 223 |
| JANUARY-2020 | MAED-17 | Master of Arts (Education) | 2 | 82 |
| JANUARY-2020 | MAEL-16 | M.A. English | 2 | 1 |
| JANUARY-2020 | MAEL-17 | Master of Arts (English) | 1 | 379 |
| JANUARY-2020 | MAEL-17 | Master of Arts (English) | 2 | 9 |
| JANUARY-2020 | MAHI-16 | M.A. History | 2 | 2 |
| JANUARY-2020 | MAHI-17 | Master of Arts (History) | 1 | 296 |
| JANUARY-2020 | MAHI-17 | Master of Arts (History) | 2 | 17 |
| JANUARY-2020 | MAHL-12 | M.A HINDI | 2 | 1 |
| JANUARY-2020 | MAHL-16 | M.A. Hindi | 2 | 3 |
| JANUARY-2020 | MAHL-17 | Master of Arts (Hindi) | 1 | 284 |
| JANUARY-2020 | MAHL-17 | Master of Arts (Hindi) | 2 | 11 |
| JANUARY-2020 | MAHS-19 | MASTER OF ARTS (Home Science) | 2 | 62 |
| JANUARY-2020 | MAJMC-16 | M.A. Journalism & Mass Communication | 3 | 1 |
| JANUARY-2020 | MAJMC-17 | M. A. (Journalism and Mass Communication) | 2 | 1 |
| JANUARY-2020 | MAJMC-17 | M. A. (Journalism and Mass Communication) | 4 | 16 |
| JANUARY-2020 | MAJMC-19 | M. A. (Journalism and Mass Communication) | 2 | 32 |
| JANUARY-2020 | MAJY-18 | Master of Arts (Jyotish) | 1 | 17 |
| JANUARY-2020 | MAPA-19 | MASTER OF ARTS (PUBLIC ADMINISTRATION) | 1 | 32 |
| JANUARY-2020 | MAPS-16 | M.A. Political Science | 2 | 4 |
| JANUARY-2020 | MAPS-17 | Master of Arts (Political Science) | 1 | 680 |
| JANUARY-2020 | MAPS-17 | Master of Arts (Political Science) | 2 | 23 |
| JANUARY-2020 | MASL-17 | M.A. Sanskrit | 1 | 77 |
| JANUARY-2020 | MASL-17 | M.A. Sanskrit | 2 | 4 |
| JANUARY-2020 | MASO-16 | M.A. Sociology | 2 | 1 |

| | | | | |
|--------------|-----------|--|---|-----|
| JANUARY-2020 | MASO-17 | Master of Arts (Sociology) | 1 | 431 |
| JANUARY-2020 | MASO-17 | Master of Arts (Sociology) | 2 | 94 |
| JANUARY-2020 | MAY-16 | M.A. Yoga | 2 | 4 |
| JANUARY-2020 | MAY-17 | Master of Arts (Yoga) | 2 | 6 |
| JANUARY-2020 | MBA-12 | Master of Business Administration | 6 | 1 |
| JANUARY-2020 | MBA-17 | Master of Business Administration | 2 | 89 |
| JANUARY-2020 | MBA-17 | Master of Business Administration | 3 | 2 |
| JANUARY-2020 | MBA-17 | Master of Business Administration | 4 | 1 |
| JANUARY-2020 | MCA-17 | Master of Computer Applications | 2 | 16 |
| JANUARY-2020 | MCA-17 | Master of Computer Applications | 3 | 2 |
| JANUARY-2020 | MCA-17 | Master of Computer Applications | 4 | 18 |
| JANUARY-2020 | MCA-17 | Master of Computer Applications | 5 | 2 |
| JANUARY-2020 | MCA-17 | Master of Computer Applications | 6 | 15 |
| JANUARY-2020 | MCOM-10 | Master of Commerce | 2 | 1 |
| JANUARY-2020 | MCOM-16 | Master of Commerce | 2 | 1 |
| JANUARY-2020 | MCOM-17 | Master of Commerce | 1 | 274 |
| JANUARY-2020 | MCOM-17 | Master of Commerce | 2 | 35 |
| JANUARY-2020 | MHM-11 | MASTER OF HOTEL MANAGEMENT | 4 | 1 |
| JANUARY-2020 | MHM-16 | Master of Hotel Management | 4 | 1 |
| JANUARY-2020 | MHM-17 | Master of Hotel Management | 2 | 1 |
| JANUARY-2020 | MHM-17 | Master of Hotel Management | 3 | 3 |
| JANUARY-2020 | MHM-17 | Master of Hotel Management | 4 | 37 |
| JANUARY-2020 | MSCBOT-13 | Master of Science in Botany | 2 | 1 |
| JANUARY-2020 | MSCBOT-17 | Master of Science in Botany | 2 | 3 |
| JANUARY-2020 | MSCCH-13 | Master of Science in Chemistry | 2 | 1 |
| JANUARY-2020 | MSCCH-17 | Master of Science (Chemistry) | 2 | 1 |
| JANUARY-2020 | MSCCS-18 | Master of Science (Cyber Security) | 2 | 3 |
| JANUARY-2020 | MSCIT-17 | Master of Science (Information Technology) | 2 | 13 |
| JANUARY-2020 | MSCIT-17 | Master of Science (Information Technology) | 3 | 1 |

| | | | | |
|--------------|---------------|---|---|-----|
| JANUARY-2020 | MSCIT-17 | Master of Science (Information Technology) | 4 | 12 |
| JANUARY-2020 | MSCPHY-17 | Master of Science in Physics | 2 | 1 |
| JANUARY-2020 | MSW-10 | Master Of Social Work | 4 | 1 |
| JANUARY-2020 | MSW-16 | Master of Social Work | 3 | 1 |
| JANUARY-2020 | MSW-16 | Master of Social Work | 4 | 3 |
| JANUARY-2020 | MSW-17 | Master of Social Work | 2 | 180 |
| JANUARY-2020 | MSW-17 | Master of Social Work | 3 | 7 |
| JANUARY-2020 | MSW-17 | Master of Social Work | 4 | 12 |
| JANUARY-2020 | MTTM-16 | Master of Tourism and Travel Management | 4 | 1 |
| JANUARY-2020 | MTTM-17 | Master of Tourism and Travel Management | 2 | 21 |
| JANUARY-2020 | MTTM-17 | Master of Tourism and Travel Management | 3 | 2 |
| JANUARY-2020 | MTTM-17 | Master of Tourism and Travel Management | 4 | 9 |
| JANUARY-2020 | PGDBJ-19 | P.G. Dip. in Broadcast Journalism & New Media | 2 | 6 |
| JANUARY-2020 | PGDCA-17 | P.G. Diploma in Computer Application | 2 | 24 |
| JANUARY-2020 | PGDCS-17 | P.G. Diploma in Cyber Security | 2 | 3 |
| JANUARY-2020 | PGDHRM-17 | P.G. Diploma Human Resource Management | 2 | 11 |
| JANUARY-2020 | PGDJMC-19 | P.G. Dip. in Journalism and Mass Comm. | 2 | 13 |
| JANUARY-2020 | PGDMM-17 | PG Diploma in Marketing Management | 2 | 4 |
| JANUARY-2020 | Ph.D.(EDU)-18 | Ph.D. Education | 1 | 1 |

नोट- विद्यार्थियों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश सम्बन्धी विवरण की अद्यतन जानकारी नीचे दिये गये लिंक <http://www.uou.ac.in/announcement/2020/03/1357> से भी प्राप्त की जा सकती है।